खण्ड-328, अंक-6
मंगलवार, 19 आश्विन, शक संवत् 1899
(11 अक्टूबर, 1977 ई0)

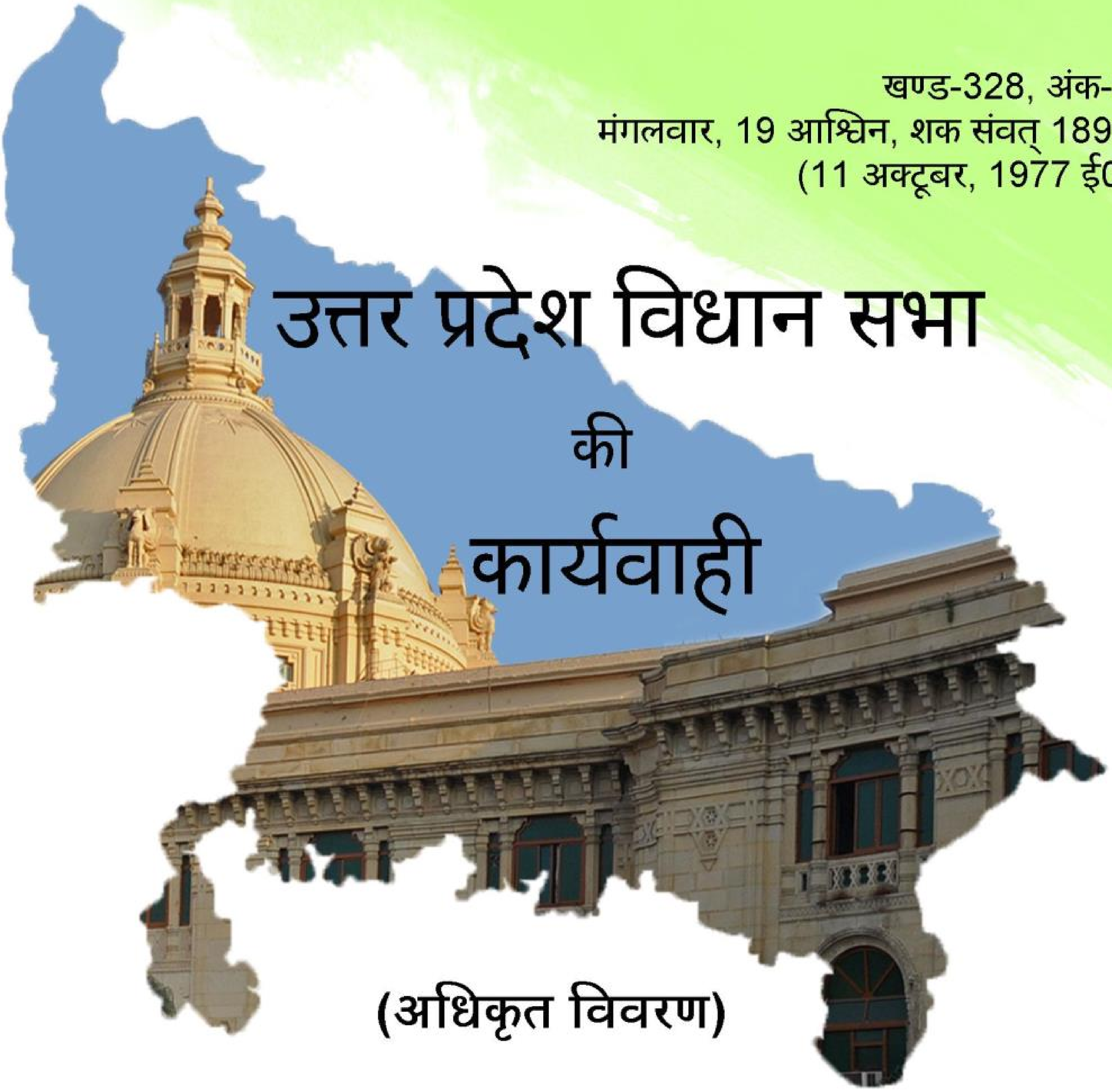

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य ३२९

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भैय्या जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री

चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय' श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायन, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म राज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नरायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पुरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पलाल, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रमान अन्सारी, श्री
बंगाली सिंह, डा०
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द"
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
जनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री

भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर,
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मन उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र, सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दयाल, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती

रामरति देवी श्री मती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि, दुबे श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रियाजत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवती सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल श्री,
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहनलाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव तथा गन्ना विकास मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ अक्तूबर, १९७७

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*१--श्री विष्णु प्रताप सिंह--

[७वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उद्योग मंत्री के प्रश्नों का उत्तर देने के समय अनुपस्थित होने पर आपत्ति ।

(तारांकित प्रश्न १ के लिए उद्योग मन्त्री को पुकारे जाना तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

रोज आप देखते हैं श्रीमन्, इस सरकार को कितनी अक्ल आप देंगे ?

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

संयुक्त जिम्मेदारी है, यह कहते हैं । तो जबाब दे दें, हमको एतराज नहीं है ।

(उद्योग मन्त्री को पुनः पुकारे जाने तथा अब भी अनुपस्थित रहने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

यह सदन का अवमान है मैं सदन को नोटिस देता हूं ।

(उद्योग राज्य मंत्री के उपस्थित हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

उद्योग राज्य मन्त्री जी यह उचित नहीं है । आपका प्रथम प्रश्न है, तो आपको तो समय पर आना चाहिये था । मन्त्रियों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि सदन का समुचित आदर करें और ऐसे लाइटली सदन को नहीं लेना चाहिये ।

श्री रेवती रमण सिंह (उद्योग राज्य मन्त्री)--

इलाहाबाद में एक्सीडेंट हो गया था तो मैं....

श्री अध्यक्ष--

आप तो मौजूद हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

वहीं से आ रहा हूं ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

हथकरघा उद्योग में प्रयोग होने वाले सूत के मूल्य में वृद्धि

*१--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हर प्रकार के सूत की कीमत मार्च, ७७ तक क्या थी ? क्या यह सत्य है कि प्रत्येक किस्म के धागे की कीमत जुलाई, ७७ तक सौ फीसदी बढ़ गई है और हथकरघा द्वारा तैयार किए गए कपड़े महंगे भाव पर न बिकने के कारण स्टाक जमा हो गया है, जिससे लाखों बुनकर बेकार हो गए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना बनाई है और उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मार्च, १९७७ में सूती तथा स्टेपिल धागों के भाव का चार्ट संलग्न है ।

यह सही नहीं है कि जुलाई, ७७ में इन धागों की कीमत १०० फीसदी बढ़ गई ।

उक्त अवधि में धागों की कीमतों में कुछ बढ़ोत्तरी होने के कारण उत्पादन लागत में कुछ वृद्धि हुई तथा किसी सीमा तक बिक्री भी प्रभावित हुई । परन्तु यह एक अस्थायी स्थिति थी, क्योंकि उत्पादन स्तर की स्थिति में कोई गिरावट नहीं हुई है । वर्ष १९७७ में अप्रैल से अगस्त माह तक प्रदर्शनियों एवं अन्य संस्थागत बिक्री के माध्यमों से ४६१ लाख रु० मूल्य के हथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई है ।

उत्पादित माल जमा न हो जाये, इस उद्देश्य से हथकरघा निगम तथा बुनकर के शो-रूम के माध्यम से तथा प्रदेश में और बाहर प्रदर्शनियां आयोजित करके माल की बिक्री की जाती है । चालू वर्ष में १६ नये शोरूम के अतिरिक्त ४ भण्डार गृह खोलने की योजना है, जिसमें बुनकर अपना माल रखकर लागत का ३/४ भाग मूल्य तुरन्त प्राप्त कर सकेंगे । इस प्रकार बुनकरों को बिक्री की कमी के महीनों में काम की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इसमें मैंने पूछा था कि मार्च, १९७७ में क्या कीमत थी ? क्या मार्च के बाद जुलाई, १९७७ तक भाव बढ़ गए हैं ? तो सरकार की तरफ से उत्तर मिला कि मार्च तक के भाव आये हैं । तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई—८ किस्म का यार्न और स्पेशल यार्न दो किस्म का इनके मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इसमें सौ फीसदी की वृद्धि नहीं हुई है बल्कि २ से १७ फीसदी तक की वृद्धि हुई है । मैं चार्ट पढ़ रहा हूं, ऊदल जी को इससे पता चल जायगा—

सूत का नम्बर	मार्च, ७७ में मूल्य	जुलाई में मूल्य	बढ़ोत्तरी का प्रतिशत	अगस्त, ७७ में मूल्य	सितम्बर, ७७ में मूल्य
१	२	३	४	५	६
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१०	५७.००	६६.५०	१६.६	६१.००	६०.००
१४	६५.००	७३.५०	१३	७०.००	७०.००
२०	७३.००	८५.५०	१७	७८.५०	७६.००
२४	८०.००	९० से ९१	१२.५	८६.००	८४.००
३०	९०.००	९४ से ९६	५.५	८९ से ९०	८८.००
४०	११०.००	१०५.००	—	१०२.००	१००.००
२/२०	७८.००	८९.००	१४.१	८५.००	८४.००

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५९ पर ।)

श्री अध्यक्ष--

यह काफी लम्बा है, उद्योग मन्त्री जी। उचित होगा कि आप अन्त में कितनी वृद्धि हुई यह बता दें ?

श्री रेवती रमण सिंह--

इस चार्ट के देखने से पता चलता है कि भिन्न-भिन्न महीनों में अलग-अलग वृद्धि हुई है। २ से १७ फीसदी तक की वृद्धि आती है।

श्री ऊदल--

क्या यह सही है कि ८ किस्म के काटन यार्न, स्पेशल यार्न की सप्लाई ठीक से नहीं होती और प्राइवेट बिजनेसमैन और जो धागों की बड़ी-बड़ी मिलें हैं, इनके हाथ में हैं और वे इस सूत को भी बाहर भेज देते हैं, इसकी वजह से भी दाम महंगे हो रहे हैं ? अगर हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या विचार किया है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

यह सही नहीं है। उसकी महंगाई होने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि काटन जब महंगा हो जाता है, तो सूत भी महंगा हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि बरसात के महीने में काम बन्द रहता है, जिसकी वजह से महंगाई आ जाती है। वह स्लम्प पीरियड रहता है।

श्री श्यामधर मिश्र--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ४६१ लाख रुपये के हथकरघा वस्त्रों की बिक्री हुई, प्रदर्शनियों और संस्थागत बिक्री के जरिये। तो मार्च से लेकर अगस्त तक जो समय उन्होंने इसमें दिया है, उसमें कुल कितना वस्त्र पैदा हुआ ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इसके डिटेल तो नहीं हैं मेरे पास इस समय लेकिन कितना बेचा गया वह मेरे पास है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या यह सही है कि १०-१५ दिन पहले ही बुनकरों का एक डेपुटेशन मंत्री जी से मिला और उन्होंने कुछ मांगें, मन्त्री जी के सामने रखीं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

उनकी कई मांगें हैं जिन पर शासन विचार कर रहा है। कुछ मुख्य मांगें यह हैं कि जो उनकी मन्दी हो जाती है बरसात के समय में और उनका माल बिक नहीं पाता है और जो बिचौलिया होता है, वह उनका एक्सप्लायटेशन करते हैं। इन सब बातों पर शासन विचार कर रहा है और इसके तहत में, हम कई वेयर-हाउसेज बनवा रहे हैं। चार वेयरहाउसेज का प्राविधान इस बजट में है, जहां इनका माल रखा जायेगा और तीन चौथाई पैसा उनको दिया जायगा। इस तरह से उनका जो शोषण होता है, वह नहीं हो पायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग ने क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है कि महंगाई कम हो जाय और ये कपड़ा चुंगी से फ्री कर दिया जाय। वह कपड़ा हैंडलूम का है कि नहीं, इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर, इन्डस्ट्रीज का प्रमाण-पत्र चाहिए। अगर सीतापुर का कोई आदमी कानपुर सर्टीफिकेट लेने जाय, तो यह बड़ा दुरूह होगा। अतएव मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्वायत्त शासन विभाग को इस आशय की अनुशंसा करेंगे कि वह डिप्टी डायरेक्टर के स्थान पर जिला उद्योग अधिकारी का प्रमाण-पत्र मान लेने के लिए तैयार हो जायं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

इस पर विचार किया जायगा।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मिलों में गांठें आती हैं, उनमें बहुत कूड़ा करकट रहता है, उसमें सब-स्टैंडर्ड चीज मिला देते हैं, जिसके कारण स्टेपिल की कीमत बढ़ जाती है।

श्री अध्यक्ष--

जरा साफ कीजिएगा, प्रश्न।

श्री ए० सी० प्राइस--

मान्यवर, जिलों में जो गांठें आती हैं फैक्ट्रीज में, उनमें मिट्टी, कूड़ा-करकट आदि मिला रहता है, जिससे स्टेपिल की कीमत बढ़ जाती है।

श्री अध्यक्ष--

यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। इसकी पृथक सूचना की आवश्यकता है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि बरसात की वजह से भी कपड़े पर तेजी आई है, तो बरसात का समय अब खत्म हो रहा है, कृपाकरिकर माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि अब कपड़े का भाव सस्ता हो जायगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, गनेशीलाल जी देखेंगे, तो पता लग जायगा कि कपड़े का भाव सस्ता होना शुरू हो गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, इस सूत के नियन्त्रण के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इसके लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है, उसको अगर आप चाहें, तो पढ़ कर डिटेल में बता दूं।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं । डिटेल में नहीं, संक्षेप में बता दीजिए ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, उसमें जो योजना बनाई गई है, कई जगह शोरूम खोले गए हैं, हथकरघा निगम और यूपिका के माध्यम से कपड़ों को बेचा जा रहा है, बड़े पैमाने पर स्टाल इस विभाग द्वारा बनाया जा रहा है ताकि इसका माल सब निकल जाय, इकट्ठा न रहे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मेरा प्रश्न दूसरा है । मान्यवर, सूत का मूल्य बढ़ता न जाय, इसके लिए क्या कदम सरकार उठाने जा रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कन्सर्ड है । सूत की कीमत का निर्धारण सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से होता है । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि कपास ज्यादा पैदा करें, क्योंकि यह कपास से ही को-रिलेटेड है ।

राज्य योजना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थायीकरण

*२--श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोन्डा) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि सचिवालय के नियोजन विभाग में राज्य योजना आयोग के पदों पर अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों को नियुक्त करके उन्हें एक-दो वर्ष की सेवावधि में ही स्थायी कर दिया गया है जबकि ३ वर्ष से अधिक अवधि से नियुक्त अन्य कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव (मुख्य मन्त्री)--

राज्य योजना आयोग के स्थायी अधिष्ठान के निजी सचिव ग्रेड-१, सेक्शन आफिसर, वैयक्तिक सहायक एवम् ड्राइवर के संवर्गों के १-१०-७६, जिस तिथि से इन पदों को स्थायी किया गया है, के समस्त धारकों को स्थायी किया गया है । किसी को भी स्थायीकरण की सुविधा से वंचित नहीं रखा गया है । संलग्न तालिका में स्थायी किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण इंगित है । अन्य संवर्गों के धारकों को स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६० पर ।)

*३--श्री विष्णु प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार उपरोक्त मामले की पूर्ण एवं निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

*४--श्री मुहम्मद रफी खां--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

[दिनांक ११ अक्तूबर, १९७७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय

*१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या यह सही है कि ३०-३१ जुलाई, १९७७ को दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का द्विदिवसीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य मन्त्री ने भी भाग लिया ? यदि हां, तो इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हैं और उनके प्रदेश में लागू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(राजनैतिक पेन्शन उपमन्त्री)—श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हां, सम्मेलन हुआ था । सम्मेलन की कार्यवाही गोपनीय होने के कारण उसके सम्बन्ध में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सम्मेलन में कुछ निर्णय ऐसे हुए जो हिन्दुस्तान के तमाम अखबारों में प्रकाशित हुए हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महंगाई को रोकने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सम्मेलन के निर्णय गोपनीय प्रकृति के हैं और जनहित को ध्यान में रखते हुये इनकी सूचना देनी सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया महंगाई रोकने के सम्बन्ध में । उनका स्पेसिफिक प्रश्न है कि महंगाई रोकने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है । इसको तो गोपनीय नहीं कहा जा सकता । महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, यह उनका प्रश्न है । यह कहां गोपनीय है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने निर्णयों के बारे में निवेदन किया कि गोपनीय प्रकृति के हैं । वह जो चीज अखबारों में छपी है उस पर केवल इतना कहा जा सकता है कि वह सामान्य फैसला है और इस सम्मेलन से शायद ही सम्बद्ध रहा हो ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ऐसा है, उनका बड़ा डेफिनिट प्रश्न है कि पत्रों में निकला है कि सरकार महंगाई रोकने के उपाय कर रही है । तो महंगाई को रोकने के लिए तो सरकार की घोषित नीति है । महंगाई को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, यह उनका प्रश्न है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि महंगाई को रोकने की नीति है और इस सिलसिले में कार्यवाही की जा रही है । जहां तक निर्णय का प्रश्न है और गोपनीयता का प्रश्न है तो श्रीमन्, यह नियम २८ (१५) में भी है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप जरा शोर न मचाइये ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, आपको नियम बता रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने कोई नीति अख्तियार कर ली है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे तो निकलता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस नियम का उल्लेख किया, तो इसमें आप देखें, इसमें है कि 'उसमें ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जाएगी, जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्रि परिषद् के विनिश्चय', तो इसमें गोपनीयता की बात कहां आती है ? मंत्रि-परिषद् का यहां पर प्रश्न कहां है । यहां तो सम्मेलन की बात है कि मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिए गए ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी, मैं इससे बाध्य नहीं हूं । माननीय उप मंत्री जी ने जिस नियम का हवाला दिया उसकी आवश्यकता नहीं थी और न वह उचित था । लेकिन यह मंत्रियों का अधिकार है कि किसी फैसले के लिए वह यह कहें कि यह जनहित में नहीं है । उन्होंने जो नियम का हवाला दिया उसकी जरूरत नहीं थी । आप प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने महंगाई को रोकने की बात कही, तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के कोई निर्देश जिला पूर्ति अधिकारियों या जिला अधिकारियों को जारी हुये हैं, जिसमें यह कहा गया है कि महंगाई न बढ़ने पाय इसके लिए कारगर कदम उठायें ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, ऐसे निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं कि वे सभी कारगर उपाय किये जायें, जिससे महंगाई न बढ़ने पाये ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारियों को महंगाई रोकने के लिए जो निर्देश दिये गये हैं, वे क्या हैं ?

(कुछ क्षण उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—

यह जो प्रश्न है, बड़ा सामान्य है और मंत्री जी इसके लिए तैयार होकर आयें, यह अपेक्षा की जाती है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुल कितने निर्णय लिए गए । उनमें से कितने गोपनीय हैं और कितने गोपनीय नहीं हैं ? जो गोपनीय नहीं हैं वे क्या-क्या हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, ऐसी कोई सूची नहीं बनायी गयी है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपकी इस गोपनीयता और भूतपूर्व सरकार की गोपनीयता में कितना अन्तर है ? सम्मेलन के निर्णय गोपनीय नहीं हुआ करते, मंत्रि-परिषद के निर्णय गोपनीय होते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका मत है ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि बहुत से फैसले गोपनीय हैं और यह भी कहा कि जिला प्रशासन को आदेश दिये हैं । क्या वह एक-दो को बतला सकते हैं कि कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनसे महंगाई रुक सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया । क्रास एग्जामिनेशन से कुछ निकलेगा नहीं ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ निर्देश दिए हैं । कहीं ऐसे ढीले निर्देश तो नहीं दिए कि २५ रुपये बोरी सीमेन्ट बिक रहा है ? सिकन्दराराव में २५ रुपया बोरी सीमेन्ट बेच रहा था जबकि एस० डी० एम० की स्लिप थी ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन और जन सुरक्षा को कायम करने के लिए और अपराधों को रोकने के लिए भी कोई निर्णय लिए गए ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

सामान्य सुरक्षा और जन सुरक्षा के बारे में सरकार की घोषित नीति है । निर्णयों के बारे में मैंने कहा कि वह गोपनीय है । जहां तक सामान्य नीति की बात है वह तो सरकार की घोषित नीति है ही ।

श्री सुख पाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायें कि इस सम्मेलन के निर्णयों के बाद महंगाई रोकने के लिए सरकार ने अब तक कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

इसका जवाब पहले दे दिया कि जिला प्रशासन को बाकायदे इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि महंगाई किसी भी स्तर पर बढ़ने न पाये ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए थे । इतना ही नहीं अधिकारिक रूप से उनको ब्रीफ किया गया था । क्या समाचार-पत्रों को माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है और यदि हां, तो स्पष्ट बतलायें कि उनपर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, समाचार-पत्रों में सामान्य विषयक नीतियों की चर्चा थी। उनमें निर्णय तो कहीं छपे नहीं।

श्री श्यामधर मिश्र--

क्या यह सही है कि इस बैठक में केवल मुख्य मंत्री तो नहीं बल्कि दूसरे मंत्रिगण और अधिकारीगण भी गये थे और इसके साथ ही साथ इस बैठक में जो निर्णय लिए गए, उसमें यह घोषणा की गयी कि यह गोपनीय नहीं है ? इसके साथ ही इस बैठक की कार्यवाही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट द्वारा प्रसारित की गयी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

यह सही है कि सम्मेलन की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा भेजी गयी, लेकिन हर पृष्ठ पर गुप्त शब्द छपा हुआ है। उसमें और मंत्री गये थे, यह कहना सही नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र--

कौन-कौन गये थे, यह बतला दें ?

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार समझती है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के फैसलों को बताना शासन के क्षेत्राधिकार के बाहर है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, यह केन्द्रीय सरकार ने फैसला लिया और उन्होंने यह सम्मेलन बुलाया है।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी, यह हो सकता है कि किसी ब्लैकमार्केटियर की गिरफ्तारी गोपनीय हो लेकिन इसमें क्या गोपनीयता है ? अतः माननीय मंत्री जी क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने महंगाई रोकने के लिए क्या-क्या सुझाव दिए और उनमें मुख्य सुझाव क्या-क्या थे।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सरकार की सामान्य नीति के तहत मुख्य मंत्री जी ने भी सुझाव दिए थे। यह गोपनीयता का प्रश्न केवल निर्णयों तक सीमित है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं सुझाव पूछ रहा हूं, निर्णय नहीं पूछ रहा। मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आया नहीं।

श्री अध्यक्ष--

अब वह नहीं दे रहे हैं, तो मजबूर नहीं कर सकते।

एक सदस्य--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

अब इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

*२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दर्वे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या—१ के अन्तर्गत स्थगित ।]

परसपुर बाजार, जिला गोंडा में एक व्यक्ति की हत्या

*३—श्री विष्णु प्रताप सिंह, श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री त्रिवेणी सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री अशफाक (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक २ अगस्त, १९७७ को परसपुर बाजार, थाना परसपुर, जिला गोंडा में थाने के सामने ही एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या है और इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २३—८—७७ को परसपुर बाजार के थाना परसपुर, जिला गोंडा से लगभग एक फर्लांग दूरी पर एक व्यक्ति की हत्या रंजिश के कारण कर दी गई ।

यह असत्य है कि घटना थाने के सामने घटित हुई । इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या १२० धारा १४७/१४८/१४९/३२५/३०२ भारतीय दण्ड विधान दिनांक २३—८—७७ को अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना के बाद ६ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप—पत्र दिनांक १९—९—७७ को न्यायालय भेजे गये ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना के सम्बन्ध में क्या क्षेत्रीय विधायक श्री त्रिवेनी सिंह ने एक हफ्ता पुलिस अधीक्षक, गोंडा को कोई सूचना दी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

माननीय सदस्य कृपा करके अपना प्रश्न दोहरा दें ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

परसपुर थाने के सामने जो काण्ड हुआ था, क्या उस घटना के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक ने पुलिस अधीक्षक, गोंडा को एक हफ्ते पूर्व कोई सूचना दी थी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, क्षेत्रीय विधायक की किसी सूचना की जानकारी नहीं है ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी सूचना मंगाने की कृपा करेंगे?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना होगी, तो अवश्य मंगा ली जायेगी ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस केस में जो अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, उनकी गिरफ्तारी करने के सारे प्रयास जारी हैं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन अभियुक्तों के नाम क्या हैं और उनकी रंजिश क्या है और अगर किसी अधिकारी को इस सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी, तो उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं :--

(१) श्री राम नरायन पाण्डे, पुत्र बदल पाण्डे, साकिन चौरहा भरोसे पुरवा, थाना परसपुर, जिला गोंडा ।

(२) श्री महादेव पाण्डेय, पुत्र बदल पाण्डेय, साकिन उपरोक्त ।

(३) श्री विजय बहादुर उर्फ विजय शंकर पाण्डेय, पुत्र रामपाल पाण्डेय, साकिन उपरोक्त ।

(४) शेषराज उर्फ छग्गू पाण्डेय पुत्र राम अधार पाण्डेय, साकिन उपरोक्त ।

(५) देशराज पुत्र राम अधार पाण्डेय, साकिन उपरोक्त ।

(६) रन बहादुर उर्फ पप्पू पुत्र हृदय राम, साकिन पकड़ी, थाना गिलौला, जिला बहराइच ।

श्री अध्यक्ष--

आपने यह पूछा है माननीय मंत्री जी, कि मृतकों से इन अभियुक्तों की दुश्मनी क्या है, यह बतायें ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन् एफ० आई० आर० में जो बताया गया है, उसे पढ़े दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

एफ० आई० आर० को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

इसमें है कि हमारी पुरानी रंजिश है...।

श्री अध्यक्ष--

एफ० आई० आर० में लिखा है कि उनसे-हमारी दुश्मनी है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी ।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

माननीय विधायक की इस सूचना को सही मानते हुए कि एक हफ्ता पहले पुलिस अधीक्षक को इनफार्म कर दिया था, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया ? क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ उन्हें दंडित करने के लिए कोई कदम उठायेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, विधायक महोदय को सूचना की जानकारी नहीं है अगर सूचना मिलेगी तो उचित कदम उठाये जायंगे ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर पर जरा गौर कर । गोंडा तहसील के एक फर्लांग दूरी पर एक व्यक्ति की हत्या की गयी । यह असत्य है कि घटना थाने के सामने घटित हुई । श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह घटना थाने के किस तरफ को हुई, थाने का दरवाजा किस तरफ को है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप क्रास इक्जामिन कर रहे हैं, मंत्री जी को ।

श्री दशरथ सिंह--

क्षेत्रीय विधायक श्री त्रिवेनी सिंह की इस बात को सही मानते हुए कि मृतक ने पहले ही पुलिस को सूचना दी थी और उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय पुलिस का भी हाथ था, उसकी हत्या में और क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

पहले कोई सूचना मृतकों ने दी थी कि उनको मारने की आशंका है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि रंजिश चली आ रही है, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने इसमें १०७, ११७ में दोनों पार्टियों का क्यों नहीं चालान किया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, १०७, ११७ में चालान पहले नहीं किया गया ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६ अभियुक्तों में कितने गिरफ्तार हुए और कितने गिरफ्तार नहीं हुए और जो गिरफ्तार नहीं हुए, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

(व्यवधान)

श्री दीप नरायन--

जब दोनों पार्टियों में रंजिश चली आ रही है तो १०७, ११७ में प्रोसीडिंग क्यों नहीं की गयी ? यह पुलिस जानती है कि वहां चेन मर्डर चले आ रहे हैं । दो तीन घटनायें पहले भी हो चुकी. . .।

श्री अध्यक्ष--

उनका कथन है, जब दो तीन घटनायें पहले भी हो चुकी हैं और रंजिश दोनों पार्टियों में थी, तो निषेधात्मक कार्यवाही पुलिस ने क्यों नहीं की ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, पुलिस ने निषेधात्मक कार्यवाही नहीं की, लेकिन इस बारे में माननीय सदस्य अगर जानकारी देंगे, तो पुलिस के बारे में विचार लेंगे ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

कितने अभियुक्त थे और उनमें से कितने पकड़ गये और जो नहीं पकड़े गये, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

कोई अभियुक्त फरार नहीं है या तो उनको बन्दी बनाया गया या उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा कि एफ० आई० आर० में बतलाया गया कि पुरानी रंजिश पर सीरियस मर्डर हुआ और जैसा पाण्डेय जी ने बतलाया इससे सम्बन्धित घटनायें और भी हो चुकी हैं, तो फिर जब पुलिस की नालेज में यह सब था, तो १०७/११६ की कार्यवाही न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

अपने उत्तर को संशोधित करते हुए मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए यह बतलाना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक, गोंडा की जो सबसे बाद की जानकारी आई है उसमे यह है कि दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता देखकर स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए दोनों पक्षों के विरुद्ध सब इंस्पेक्टर ने २१-४-७७ को १०७/११६ की कार्यवाही की थी, लेकिन तहसीलदार तरबगंज के न्यायालय में मामला विचाराधीन था जिससे १०७/११६ की कार्यवाही ही अमल में नहीं आ सकी।

*४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

५--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

[५वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जौनपुर जिले के ग्राम बनवीर की श्रीमती उषादेवी का अपहरण एवं हत्या

*६--श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के मुंगरा बादशाहपुर थाने के बनवीर ग्राम में दिनांक २३-७-७७ की रात में ऊषादेवी पुत्री जगत नारायण को कुछ बदमाशों द्वारा षड़यन्त्र करके भगाया गया और कुछ दिनों अपने साथ रखकर लड़की की हत्या कर डाली गई। क्या यह सही है कि लड़की के भगाए जाने के बाद उसके घर वाले थाने में जब रिपोर्ट करने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई और लड़की की हत्या होने के बाद रिपोर्ट लिखी गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट जो लिखी गई तो किन धाराओं में ? उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई, कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और कितने फरार हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २८-७-७७ को श्री प्रसिद्ध नारायन निवासी बनवीरपुर (जौनपुर) ने थाना बादशाहपुर पर सूचना दी कि दिनांक २३-७-७७ की रात में श्रीमती ऊषा देवी अपनी मां व बड़ी बहन का तथा अपना जेवर व कपड़ा लेकर गायब हो गई थी। पता लगाने पर यह ज्ञात हुआ कि अमुक व्यक्ति उसे ले जाते हुए देखे गए परन्तु तलाश करने पर कुछ पता नहीं लगा।

उन्होंने यह भी सूचना दी कि आज उपरोक्त ऊषा देवी की लाश बोरिंग के गड्ढे में उतराई हुई है ।

उक्त सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा ३६३/३६६/३०२ भारतीय दण्ड विधान का कायम किया गया और विवेचना शुरू की गई ।

घटना से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा एक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामदेव दुबे--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि २८-७-७७ को प्रसिद्ध नारायण जी ने जो सूचना दी, वह थाने में लिखी भी गई और तद्नुसार तफतीश शुरू हुई और यदि हां, तो सूचना क्या थी और नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

लड़की के चाचा श्री प्रसिद्ध नारायण ने उस दिन कोई सूचना नहीं दी बल्कि उन्होंने एफ० आई० आर० में यह भी लिखा है कि वे लोग तलाश कर रहे थे और उनको आशा थी कि लड़की कहीं गई होगी, आ जायेगी । यह तहरीरी रिपोर्ट है ।

श्री रामदेव दुबे--

उत्तर में कहा गया है कि २८-७-७७ को प्रसिद्ध नारायण, निवासी बनवीरपुर ने सूचना दी थी २३-७-७७ को घटना से सम्बन्धित लेकिन यह सूचना अंकित नहीं की गई । अगर यह सूचना अंकित की गई होती, तो शायद लड़की की हत्या न होती । क्या मेरी सूचना के आधार पर मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

२३ तारीख को जब वह लड़की गायब हुई, तो एफ० आई० आर० २८ को ही उनके चाचा प्रसिद्ध नारायण ने लिखाई । सम्पन्न ब्राह्मण कुल की वह सीधी-सादी लड़की थी और २८ तारीख की तहरीर में यह लिखाया गया है कि वह तलाश करते रहे, इसलिए २३ को कोई सूचना पुलिस स्टेशन पर प्राप्त नहीं हुई ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस ने दबाव डाल कर इस तरह की एफ० आई० आर० लिखाई । २३ तारीख को यह घटना हुई और उन्होंने एफ० आई० आर० लिखाने में देर की ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका आरोप है ।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, २३-७-७७ को यह घटना हुई और २८ को रिपोर्ट लिखी जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि घटना के दूसरे या तीसरे दिन थाने में रिपोर्ट लिखाने गए और रिपोर्ट नहीं लिखी गई ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, २३ को जब लड़की गायब हुई तो इस बीच उनके किसी सम्बन्धी ने पुलिस स्टेशन को २८ तारीख के पहले कोई सूचना नहीं दी ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि लाश जो बरामद हुई, उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डाक्टर ने लड़की के रेप किए जाने की बात तो नहीं बताई है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के सिलसिले में कोई जानकारी नहीं दी गई है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम ढकुवा मजरे कमौली में हरिजनों एवं सवर्णों के संघर्ष में हरिजनों की मृत्यु

*७--श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री मन्ना राम (जिला बलिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक ४ जून, १९७७ ई० को बाराबंकी जिले के ढकुया के दो हरिजनों को मार डाला गया और ४ हरिजनों को गम्भीर रूप से घायल किया गया ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में ढकिया गांव के हरिजनों का एक जुलूस लखनऊ में मुख्य-मुख्य सड़कों पर घूमा और मुख्य मन्त्री को दिनांक २८-८-७७ को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो वह ज्ञापन क्या है और इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ४-६-७७ को बाराबंकी जिले के ढकुवा के दो हरिजनों को मारने की कोई घटना नहीं घटित हुई, बल्कि जनपद बाराबंकी के ग्राम ढकुवा मजरे कमौली थाना टिकैतनगर में दिनांक २४-६-७७ को हरिजन व सवर्णों के बीच पुरानी रंजिश, मरे जानवर न उठाये जाने के कारण झगड़ा हुआ जिसमें ६ हरिजनों को बन्दूक व लाठियों की चोटें आई । फलस्वरूप दो हरिजनों की मृत्यु हो गई। हरिजन लखनऊ आये थे तथा उन्होंने दिनांक २८-८-७७ को मुख्य मन्त्री जी को अपनी मांगों से सम्बन्धित एक ज्ञापन दिया जिस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

अध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों के ऊपर बाराबंकी में जो हुआ यह मिनी बेलछी कांड है, जिसमें दो हरिजन मारे गये रंजिश मरे हुए जानवरों को न उठाने के सम्बन्ध में है । क्या इस विवाद में मुख्य मंत्री जी को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ज्ञापन क्या है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, बाराबंकी जनपद के कल्लूराम, राम भरोसे, मेवाराम तथा अमीर हैदर एडवोकेट, अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति के हस्ताक्षर से एक ज्ञापन मिला है और उसमें सात मांगें की गई हैं कि :--

(१) बाराबंकी जनपद में ग्राम ढकुआ (कमौली) में हुए हरिजन हत्या-कांड की न्यायिक जांच हो जिसमें दो हरिजन भाई बालादीन व बद्री मारे गए और तीन घायल हुए ।

(२) यह कि हरिजन परिवारों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाय ।

(३) यह कि बंधुवा मजदूरी का पूरी तरह अंत किया जाये ।

(४) यह कि सभी हरिजनों को आबंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाय ।

(५) यह कि हर थाने पर विशेष कर जहां हरिजन आबादी हो कम से कम एक हरिजन एस० आई० तथा दो कानस्टेबिल की नियुक्ति अवश्य हो ।

(६) यह कि जिन हरिजनों की भूमि शारदा सहायक में पड़ी है उन्हें तुरंत रोजगार दिया जाय ।

(७) यह कि शारदा सहायक १२८ किलोमीटर पर जिन हरिजनों को भूमि मिली है वह झील में पानी भर जाने के कारण बेकार पड़ी है इसलिए शारदा सहायक नहर में एक साइफन बनाया जाय ताकि झील का पानी निकल जाया करे और हरिजन भाई अपनी भूमि से लाभ उठाया करें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

श्रीमन्, इस तरह की घटनायें आये दिन प्रदेश में हो रही हैं, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां भी इस तरह की घटना हो वहां पर सामूहिक अर्थ दंड लगाने की मंत्री जी व्यवस्था करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह तो घोषित नीति है, जहां ऐसा होगा वहां जरूर करेंगे । वैसे भी इसमें मृतकों को ५-५ हजार रुपए दिया गया है। हरिजनों की सुरक्षा के लिए पी० ए० सी० तथा पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं ।

श्री नेम सिंह चौहान--

अगर हरिजन कहीं किसी को मार डालें तो वहां पर भी हरिजनों पर सामूहिक जुर्माना लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका हाईपोथेटिकल सवाल है..।

(व्यवधान)

प्रश्न सशर्त नहीं हुआ करते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मेमोरेन्डम में हरिजनों ने क्या-क्या मुख्य मांगें की हैं, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि इन मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

२२-९-७७ को डी० एम०, बाराबंकी से इस पर आख्या मांगी गई है तथा सिंचाई विभाग से भी, चूंकि इसमें शारदा सहायक का सम्बन्ध है, आख्या मांगी गयी है ।

श्री मन्नू राम--

जो हरिजन व्यक्ति वहां घायल हुए हैं, उनके राहत-कार्य के लिए उनके लिए धन की स्वीकृति भी आप कर रहे हैं या नहीं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या इस मामले में गैर हरिजनों की तरफ से भी कोई रिपोर्ट लिखाई गई है, यदि हां, तो किस धारा में लिखाई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मैंने निवेदन किया कि मृतकों को विधवाओं को ५-५ हजार रुपया तथा तीनों घायलों को उपचार हेतु ५-५ सौ रुपय की व्यवस्था की गई है ।

श्री अध्यक्ष--

यह उनके प्रश्न का उत्तर नहीं है, उनका प्रश्न है कि क्या गैर हरिजनों न भी कोई रिपोर्ट लिखाई है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

गैर हरिजनों ने कोई एफ० आई० आर० नहीं लिखाई है ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

इन मरे हुए पशुओं के हेतु हुए झगड़ों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी मरे पशुओं को ठेके पर उठवाने की व्यवस्था करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जो ज्ञापन आपको दिया गया, उसमें न्यायिक जांच की मांग की गई है, तो न्यायिक जांच कराने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है, जिससे इस समस्या का निदान हो सके ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

इसमें जो अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई और मुकदमा चल रहा है इसलिए कोई न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

इसे देखते हुए कि इस पूरे काण्ड में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों पहलू शामिल हैं, इस मामले में जूडिशियल इंक्वायरी एप्वाएन्ट करने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

यह एक काण्ड विशेष है, इसके बारे में एक केस है । इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, इसलिए इसमें इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसके उत्तर में बताया गया है कि झगड़ा होने का मुख्य कारण है मरे हुए जानवरों का न उठाना, आम झगड़े इसी कारण हुआ करते हैं। तो क्या मंत्री जी इस तरह का कोई निर्देश जारी करेंगे, जिसमें किसी जाति विशेष के व्यक्ति को मरे हुए पशुओं को उठाने के लिए बाध्य करना दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया जाए ? और जैसे नगरपालिकाओं में व्यवस्था है, मरे जानवरों को उठाने की, वैसी ही क्या ब्लाक स्तर पर कोई व्यवस्था की जाएगी कि यदि किसी गांव में कोई पशु मर जाए, तो ब्लाक की ओर से उसके उठाने की व्यवस्था की जाए ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

जैसी म्युनिसिपैल्टी में व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था गांवों में करने पर विचार हो रहा है ।

*८--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

ग्राम देल्हूपुर, प्रतापगढ़ के डाक्टर सुरेश चन्द्र पाण्डेय की गोली मारकर हत्या

*९--रामदेव दुबे--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के मान्धाता थाना के देल्हूपुर बाजार में १९७७ में डा० सुरेश चन्द्र पाण्डेय की निर्मम हत्या गोली मारकर कर दी गई ? यदि हां, तो आज तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की, कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, और कितने फरार हैं ? यदि हत्या का रहस्योद्घाटन अभी तक न हुआ तो क्या सरकार सी० आई० डी० जांच की व्यवस्था तुरन्त करेगी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १५-१-७७ को रंजिश के कारण डा० सुरेश चन्द्र पाण्डेय, निवासी ग्राम देल्हूपुर, बाजार थाना मान्धाता की गोली मारकर हत्या कर दी गई । इस सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या ३/७७ धारा ३०२/३९४ भारतीय दण्ड विधान अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना के बाद चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए । कोई अभियुक्त फरार नहीं है । तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गए हैं । एक अभियुक्त अभी जेल में है जिसकी कार्यवाही शिनाख्त होनी है । सी० आई० डी० जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री रामदेव दुबे--

क्या माननीय मंत्री जी बताएगें कि रंजिश किस प्रकार की थी, सिर्फ राजनीति सम्बन्धी थी या कोई दूसरे सम्बन्ध की रंजिश थी ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

यह जो एफ० आई० आर० सुरेश चन्द्र पान्डेय की हत्या की लिखायी गयी इसमें पुरानी रंजिश का ही जिक्र है ।

श्री राम देव दुबे--

क्या माननीय मंत्री बताएगे कि यह जो रंजिश दिखायी गयी है, पुरानी रंजिश है, तो इसके पूर्व सम्बन्धित थाने में कोई कार्यवाही की है या कोई रिपोर्ट हुई है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, इसके पूर्व ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी है ।

श्री रामदेव दुबे--

कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए और उनका पता क्या है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

जमील पुत्र बराती, निवासी ग्राम मलाका थाना नवाबगंज जनपद इलाहाबाद तथा बुद्ध पुत्र मिनहाज निवासी दुबाही थाना मऊ आइमा, जनपद इलाहाबाद, इकबालुद्दीन निवासी ग्राम खमी थाना मानधाता जनपद प्रतापगढ़ ।

*१०--श्री ऊदल तथा श्री रियासत हुसैन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

शाहजहांपुर के ग्राम बरी प्रसिद्धपुर तथा नगला देहा एतमाली के हरिजनों को, आवंटित भूमि पर कब्जा सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*११--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर की ग्राम सभा बरी प्रसिद्धपुर व नगला देहा एतमाली के दो दर्जन हरिजन परिवारों को उक्त ग्रामों के कुछ सशस्त्र गुन्डों ने अत्यधिक मारा और उनकी सभी आवंटित भूमि छीन ली जिसकी मौखिक एवं लिखित शिकायत जुलाई, १९७७ में जिलाधिकारी से उन लोगों ने की और जिस पर जिलाधिकारी ने अविलम्ब कार्यवाही करने के लिए पुलिस को आदेश दिए ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने इन असहाय हरिजनों की सहायता की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि जिला शाहजहांपुर के ग्राम बरी प्रसिद्धपुर तथा नगला देहा एतमाली के दो दर्जन हरिजन परिवारों को उक्त ग्राम के कुछ सशस्त्र गुन्डों ने मारा।

दिनांक १३-७-७७ को ग्राम बरी प्रसिद्धपुर के कतिपय हरिजनों ने एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी शाहजहांपुर को इस आशय का दिया था कि कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है । जिलाधिकारी ने इस पर पुलिस अधीक्षक को उचित कार्यवाही हेतु लिखा । क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा परगनाधिकारी ने सम्बन्धित क्षेत्र का दौरा करके जांच की। नायब तहसीलदार तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष बरी प्रसिद्धपुर, नाला तथा रपड़ा ग्रामों में गये और हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को पट्टों का कब्जा दिलाया । जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक स्वयं भी दिनांक २१-८-७७ को ग्राम बरी प्रसिद्धपुर इत्यादि गये और हरिजनों की समस्याओं को सुलझाया । जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में स्थानीय पुलिस ने हरिजनों की समुचित सहायता की ।

श्री मोहम्मद रफी खां--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि इन हरिजनों की जमीन पर जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया था, उनके नाम और पते क्या हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

इसमें तीन तरह के लोग थे । वह हरिजन जिन्हें कब्जा मिल चुका है तथा उस भूमि पर बराबर कब्जा बनाये हुए हैं । दूसरे, वह हरिजन परिवार जिन्हें कब्जा मिला परन्तु सवर्णों न जो कि पूर्व में इस भूमि पर काबिज थे, ने बलपूर्वक कब्जा ले लिया । तीसरे, वह हरिजन परिवार जिनकी निजी भूमि अभी तक नापी नहीं गयी है तथा कब्जा भी नहीं मिल पाया है । इसमें गूजर और यादव जाति के लोग थे । उनके नामों की सूची की जानकारी नहीं है ।

श्री मुहम्मद रफी खां--

माननीय मुख्य मंत्री ने सवाल के जवाब में लिखा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार सही नहीं पाया गया, एक तरफ कहते हैं कि क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा

परगनाधिकारी ने जांच की । दूसरी तरफ कहते हैं कि प्राप्त सूचना के अनुसार सही नहीं पाया गया, यह नहीं कहते हैं कि जांच के आधार पर सही नहीं पाया गया, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री सैटिस्फाईड हैं इस जवाब से ?

श्री अध्यक्ष--

यह मत का सवाल है । सूचना जो जांच के आधार पर दी है, इसका उत्तर दें ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सब गये हैं, उन्होंने जो कुछ जाकर देखा है, उसके द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर रिपोर्ट देते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हरिजनों को दुबारा कब्जा दिया गया तो इससे स्पष्ट है कि उनसे कब्जा ले लिया गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कब्जा किया था उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, डी० एम० और एस० पी० वहां पर गये थे और उन्होंने इन हरिजनों को कब्जा दिलवाया और उन सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और उन पर कार्यवाही की जावेगी ।

गाजीपुर जिले के ग्राम मुड़ियार के श्री राजनाथ यादव की हत्या

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)--

*१२--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुड़ियार, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर में दिनांक ९-७-७७ की रात श्री राजनाथ यादव नामक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट थाना सैदपुर में दिनांक १०-७-७७ को दर्ज हुई ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ? अभी तक अपराधी पकड़े गए या नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मुड़ियार, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर में दिनांक ९-७-७७ की रात में श्री राजनाथ यादव की हत्या के सम्बन्ध में मृतक की पुत्री द्वारा थाना सैदपुर में दिनांक १०-७-७७ को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी कि उसके पिता प्रतिदिन किन्ना राम बाबा के मठ पर मेहनत करने जाया करते थे । दिनांक ९-७-७७ की शाम को मठ पर मेहनत करने गये तथा रात में वापस नहीं आये । सुबह जाकर देखा तो उसके पिता की लाश कटी पड़ी थी । इस पर अभियोग अ० सं० १४०, धारा ३०२ भारतीय दंड विधान अंकित कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामांकित नहीं किया गया था । समुचित साक्ष्य के अभाव में अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है । अपराध विशेष अनुसंधान दल के विवेचनाधीन है ।

श्री अवधेश नरायन--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक श्री रामनाथ यादव के परिवार के सदस्यों तथा जनता पार्टी के अन्य कई कार्यकर्ताओं ने कोई

प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजा है कि स्थानीय पुलिस अपराधियों से मिली है और उससे किसी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, शिकायती प्रार्थना-पत्र में निम्न आरोप लगाये गये थे :—

१—यह कि जब मृतक की लड़की थाना सैदपुर में रिपोर्ट लिखाने गयी तो सही रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तथा अपराधियों को बताने के बावजूद भी अज्ञात रिपोर्ट दर्ज की गयी ।

२—यह कि मृतक के भतीजे को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया और उसके पास से हत्या करने का हथियार भी बरामद हुआ अन्य अपराधी भी प्रकाश में आये परन्तु उन्हें छोड़ दिया गया ।

शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक, श्री सुरेश चन्द्र धुसिया द्वारा की गयी तथा उन्होंने दिनांक २०-९-७७ को जांच समाप्त की ।

श्री अवधेश नरायन—

जिस पुलिस अधीक्षक की बात कही जाती है क्या उनके विरुद्ध भी प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाये गये हैं कि वह अपराधियों से मिले हुए हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है ।

श्री अवधेश नरायन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २३-८-१९७७ को "जनवार्ता" अखबार में इस हत्या के बारे में समाचार निकला था, जिसमें इस हत्याकांड पर प्रकाश डाला गया है ? तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, इस प्रार्थना-पत्र के आने के बाद, जो माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम भेजा गया है, वह स्थानीय पुलिस से हटाकर अपराध अनुसंधान दल को सौंप दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जो दूसरी रिपोर्ट है, वह बहुत ही गम्भीर है उसके आधार पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी है और मुकदमा कायम किया गया है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

अपराध अनुसंधान दल जब अपनी रिपोर्ट दे देगा और जांच पूरी कर ली जायगी तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अवधेश नरायण—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जिले में विशेष अनुसंधान शाखा होती है, वह जिला पुलिस के अधीन होती है, इसलिए सी० आई० डी० से करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर तो दे दिया गया है कि अनुसंधान शाखा से जांच करवाई जा रही है ।

श्री अवधेश नरायन—

यह विशेष अनुसंधान शाखा जिला पुलिस के अन्तर्गत होती है और उन्हीं के खिलाफ आरोप हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि सी० आई० डी० से इसकी जांच कराई जाय ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

इस पर विचार किया जायेगा ।

*१३—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[९वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अल्मोड़ा जिले के ग्राम बज्यौली पट्टी तल्ला लखनपुर में पेय जल योजना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

*१४—क्या सरकार को मालूम है कि जिला अल्मोड़ा में ग्राम बज्यौली पट्टी तल्ला लखनपुर में अब तक कोई भी पेयजल का प्रबन्ध नहीं हो सका है और क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में १९७५-७६ तथा ७७ में उक्त ग्रामवासियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को कई प्रार्थना-पत्र दिए गए हैं । यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ।

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

ग्राम बज्यौली पट्टी तल्ला लखनपुर जनपद अल्मोड़ा के लिये अभी तक कोई पेयजल योजना नहीं बनाई गई है ।

ग्राम बज्यौली के ग्राम वासियों द्वारा ८-१०-७५ को अधीक्षण अभियन्ता २२वां मंडल, उ० प्र० जल निगम को लिखा गया कि उनके ग्राम को भी निकटवर्ती ग्राम पेटशाल के लिये कार्यान्वित की जा रही योजना से जल दिया जाय । इस सम्बन्ध में उन्हें सूचित किया गया कि जब तक पेटशाल पेयजल योजना का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता उनके सुझाव पर कार्यवाही करना सम्भव नहीं है क्योंकि पेटशाल पेयजल योजना के श्रोत पर विवाद न्यायालय में अनिर्णित पड़ा है अतः योजना अपूर्ण है । इसके अतिरिक्त कोई अन्य पत्र ग्रामवासियों से वर्ष १९७७ में प्राप्त नहीं हुआ है ।

आगरा जिले के ग्राम ओलेन्डा के श्री चन्दन सिंह का अपहरण

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

*१५—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम ओलेंडा, थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा के निवासी श्री चन्दो उर्फ चन्दन सिंह पुत्र श्री लाला राम का अपहरण दिनांक ८-५-७६ को हुआ था, जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना फतेहपुर सीकरी, आगरा में १८-५-७६ को की गई थी ? क्या सरकार को मालूम है अभियुक्त स्वतन्त्र घूम रहा है परन्तु पुलिस उसे पकड़ने में असमर्थ प्रतीत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सियाराम, निवासी ग्राम ओलेन्डा ने दिनांक १८-५-७६ को थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा पर सूचना दी कि चन्दो उर्फ चन्दन सिंह ११ दिन पहले मेला देखने के बहाने गया था तभी से घर नहीं आया है। इस सूचना पर थाने पर दरयाफ्त-हाल दिनांक १८-५-७६ को कायम हुआ और तलाश प्रारम्भ की गई। सूचना में किसी को नामजद नहीं किया गया था। दिनांक ७-८-७६ को वादी ने एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें अपने गांव के पूरन काछी पर इस सम्बन्ध में संदेह प्रकट किया गया था। उक्त पूरन काछी को थाने पर बुलाकर पूछतांछ की गई। पूछतांछ से कोई जानकारी न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। उक्त मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

फैजाबाद जेल के राजनीतिक बन्दियों पर हमले से संबन्धित जांच रिपोर्ट

*१६—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद) तथा श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १७ जनवरी, १९७५ को फैजाबाद जेल में कुछ राजनैतिक बन्दियों पर अकारण हमला किया गया जिसकी न्यायिक जांच का आदेश पूर्ववर्ती सरकार ने दिया था ? यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूरा हुआ ? यदि नहीं, तो इस सन्दर्भ में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कारागार मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां।

उक्त घटना की न्यायिक जांच का कार्य पूरा हो गया है। जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

रायबरेली जिले के ग्राम सातनपुरवा निवासी श्री अहमद हुसेन द्वारा थाने पर दर्ज करायी गयी चोरी की रिपोर्ट

*१७—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद रायबरेली के ग्राम सातनपुरवा, थाना शिवरतनगंज में अहमद हुसैन वल्द फकीर बख्श के घर पर दिनांक १/२-८-७७ को चोरी की घटना घटित हुई और एक चोर को गिरफ्तार भी किया लेकिन जब चोर को लेकर गांव के अन्य लोग थाने पर रिपोर्ट लिखाने गए तो थानेदार ने शकील अहमद पुत्र अहमद हुसेन (शिकायतकर्ता) को दफा १४७, ३२३, ३०८ तथा ३४२ में बन्द कर दिया जिसकी मुख्य मन्त्री से शिकायत रजिस्ट्री डाक द्वारा १८-८-७७ को की गयी ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

श्री शकील अहमद पुत्र अहमद हुसेन ने थाना शिवरतनगंज, जिला रायबरेली पर दिनांक २-८-७७ को दिन में १०-३० बजे यह लिखित रिपोर्ट अंकित करायी कि १/२-८-७७ की रात लगभग १२ बजे उसकी चक्की के अन्दर से खटपट की आवाज आयी। देखा कि गांव के निवासी खलील व जाहिद अली तथा भुल्लर चक्की के पुर्जे खोल रहे हैं। शोर मचाने पर वह लोग भागे परन्तु खलील को मार पीट कर पकड़ लिया। चक्की से चार टीन कड़ुआ तेल व एक बोरा सरसों यह लोग उठा ले गये। इस रिपोर्ट के आधार पर अभियोग धारा ४५७/४११/३२३ भा० द० वि० का अपराध संख्या ११७ पर पंजीकृत हुआ।

दूसरी तरफ से मुल्जिम खलील अहमद ने थाने में जबानी सूचना दी कि दिनांक १-८-७७ की रात को जब उसका भाई जाहिद अली ११ बजे बैरहना से रवाना होकर आ रहा था तब कदूस के कारखाने के पास शकील वगैरह ने उसे रंजिशन मारा। वह किसी तरह जान बचाकर घर आया। जब वादी उसको दवा कराने के लिए गांव बंगरा के डाक्टर के यहां ले जा रहा था तब शकील, कुतबुल, नन्हें, गुच्छन, गुज्जन और अख्तर लाठी डंडा से मारने लगे। इसी बीच भाई भाग गया और वे लोग वादी को पकड़ कर शकील की चक्की पर ले गये और बन्द कर दिया। इस सूचना के आधार पर धारा १४७/३२३/३०८/३४२ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक क्रास केस अपराध संख्या ११७ए पर दर्ज किया गया। मुकदमा अपराध संख्या ११७ के खलील अहमद व मुकदमा अपराध संख्या ११७ए के सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

विवेचना से मु० अ० सं० ११७ झूठा पाया गया। अतः इसमें २५-८-७७ को अंतिम रिपोर्ट लगाई गई। मु० अ० सं० ११७ए विवेचना से सही पाया गया अतः इसमें शकील आदि के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई, जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप असत्य पाये गये।

कानपुर मेडिकल कालेज के कैम्पस में कार दुर्घटना

*१८—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज कैम्पस, कानपुर के अन्दर ५-११-७५ को कार नं० यू०पी०जी० ७३७० तथा १७-३-७७ को कार नं० एम० आर० जी० ३८०६ से क्रमशः तथा दो छात्रायें दो छात्र दबकर घायल हुए ? यदि हां, तो ये घटनाएं किन परिस्थितियों में हुयीं तथा सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट किस थाने में की गयी ? घायलों का इलाज कहां-कहां हुआ और उस पर पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ५-११-७५ को मेडिकल कालेज कानपुर के एक डाक्टर की कार संख्या यू० पी० जी० ७३७० का ब्रेक फेल हो जाने के कारण मेडिकल कालेज कैम्पस गेट से टकराने व वहां से गुजर रही दो छात्राओं के घायल हो जाने के बारे में थाना स्वरुप नगर (कानपुर) पर उसी डाक्टर द्वारा सूचना दी गई। घायलों को स्वयं डाक्टर ने लाला लाजपतराय अस्पताल में भर्ती कराया।

जांच से उक्त घटना आकस्मिक पाई गई।

इसी प्रकार दिनांक १७-३-७७ को लाला लाजपतराय कानपुर अस्पताल के एक डाक्टर ने इस आशय की सूचना थाना स्वरुप नगर पर दी कि आज वे अस्पताल से घर जा रहे थे तो सड़क पर कई व्यक्ति सायकिल से आ रहे थे। उन्होंने जब हार्न बजाया तो वे व्यक्ति आपस में लड़खड़ाये और कुछ लोग बाईं ओर मुड़ गए। दो लड़के अचानक दांई ओर मुड़े और उनकी गाड़ी से टकरा कर गिर पड़े। एक सूचना इसी घटना के बारे में घायल व्यक्तियों की ओर से भी दी गई थी। ये दोनों सूचनायें रोजनामचा आम में दर्ज की गई और विवेचना शुरु की गई।

इन घायलों को स्वयं डाक्टर ने लाला लाजपतराय अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच से यह घटना भी आकस्मिक ज्ञात हुई।

मुजफ्फरनगर के गोली काण्ड में मृतकों की संख्या

*१९--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९७६ में मुजफ्फरनगर गोली काण्ड में कितने व्यक्ति मारे गए और जिलाधीश व अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव---

नवम्बर, १९७६ में मुजफ्फरनगर मे कोई फायरिंग नहीं हुई। माह अक्तूबर, १९७६ में जनपद मुजफ्फरनगर में हुई फायरिंग के फलस्वरूप १७ व्यक्ति मरे।

तत्कालीन जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से स्थानान्तरित कर दिये गये। मामले की न्यायिक जांच हो रही है।

जेलों में सुधार के लिए विचाराधीन योजनाएं

*२०--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जेलों के सुधार के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उसका कार्यान्वयन कब तक किया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां, जेलों के सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं शासन के विचाराधीन हैं, जिनका विवरण संलग्न है।

इनमें से भवनों की मरम्मत इत्यादि की योजना पर कार्य हो रहा है, स्वच्छ शौचालय (पी० आर० ए० टाइप) के निर्माण पर इस वर्ष कार्य शुरु होगा, भोजन व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयत्न हो रहे हैं तथा कृषि एवं उद्योगों की प्रोन्नति हेतु निगम बनाने पर विचार विमर्श हो रहा है।

*२१--श्री मोहन सिंह (रायबरेली)--

[७ वे मंगलवार के लिए स्थगित।]

*२२--श्री मोहन सिंह (रायबरेली)--

[७ वे मंगलवार के लिए स्थगित।]

श्री बलदेव सिंह निवासी परसदेपुर, फतेहपुर द्वारा लिखाई गयी डकैती की रिपोर्ट

*२३--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर, थाना कल्यानपुर के ग्राम परसदेपुर में श्री बलदेव प्रसाद व अन्य ५ घरों में २१/२२-८-७७ को डकैती पड़ी ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बलदेव सिंह, निवासी परसदेपुर, थाना कल्यानपुर, जिला फतेहपुर ने थाना कल्यानपुर पर दिनांक २२-८-७७ को सूचना दी की

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६१ पर।)

श्री रामनरेश यादव--

कि बीती रात में २ नामजद तथा ८-९ अज्ञात बदमाश प्रार्थी के घर में घुसे व शोर करने पर वे नकदी, जेवर, कपड़े व बर्तन चुराकर फायर करते हुए भाग गये । इस सूचना पर थाना कल्यानपुर पर एक मुकदमा धारा ४५८/३८० भारतीय दण्ड विधान कायम किया गया तथा विवेचना शुरु की गई । विवेचना के मध्य उक्त मुकदमों को धारा ३९५/३९७ भारतीय दण्ड विधान में परिवर्तित किया गया । प्रथम सूचना में वादी ने किसी अन्य के यहां इस प्रकार की घटना होने का उल्लेख नहीं किया था और विवेचना के मध्य भी ऐसी घटना होने की जानकारी नहीं हुई । विवेचना से नामांकित अभियुक्तों से वादी की पुरानी रंजिश ज्ञात होने के कारण अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है । मुकदमें की विवेचना की जा रही है ।

श्री राम नरायन, निवासी ग्राम पिपरहा खेड़ा, फतेहपुर की हत्या

*२४--श्री जगन्नाथ सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद फतेहपुर, थाना कल्यानपुर के ग्राम पिपरहा खेड़ा मजरे जोगापुर में १७-८-७७ की रात्रि में श्री राम नरायन कुर्मी के यहां डकैती पड़ी परन्तु पुलिस ने डकैती का मुकदमा न दर्ज कर अन्य धाराओं में रिपोर्ट लिखी है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम स्वरुप निवासी, ग्राम पिपरहा खेड़ा मजरे जोगापुर थाना कल्यानपुर, जिला फतेहपुर, ने दिनांक १७-८-७७ को प्रातः थाना कल्यानपुर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि बीती रात में रंजिश वश ३ नामजद तथा ६-७ अज्ञात व्यक्ति असलहा से लैस होकर गांव में आये और राम नरायन को लाठी से मारने लगे । उसे बचाने दौड़ने पर उन लोगों ने राम नरायन पर फायर कर दिया तथा फायर करते हुए भाग गये । उन्होंने यह भी सूचना दी थी कि उक्त राम नरायन की मृत्यु हो गई तथा कुछ को चोटें आई हैं । इस सूचना पर धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२ भारतीय दण्ड विधान का एक मुकदमा कायम कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में डकैती पड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

स्थानीय पुलिस की विवेचना से वादी की तथा नामांकित अभियुक्तों की दुश्मनी प्रमाणित हुई अतः पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई । अब इस मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई ।

'हिल एरियाज न्यूज लेटर' में प्रकाशित लेख 'पीपुल्स इन्वाल्वमेन्ट' के विरुद्ध पत्र

*२५--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'हिल एरियाज न्यूज लेटर' के अप्रैल, १९७७ के अंक में प्रकाशित लेख 'पीपुल्स इंवोल्वमेन्ट' नेसेसरी पर एक अधिकारी ने आपत्ति की है क्योंकि उसमें अधिकारियों की रचनात्मक आलोचना की गयी है ? यदि हां, तो क्या अधिकारी द्वारा तत्सम्बन्ध में प्रेषित-पत्र मन्त्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शोबन सिंह जीना—

'हिल एरियाज न्यूज लेटर' के अप्रैल, १९७७ के अंक में प्रकाशित लेख 'पीपुल्स इन्वोल्वमेन्ट नेसेसरी' के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, कन्सीलियम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से दिनांक २७ जून, १९७७ के पत्र द्वारा इस लेख के आधार के सम्बन्ध में पूछ ताछ की गई थी। इस पत्र की एक प्रति संलग्न है तथा हिन्दी अनुवाद संलग्न है।

*२६—श्री ईशदत्त यादव—

[७वें मंगलवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले के ग्राम भखौली निवासी श्री गया प्रसाद की स्त्री के साथ बलात्कार

*२७—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद के ग्राम भरवौली के गया प्रसाद तेली ने अपनी स्त्री पर हुए बलात्कार के सम्बन्ध में कोई नामजद रिपोर्ट दिनांक २०-८-७७ को उपरोक्त थाने में दर्ज कराई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही स्थानीय पुलिस ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सत्य है कि थाना खंडासा, जनपद फैजाबाद के ग्राम भरवौली के निवासी गया प्रसाद तेली ने अपनी स्त्री पर बलात्कार के सम्बन्ध में नामजद रिपोर्ट दिनांक २०-८-७७ को दर्ज कराई थी। इस सम्बन्ध में अपराध संख्या १६६ धारा ३७६/५११/५०६/३२३ भा० द० वि० का अभियोग थाना खंडासा पर कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचक दिनांक ३०-९-७७ गांव भरवौली गया वहां कोई गवाह तथा गया प्रसाद की पत्नी नहीं मिली। विवेचना अभी जारी है।

*२८—श्री हरिकेवल प्रसाद—

[२७-९-७७ को तारांकित प्रश्न संख्या ३४ द्वारा उत्तरित।]

*२९—श्री गुलाब सेहरा—

[२०-९-७७ को तारांकित प्रश्न संख्या ३ द्वारा उत्तरित।]

*३०—श्री राम सजीवन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

*३१—श्री रमा शंकर कौशिक—

[१०वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६२ पर।)

फैजाबाद जिले के सोहावल क्षेत्र में कतिपय लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना से संबंधित कथित आदेश

*३२—श्री मित्रसेन—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के सोहावल क्षेत्र में तीन लघु उद्योग की इकाइयां—(१) डिटर्जेन्ट पाउडर, (२) एलेक्ट्रोड्स, (३) मिनी-स्टील फोर्जिंग (स्कूटर इंडिया से सम्बन्धित) उद्योग संयुक्त क्षेत्र में लगाने के सम्बन्ध में पूर्वगामी शासन ने स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो क्या अब उन्हें जनपद से हटाए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

फैजाबाद जनपद (सोहावल) में तीनों उद्योगों में से कोई भी उद्योग लघु क्षेत्र में लगाने का निर्णय नहीं लिया गया था, अतः उन्हें वहां से हटाने या उनकी प्रगति का प्रश्न नहीं उठता है ।

*३३—श्री राम सजीवन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

अल्मोड़ा जिले के ग्राम बज्योली पट्टी तल्ला लखनपुर के निवासियों का सिंचाई की सुविधा हेतु प्रार्थना-पत्र

*३४—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला अल्मोड़ा में ग्राम बज्योली पट्टी, तल्ला लखनपुर में अब तक कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गयी है जसके कारण ग्रामवासियों को खेती से जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है और क्या यह भी सही है कि सिंचाई के सम्बन्ध में उक्त ग्रामवासियों ने पिछले वर्षों में कई प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित विभागों को दिए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शोबन सिंह जीना—

जिला अल्मोड़ा में ग्राम बज्योली पट्टी, तल्ला लखनपुर में कोई सिंचाई योजना नहीं है । ग्राम सभा पेटसाल डुंगरी के प्रधान का प्रश्नगत ग्राम में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । प्रारम्भिक सर्वेक्षण के उपरान्त इस क्षेत्र के लिए कोई सिंचाई योजना उपयुक्त नहीं पायी गई ।

*३५—श्री नारायण सिंह भैसोरा—

[८ वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० के लाभ में कमी तथा अधिकारियों द्वारा अफ्रीकी एवं अरब देशों का भ्रमण एवं उनका प्रतिवेदन

*३६—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल ऐन्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० को वर्ष १९७५-७६ में वर्ष १९७४-७५ के मुकाबले लगभग ८ लाख रु० कम लाभ हुआ ? क्या यह सही है कि इस अवधि में उसकी कुल आय लगभग २५ लाख रुपए अधिक हो गयी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राम प्रकाश--

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० को वर्ष १९७५-७६ में वर्ष १९७४-७५ के मुकाबले ३.३३ लाख रुपये कम लाभ हुआ। इस अवधि में निगम की कुल आय २५.४२ लाख रुपये अधिक हो गई। निगम की आय में वृद्धि का कारण, सावधिक ऋणों और सावधिक जमा से १९७४-७५ की अपेक्षा १९७५-७६ में अधिक ब्याज की प्राप्ति एवं प्रोसेस फी, कमिटमेन्ट चार्ज व अभिगोपन से अधिक आय का होना है। उक्त अवधि में आय वृद्धि के बावजूद लाभ में कमी का कारण आय की अपेक्षा व्यय में वृद्धि होना है।

*३७--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष १९७५-७६ में प्रदेशीय इंडस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० के एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने इंगलैण्ड, अमरीका, पूर्वी अफ्रीका के देश तथा कुछ अरब देशों का अधिकृत दौरा किया था ? यदि हां, तो उस दल में कौन-कौन व्यक्ति थे, तथा उनके दौरे पर कुल कितना धन व्यय हुआ तथा उपरोक्त दल ने अपने भ्रमण के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री राम प्रकाश--

वर्ष १९७५-७६ में प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० के तीन अधिकारियों के एक दल ने केवल पूर्वी अफ्रीकी देशों का दौरा किया था। उक्त दल में श्री महमूद बट्ट, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, श्री राम बहादुर सक्सेना, प्रबन्ध निदेशक तथा श्री एम० सी० गोयल, चीफ प्रोजेक्ट आफिसर पिकप सम्मिलित थे। उनके भ्रमण पर कुल ८३.३१७ रुपया व्यय हुआ। इस दल ने भ्रमण के पश्चात् जो प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया, उसकी प्रतिलिपि संलग्न† है।

श्री राम सहाय लाल, संचालक चकबन्दी, गोण्डा का कथित स्थानान्तरण

*३८--श्री दीप नरायन तथा श्री विष्णु प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उप संचालक चकबन्दी, गोण्डा (श्री राम सहाय लाल) का स्थानान्तरण आजमगढ़ से जिला गोण्डा में भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण हुआ था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं।

पिथौरागढ़ जिले में थल-पांखू-धरमधर मार्ग का निर्माण

*३९--श्री नारायण सिंह भंसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थल-धरमधर स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण थल-धरमधर न बनकर थल-कोमन्या बना ? यदि हां, तो स्वीकृत मार्ग पर परिवर्तन हेतु विभाग की स्वीकृति ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री शोबन सिंह जीना--

जिला पिथौरागढ़ में थल-पांखू धरमधर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जनवरी, १९७५ में शासन द्वारा ५४ लाख रुपये की लागत पर प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। मार्ग थल से धरमधर तक बनेगा जैसा कि स्वीकृत है। इस मार्ग के लिए दो समरेखणों पर सर्वेक्षण किया गया था। उनमें से विस्तृत आगणन में, जो स्वीकृत लागत के अन्दर ही है, थल से पांखू व कोटमन्या होते हुए धरमधर तक का समरेखण तकनीकी व उपयोगिता के दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया। कोटमन्या से धरमधर तक वर्तमान वन विभाग की सड़क के सुधार का प्राविधान भी इस आगणन में है।

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर जिले के जगजीतपुर निवासी श्री रामनाथ जौहरी का अपहरण

१--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १०-६-७६ को सहारनपुर जिले के ज्वालापुर निवासी श्री कुन्दन लाल जौहरी द्वारा अपने पुत्र श्री रामनाथ जौहरी को कुछ लोगों द्वारा लापता कर दिए जाने से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट थाना ज्वालापुर में लिखाई है? यदि हां, तो उस सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुन्दन लाल जौहरी, निवासी जगजीतपुर थाना ज्वालापुर, जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक १०-६-७६ को थाना ज्वालापुर पर एक लिखित तहरीर दाखिल की गई, जिसमें उसके पुत्र श्री रामनाथ जौहरी के दिनांक ९-५-७६ से लापता होने एवं इसके ६ माह पूर्व उसे (रामनाथ जौहरी) कुछ व्यक्तियों द्वारा उठा ले जाये जाने और मार पीट कर छोड़ दिये जाने का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त तहरीर में वादी के दूसरे पुत्र श्री सोम प्रकाश जौहरी की कुछ व्यक्तियों से रंजिश होने की बात का भी उल्लेख किया गया था।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना ज्वालापुर पर धारा ३६४ भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीकृत किया गया। अभी तक की विवेचना से खोये हुये व्यक्तियों का पता नहीं लग सका है। अभियोग की विवेचना और अधिक गहराई से करने तथा लापता श्री रामनाथ जौहरी के विषय में खोजबीन करके वास्तविकता का पता लगाने के आदेश स्थानीय पुलिस को दिये गये हैं।

श्री जयपाल निवासी, ग्राम रहुला, हरदोई पर चलाई गयी गोली की घटना

२--श्री गुरुप्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई, ग्राम रहुला, तहसील व थाना बिलग्राम में दिनांक १४-१२-७६ को श्री जयपाल नामक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई जिसकी रिपोर्ट थाना बिलग्राम में उसी दिन लिखाई गई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव--

श्री जयपाल निवासी ग्राम रहुला, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई ने गांव के चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मार डालने की नियत से सशस्त्र हमला करके

घायल करने के बारे में दिनांक १४-१२-७६ को थाना बिलग्राम पर एक अभियोग धारा ३०७ भारतीय दण्ड विधान का अंकित कराया था ।

इस घटना के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्त भगवानदास दिनांक २९-६-७७ को गिरफ्तार हुआ था किन्तु साक्ष्य की कमी के कारण अभियोग अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त किया गया । अंतिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है ।

बस्ती जिले के खलीलाबाद थाने के थानेदार की बहाली

३—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे की बस्ती जिले के खलीलाबाद थाने के थानेदार को ६ अगस्त, सन् १९७७ ई० को मुअत्तल किया गया और पुनः चार दिन के बाद बहाल किया गया ? इस मुअत्तली और बहाली का कारण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

बस्ती जिला के खलीलाबाद थाने के थानेदार को २९ जुलाई, १९७७ को निलम्बित किया गया था और उसके बाद २० दिन बाद दिनांक १८ अगस्त, १९७७ को बहाल किया गया । उक्त थानाध्यक्ष को उनके द्वारा कस्बा खलीलाबाद के नोटिफाइड एरिया के कुछ कर्मचारीगण के साथ दुर्व्यवहार किये जाने सम्बन्धी आरोप के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था । जांच के फलस्वरूप कथित आरोप प्रमाणित न होने पर उक्त थानाध्यक्ष को पुनः बहाल कर लिया गया ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि० के गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स को हस्तान्तरण के समय टूल्स एण्ड प्लान्ट्स का मूल्य

४—डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि० को गवर्नमेन्ट यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स को दिनांक १५ दिसम्बर, १९७१ को हस्तान्तरित होने की तिथि पर कुल कितने लाख की लागत का टूल एण्ड प्लान्ट्स का सामान दिया गया और वित्तीय वर्ष १९७६-७७ ई० तक कुल कितने लाख का टूल एण्ड प्लान्ट्स का सामान अवशेष रहा है ?

श्री राम प्रकाश—

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि० को गवर्नमेन्ट यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स का दिनांक १५ दिसम्बर, १९७१ को, हस्तान्तरित होने की तिथि पर, टूल्स एण्ड प्लान्ट्स का सामान, मूल्य २४,००० रु० दिया गया । वर्ष १९७६-७७ तक, ७,९३२ रु० मूल्य का टूल्स एण्ड प्लान्ट्स का सामान राजकीय उ० प्र० हस्तकला, लखनऊ कार्यालय स्तर पर अवशेष रहा जिसको अब ह्रासित मूल्य ४,६८५ रु० रह जाता है जो उक्त कार्यालय के उपयोग में है ।

इलाहाबाद जिले के सिराथू क्षेत्र में उद्योग स्थापना की मांग

५—श्री ब्रजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के सिराथू क्षेत्र में इस वर्ष १९७७-७८ में किन-किन उद्योगों को लगाने का सरकार का विचार है ?

श्री राम प्रकाश--

वर्ष १९७७-७८ में जनपद इलाहाबाद के सिराथू क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत किसी उद्योग के स्थापित करने का विचार नहीं है।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष १९७७-७८ में इलाहाबाद जनपद में ६० नई लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र के उद्यमियों से कालीन, लकड़ी के फर्नीचर, ब्रेन्डका, चर्म उद्योग, अल्युमिनियम के बर्तन का उद्योग, एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स, आयल मिल तथा अन्य लघु उद्योग चलाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इलाहाबाद जनपद में मध्यम व बृहत् उद्योगों की स्थापना हेतु १२ आशय पत्र तथा ४ अनुज्ञा पत्र निर्गत किये गये हैं। इन उद्योगों की स्थापना से यह आशा है कि सिराथू क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकेगा।

लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्णीत मामले

६--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के तीनों लोक सेवा अधिकरणों में १ जून, १९७७ तक राज्य कर्मचारियों के कितने मामले दाखिल किए गए और उनमें से कितने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णीत हुए ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के आधार पर तीनों लोक सेवा अधिकरणों में १ जून, १९७७ तक राज्य कर्मचारियों के २५२५ नये वाद दाखिल किये गये तथा २३८७ पुराने वाद अधीनस्थ न्यायालयों से हस्तानान्तरित होकर आये। इस प्रकार कुल ४९१२ वादों में से कुल ११२१ मामले निर्णीत हुए जिनमें ३६६ मामले कर्मचारियों के पक्ष में निर्णीत हुए।

पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टरों एवं कान्सटेबिलों को वाहन भत्ता

७--श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत सब-इन्सपेक्टरों व कां० टेबिलों को अपने सर्किल में जाने का कोई वाहन भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री राम नरेश यादव--

पुलिस विभाग के अन्तर्गत थानों पर नियुक्त सब-इन्सपेक्टरों को ३० रु० की दर से मोटर साइकिल भत्ता, अथवा ६० रु० की दर से घोड़ा भत्ता अथवा ४ रु० की दर से साईकिल भत्ता अनुमन्य है। कान्सटेबिल नागरिक पुलिस को अपने सर्किल में वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं है।

हरदोई जिले में डकैती एवं हत्या के अपराधों की संख्या

८--श्री पूरन लाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में मई, १९७७ से १ सितम्बर, १९७७ तक कितने कत्ल व डकैतियों के केस रजिस्टर्ड किए गए तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद हरदोई में ८४ डकैती व ६६ हत्या के अपराध अंकित किये गये और किसी भी अपराध में अब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं लगाई गई है ।

९--श्री रामजी सिंह--

[७वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जौनपुर के मेहरावां स्टेशन के स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट की घटना

१०--श्री रियासत हुसेन--

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७ अगस्त, १९७७ को स्टेशन मास्टर, मेहरावान उ० रे०वे, जिला जौनपुर के साथ हुई घटना की नामजद रपट आठ मुल्जिमों के विरुद्ध थाना सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर में अंकित कराई गई ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ७ अगस्त, १९७७ को मेहरावां स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने थाना सरायख्वाजा पर इस आशय की सूचना दी कि ड्यूटी समाप्त होने पर जब वह उस दिन घर जा रहे थे तो रास्ते में सात नामांकित व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया और मारने लगे । यह भी सूचना दी गई थी कि उनके चिल्लाने की आवाज पर कुछ लोग वहां आ गये तो अभियुक्तगण भाग गये । इस सूचना पर एक मुकदमा धारा 147/323 भारतीय दण्ड विधान के अधीन थाना सरायख्वाजा पर कायम किया गया और विवेचना शुरू की गई । सभी नामांकित अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । साक्ष्य के अभाव में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय के विचाराधीन है ।

भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्री राम आसरे के विरुद्ध जिलाधिकारी, फैजाबाद का आरोप-पत्र

११--कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, फैजाबाद (श्री सच्चिदानन्द पान्डे) का कोई पत्र अप्रैल, १९७७ में जो भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर (श्री राम आसरे) के सम्बन्ध में अनियमित राशन कार्ड एवं अवैधानिक आवंटित मकान में रहने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या आरोप लगाए गए हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां, उस पत्र में श्री राम आसरे प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर पर फैजाबाद में मकान खाली करने के आदेशों के विरुद्ध इलाहाबाद में कोई आवास आवंटित न होने का झूठा हलफनामा दाखिल करने तथा फैजाबाद और इलाहाबाद के आवासों के नाम से दो राशन कार्ड बनवाने और एक ही अवधि में उन राशन कार्डों पर राशन लेने के आरोप लगाये गये थे । इन आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है ।

१२—श्री राज किशोर तिवारी—

[दबें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

बिजनौर जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत हत्या, डकैती एवं राहजनी की संख्या

१३—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना स्योहारा व थाना नूरपुर व थाना चान्दपुर, जनपद बिजनौर में जनवरी, १९७६ से अगस्त, १९७७ तक कितने लोग कत्ल किए गए और कितनी डकैती व राहजनी की घटनाएं हुयीं और १९७५ में उपरोक्त मामलों का विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में वांछित सूचना निम्न प्रकार है—

जनवरी, १९७६ से अगस्त, १९७७ की अवधि में

	थाना स्योहारा	थाना नूरपुर	थाना चांदपुर
हत्या	८	४	१३
डकैती	१	..	१३
राहजनी	६	१	१४
	वर्ष १९७५		
हत्या	१४	२	१०
डकैती	१	२	५
राहजनी	८	३	५

स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर का कार्यालय तथा अधिकारियों द्वारा मशीनों के क्रय हेतु विदेशों का भ्रमण

१४—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर) —

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि० के डाला, चुर्क तथा कजरहट चुनार इकाइयों के कितने कार्यालय जनपद मिर्जापुर के बाहर हैं ? वे कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उन कार्यालयों पर कुल कितना-कितना रुपया वार्षिक व्यय होता है और कितने अधिकारी/कर्मचारी तथा आवागमन के साधन वहां पर हैं तथा उनकी उपयोगिता क्या है ?

श्री राम प्रकाश—

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर के बाहर केवल दो कार्यलय हैं । उनके प्रश्नगत विवरण संलग्न तालिका *'क' में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७६३ पर)

१५—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि० डाला, चुर्क तथा कजरहट चुनार इकाइयों के लिए मशीनों के क्रय हेतु कौन-कौन से अधिकारी कब-कब किन-किन देशों का भ्रमण किए हैं और उन पर निगम का कितना रुपया व्यय हुआ तथा उनमें कौन-कौन से गैर तकनीकी अधिकारी हैं और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा उनकी क्या उपयोगिता थी ?

श्री राम प्रकाश—

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर की इकाईयों के लिये मशीनों के क्रय हेतु जिन अधिकारियों न जिन देशों का भ्रमण किया उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिये गये हैं ।

फर्रुखाबाद जिले में थानेवार कत्ल, डकैती एवं राहजनी का विवरण

१६—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७५-७६ और १९७६-७७ में जिला फर्रुखाबाद के थानेवार कत्ल, डकैती और राहजनी की संख्या क्या रही और इनके रोकने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गए ?

श्री राम नरेश यादव—

वांछित सूचना संलग्न है ।

प्रश्नगत अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों की सूची तैयार कर उन पर व ऐसे लोगों को पनाह देने वालों पर कड़ी नजर रखी जाती है। जनरल गश्त का प्रबन्ध, बदमाशों के आवागमन के रास्तों पर कड़ी निगरानी व पिकेटिंग लगाये जाने तथा हिस्ट्रीशीटर की निगरानी रखने की व्यवस्था की गई । जनता का सहयोग प्राप्त करने, अवांछनीय लोगों के अग्नेयास्त्र के लाइसेन्स निरस्त कराये जाने, खतरनाक पार्टी बन्दी को दूर करने और उन्हें कानूनी नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है ।

आपात स्थिति के दौरान श्री संजय गांधी द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों का उद्घाटन

१७—कुंवर तेज भान सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि आपात स्थिति के दौरान उ० प्र० में श्री संजय गांधी ने किन्हीं सरकारी प्रतिष्ठानों का उद्घाटन किया था ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

१८—श्री राम दत्त जोशी—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ ७६५ पर।)
(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७६६ पर ।)
(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७६७ पर।)

१९--श्री राम दत्त जोशी--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

जिला कारागार, सुल्तानपुर के अतिरिक्त बन्दी रक्षक पर लगाया गया जुर्माना

२०--श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)--

१ नवम्बर, १९७६ के तारांकित प्रश्न सं० ५७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला कारागार, सुल्तानपुर के अतिरिक्त रक्षक (रंजित राम) पर लगाए गए एक-चौथाई वेतन के जुर्माने के आदेश कब दिए गए, जुर्माने की धनराशि उसके वेतन से कब काटी गयी तथा खाते में वह धनराशि कब जमा की गयी ? यदि अब तक नहीं जमा की गयी, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जिला कारागार सुल्तानपुर के अतिरिक्त बन्दी रक्षक रंजित राम पर लगाये गए एक-चौथाई वेतन के जुर्माने के आदेश दिनांक २०-४-१९७६ को दिये गए ।

जुर्माने की धनराशि दो किश्तों में बन्दी रक्षक के माह मई व जून, १९७६ के वेतन से घटाकर बिल बनाया गया, अतः उसे खाते में जमा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नैनी (इलाहाबाद) रेल दुर्घटना में आहत व्यक्तियों के प्रति सम्वेदना

*श्री रामनरेश यादव (मुख्य मन्त्री)--

मान्यवर, यह रेल दुर्घटना बड़ी ही हृदय विदारक और दुखद रही । मैं समझता हूं कि पिछले दो-तीन दशकों में इस तरह की रेलवे दुर्घटना कोई नहीं हुई । हावड़ा से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन थी १०३ अप डीलक्स वह नैनी स्टेशन को पार करके आगे बढ़ी । कुछ दूर जाने के बाद एक मालगाड़ी खड़ी थी । संयोग से या दुर्भाग्य से जो १०३ अप डीलक्स जा रही थी वह जो मालगाड़ी आगे खड़ी थी, उससे टकरा गई और इस तरह से वह दुर्घटना हुई कि जो इंजन था वह मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चला गया । उससे लगी हुई दो बोगियां थीं वह बहुत ही बुरी तरह से ध्वस्त हो गईं । ५ और बोगियां रेल की पटरी से नीचे उतर गईं । उनमें जो यात्री बैठे हुये थे, उस दुर्घटना के परिणामस्वरूप बहुत बुरी तरह से, जो सूचना मिली उसके अनुसार ५३ यात्रियों की मृत्यु हो गई, और घायल भी काफी हुये । अस्पताल में जिन घायलों को दाखिल किया उनकी संख्या ८६ थी । अधिकारियों को सूचना मिली १२ बजकर ४५ मिनट पर जिलाधिकारी तुरन्त सूचना पाने के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचे, एस० एस० पी० मिलिट्री के लोगों को और भी वहां के इन्डिस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स थी, सबको बुलाया गया और लगाया गया । जनता के लोग भी जुटे और जिस प्रकार से सहयोग हो सकता था, उस तरह का सहयोग वहां के लोगों ने किया । रेल कर्मचारियों और अन्य लोगों ने इस बात का प्रयास किया कि किसी तरह से उन घायलों को और मृतकों को निकाला जाय । जो लाशें थीं, उनको काट-काट करके भी निकालना पड़ा । ४७ तो लाशें मिली जो कि डिब्बे से निकाली गईं । अस्पताल में जाने के बाद ४ व्यक्ति पहले मर गये और फिर दो व्यक्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मर गये । इस तरह से कुल ५३ की संख्या मरने वालों की पहुंची । जिस तरह से यात्री घायलावस्था में अस्पतालों में पड़े हुये हैं, मैंने स्वयं जाकर देख अस्पताल में लोगों को, उनकी हालत को भी देखा । कुछ क्षण तो देखने के बाद, जो लोगों की दशा थी कुछ कहा नहीं जाता था । न तो उनसे बातचीत की जा सकती थी । बड़ी दुखद स्थिति थी । मोती लाल नेहरू अस्पताल में मैं गया । वहां पर बिजली नहीं थी । लेकिन घायलों की दशा को देख कर मैंने तत्काल उन लोगों को स्वरूप रानी हास्पिटल भेजा । जहां पर बिजली है । एक्सरे की व्यवस्था है, ताकि जिन लोगों को एक्सरे की आवश्यकता हो, उनका एक्सरे कर चिकित्सा की जा सके ।

उन लोगों को देखने के बाद मैंने अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि किसी भी कीमत पर जो लोग घायल हैं, पैसा या दवाओं के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिये । हर प्रकार से जो भी आप लोगों को कमी हो, शासन सहायता करने के लिए तैयार है । उन्होंने कहा कि ५०० चादरें और ३०० जोड़ी कपड़े उन लोगों के लिए चाहिये जिनके शरीर पर जो खून लगा हुआ था, उनके कपड़ों को बदलने के लिए तथा दवाओं के लिए दस हजार रुपयों की मांग की । मैंने तत्काल ही इन सब चीजों की व्यवस्था करने के आदेश दे दिये । उसी समय मैंने सरकार की तरफ से घोषणा की कि जो लोग मर गये हैं, उनके परिवार के लोगों को ढाई-ढाई हजार रुपये दिया जायेगा तथा जो लोग घायल हुए हैं, उनकी चोटों को देखते हुए एक-एक हजार रुपया दिया जायेगा । जो डिब्बे नीचे गिरे हुए थे, उनको हटाने के लिए क्रेन की व्यवस्था थी । सारे अधिकारी वहां पर लगे हुए थे । रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी आए थे । इन सब बातों के अलावा लोगों का ध्यान इसी ओर था कि किस प्रकार फंसे हुए लोगों को निकाला जाय । अगर कहीं कोई शव फंसा हो, तो उसे भी निकाला जा सके । वहां पर रेल मन्त्री भी आये थे हमारे और आप सब लोगों की सहानुभूति मृतकों के परिवारों के प्रति तथा जो लोग घायल हो गये हैं, उनके प्रति और उनके परिवारों के प्रति सदन की संवेदनायें भेज दी जायें । शासन हर प्रकार से जो लोग घायल हैं, और जो लोग मर गये हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार है । वास्तव में यह जो दुर्घटना हुई, अपने ढंग की अकेली है । जो बहुत ही हृदय विदारक और दिल को दहला देने वाली है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

परसों रात इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान पर जो हृदय विदारक रेल दुर्घटना हुई, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी और पत्रों द्वारा पता चला कि वास्तव में यह दुर्घटना बड़ी हृदय विदारक है । इसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है । श्रीमन्, हम लोगों को कल शाम को पता चला । यह बहुत अच्छा हुआ कि मुख्य मन्त्री जी ने तत्काल अपना वक्तव्य भी दे दिया । मैंने इस सम्बन्ध में शून्य प्रहर की सूचना भी आपको दी थी । यह बहुत अच्छा हुआ कि मुख्य मन्त्री जी ने काफी विस्तार से घटना का ब्योरा दिया तमाम ऐसी बातें पता चलीं जो अखबार के अलावा भी मालूम हुई ।

श्रीमन् ऐसी दुर्घटनायें साधारणतौर से बड़ी ही दुखद होती हैं, इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हमारे प्रान्त में पहले कभी नहीं हुई । दक्षिण में शायद इसी तरह की एक बार दुर्घटना हुई थी, जो इससे किसी भी प्रकार कम दर्दनाक नहीं थी ।

[श्री श्यामधर मिश्र---]

इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें अपने यहां के तमाम लोग और बाहर के लोग जो यहां आये, उनको चोटें आ जायें और काफी लोगों की मृत्यु हो जाये, यह बड़ी ही तकलीफदेह बात हमारे लिये और पूरे देश के लिए होती है। हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और पूरी जनता की जिम्मेदारी भी होती है। माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां पर गये। मैं कहता हूं कि वहां के अधिकारीगण तो लगे ही होंगे, मैं यह नहीं कहता कि वे नहीं लगे होंगे क्योंकि उनका उससे पूरा सम्बन्ध है लेकिन जितनी आर्थिक सहायता या जितना जन धन मुहइया कर सके, यह सरकार उन्हें दे। मैं अपने दल की ओर से, सदन की ओर से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, इस अवसर पर उन परिवारों के लिए जिनको चोटें आई हैं, उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो मृत हो गये हैं, उनके परिवारों के प्रति संवेदना के लिए मैं स्वयं को जोड़ता हूं। मुझे मालूम हुआ अखबार के जरिए से। हमारा बहुत सीधा सम्बन्ध यहां से नहीं है। कुछ काल पहले, तत्काल नहीं, नैनी में यह घटनास्थल बन रहा था और चार साल की बात है कि यहां पर बम्बई मेल की दुर्घटना होते-होते बच गई, कोई यंत्र खराब था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि ५-६ महीने पूर्व इसका प्राविजन रेलवे बजट में रखा गया था, लेकिन वह यन्त्र बदला नहीं गया जिसका नतीजा यह हुआ। अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि सचमुच इसकी विस्तृत रूप से जांच हो जिससे इसकी पुनरावृति न हो। मैं अपनी बात को माननीय मुख्य मन्त्री की संवेदना से जोड़ता हूं और मेरा निवेदन है कि जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको आप हमारी समवेदना भी पहुंचाने की कृपा करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, परसों रात को नैनी में जो डीलक्स ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा, ५३ व्यक्ति मरे और ८६ घायल हो गये हैं। प्रेस में भी ५३ के मरनेकी ही खबर है। मान्यवर, यह दुर्घटना बहुत ही हृदयविदारक है। पिछले दिनों गाजीपुर में छोटी लाइन की दुर्घटना हुई थी। मैं समझता हूं कि वह इससे छोटी थी। आज यह भी पढ़ने को मिला कि सुरक्षा की जो व्यवस्था थी वह ठीक नहीं थी क्योंकि बिजली से सिगनल गिराया जाता है। जिस मालगाड़ी से यह डीलक्स ट्रेन टकरा गई उसका सिगनल गिराया गया लेकिन गाड़ी ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। जिससे डीलक्स ट्रेन जिसकी रफ्तार ६० किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है, टकरा गई। सुरक्षा के लिए तो वहां पर रेलवे के अधिकारी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मिनिस्टर आदि आ गये, वे तो उसको देखेंगे ही लेकिन जितनी सहायता सम्भव हो सकी हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी एलान किया है। मेरा निवेदन उनसे यह है कि अगर कोई और जरूरत हो तो उसको उन्हें करना चाहिए।

क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाएं अगर हो जाती हैं जो हृदय विदारक हैं, लोगों का जन-जीवन चला गया, इसलिये जो कुछ किया गया वह ठीक ही है। तो जो कुछ संभव है, शासन को करना चाहिए, उसके लिए हमारी पूरी सहानुभूति है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि यह राजनीतिक विषय नहीं है, मैं मरे हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हैं उनके प्रति सहानुभूति और परिवारों के प्रति सहानुभूति अपनी ओर से, अपने दल की तरफ से प्रकट करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि जो भावना मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त की उनके साथ हमारी भावनाओं को जोड़ कर उन मृतकों के परिवारों तक हमारी समवेदना और सहानुभूति पहुंचाने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

श्रीमन्, परसों जो नैनी में रेलवे दुर्घटना हुई है उससे प्रदेश के और देश के सैकड़ों परिवार के लोगों को तथा उनके नाते रिश्तेदारों को सख्त तकलीफ हुई है। मान्यवर, इस अवसर पर सरकार की ओर से और उनके उच्च अधिकारियों की ओर से और जनता की ओर से जो राहत मृतकों के परिवारों और घायल व्यक्तियों के लिए दी गयी है वह सामयिक है और प्रशंसनीय है। जो शब्द उन नेता विरोधी दल ने, नेता सदन ने और नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे जोड़ता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कर ही रहे हैं, जितनी भी सहायता और सहयोग इस समय उनके परिवारों के लिए हो सके, वह दें। हम प्रगतिशील विधायक दल की ओर से और अपनी ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी समवेदना उन संतप्त और दुखी परिवारों तक भेज दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

ननी में सर्वप्रथम यह रेल दुर्घटना हुई। इससे सदन के लोगों का संतप्त होना और गहनतम मानसिक व्यथा होना स्वाभाविक है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि तत्काल इस समाचार को पाकर के उन्होंने वहां पर रिलीफ की उचित व्यवस्था की और प्रातःकाल ६ बजे ही मुझे माननीय मंत्री जी ने कल सूचित किया था कि यह दुर्घटना हुई।

इस दुर्घटना में बहुत से सम्मानित व्यक्ति जो यात्रा कर रहे थे, आहत हुए और बहुत से लोगों को चोटें लगीं। सदन में जो मानसिक व्यथा और इस पर जो चिन्ता प्रकट की गयी है, म भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

जहां तक रिलीफ का कार्य है वह हो रहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं आश्वस्त किया है कि रिलीफ के लिए, सहायता के लिए, इलाज के लिए इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जायगी, तुरन्त व्यवस्था की जायगी। ऐडीशनल कमिश्नर तुरन्त वहां पर जांच करने के लिए चले गये हैं और केन्द्रीय सरकार न्यायिक जांच, जैसा होता रहा है, वह करेगी। हम तो इस वक्त इतना ही कर सकते हैं कि संतप्त परिवारों के साथ अपनी समवेदना प्रकट करें। जितने व्यक्ति मरे हैं, उनका व्यक्तिगत पता नहीं, इसलिए मैं समाचार-पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सदन की भावना, उसका संताप और उसकी समवेदना व्यक्त करता हूं और यहां पर सभी पत्रकारों से अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावनाएं सार्वजनिक रूप से सभी मृतक आहत परिवारों तक पहुंचा दी जायं। क्योंकि वह लोग यहां पर हमारे ही प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मरे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन सभी व्यक्तियों के प्रति दो मिनट खड़े होकर अपनी समवेदना प्रकट करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

दैनिक जागरण, कानपुर के मालिकों द्वारा भ्रष्टाचार एवं कर्मचारियों के शोषण के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, आपके माध्यम से दैनिक जागरण, कानपुर के मालिकों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार व कर्मचारियों के शोषण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपरोक्त प्रकाशन के लगभग ३०० कर्मचारी जिनमें करीब १४० स्थायी व १६० अस्थायी हैं, वे अपनी मांगों को पूरा न किये जाने के कारण गत २

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—]

अक्तूबर से आन्दोलन कर रहे हैं । मालिकों ने अपना दमनचक्र तेज कर दिया है । फलतः कर्मचारियों ने इस दमनचक्र के विरोध में अपनी न्यायोचित मांगें मनवाने के लिए विवश होकर ६ अक्तूबर से क्रमिक अनशन प्रारंभ कर दिया है । प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक बस्ती में अशान्ति उत्पन्न होने की आशंका हो गयी है ।

उपरोक्त जागरण प्रकाशन एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापित है और इसके प्रकाशन कानपुर, गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद, रीवां, भोपाल इन छः जगहों से होते हैं जिससे कम्पनी को लगभग २ करोड़ रुपया से अधिक वार्षिक आय होती है । किन्तु प्रकाशन द्वारा कम्पनी कानूनों का पालन न करके पत्रकारों से निर्धारित घंटे ६ के स्थान पर ८ और गैर पत्रकारों से १०, ११ घंटे तक काम लिया जाता है । कर्मचारियों को पूरी अन्तरिम राहत नहीं दी जा रही है । फैक्टरी ऐक्ट कानून के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्राप्त सुविधायें, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, त्योहार एवं राष्ट्रीय पर्वों की छुट्टियां १४ की जगह केवल ४ दी जाती हैं । श्रमजीवी पत्रकार कानून व वेतन मंडल के निर्णय के अनुसार इसकी वार्षिक आय को दृष्टि में रखते हुए यह प्रथम श्रेणी का पत्र है किन्तु कर्मचारियों की शोषण की नीयत से उक्त प्रकाशन विज्ञापनों को प्राप्त करते समय तो अपने को प्रथम श्रेणी का मानता है लेकिन कर्मचारियों को वेतन आदि देते समय भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी का अपने को मानता है । इतना ही नहीं, उपरोक्त प्रकाशन द्वारा सरकारी राजस्व की गत तीन वर्षों से की जा रही चोरी का मामला भी प्रकाश में आया है । प्रकाशन सम्बन्धी एक पेटी प्रति दिन बिना बुक कराये रोडवेज बस द्वारा कानपुर से गोरखपुर और वापस गोरखपुर से कानपुर आती है । अति लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षा करता हूं कि दैनिक जागरण प्रकाशन के प्रबन्धकों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं कर्मचारियों के शोषण पर अविलम्ब रोक लगाने हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ताकि प्रदेश की इस प्रमुख औद्योगिक बस्ती में श्रमिक अशांति न उत्पन्न हो सके ।

आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा अंग्रेजी भाषा में मुद्रित फार्मों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर शून्य प्रहर में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की राजाज्ञा सं० ५२४/इक्कीस (३) (१९)-६८, दिनांक १९ फरवरी, १९६८ के द्वारा सम्पूर्ण राजकाज की भाषा हिन्दी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि, भू खंड एवं मकान आवंटन हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र का फार्म केवल अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होकर वितरित किया जा रहा है । अंग्रेजी में फार्म का वितरित होना शासकीय आदेशों का न केवल उल्लंघन ही है, वरन् अनुशासन-हीनता भी है । क्योंकि ज्ञातव्य है कि राजाज्ञा सं० १३५३/इक्कीस (३) (९)-७१, दिनांक २२ अप्रैल, १९७२ के अनुसार "राजकीय कार्य अंग्रेजी में करना अनुशासनहीनता है ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

अतएव, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से मांग करता हूं कि आवास एवं विकास परिषद् के उक्त रूप पत्र अविलम्ब हिन्दी में मुद्रित कराकर वितरित करने की कृपा की जाय ।

श्री अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी, यह राजेन्द्र कुमार जी ने एक अत्यन्त आवश्यक राजाज्ञा के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जो आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा भूमि–भूखण्ड एवं मकान आवंटन हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन–पत्र का फार्म है, वह केवल अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होकर वितरित किया जा रहा है । तो कृपया आप इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे कि राजाज्ञा का पालन किया जा सके ।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से जन स्वास्थ्य के खतरे के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :—

यह कि आज कल उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करके दूषित कर देने की व्यापारियों की एक प्रवृत्ति बन गयी है । दाल में, चावल में तो ईंट की मिट्टी और रोड़ियां मिलाते हैं, शुद्ध तेल तो मिलता ही नहीं और अब समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मिठाई में जहर मिलाया जाने लगा है । लखीमपुर–खीरी से प्राप्त समाचार के अनुसार पूज्य महात्मा गांधी के जन्म दिन के अवसर पर नायक हाई स्कूल के विद्यार्थियों में मिठाई बांटी गयी, विद्यार्थियों ने जब मिठाई खायी तो लगभग १५० विद्यार्थियों को जहर का प्रभाव आरम्भ हुआ । नगर के तमाम डाक्टरों ने, अस्पताल में दौड़धूप मचाई और उनके अथक प्रयास से कोई दुर्घटना न हुई । इस तरह की घटना घटने से लखीमपुर जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में एक शंका और क्षोभ व्याप्त हो गया है । सरकार तुरन्त मिठाई बेचने वालों और खाने–पीने की चीजों के विक्रेताओं के नियंत्रण का इस समस्या के ऊपर माननीय मंत्री जी अपना ध्यान तुरन्त दें ।

फैजाबाद जनपद में बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की मांग के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन का ध्यान फैजाबाद जनपद के गोसाईंगंज कस्बे में चल रहे कालीन उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर कोई कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र न होने के कारण इस नव स्थापित उद्योग के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है । मान्यवर, अतीतकाल से ही फैजाबाद जनपद सूती–वस्त्र उद्योग का और विशेषकर हथकरघा उद्योग का प्रमुख केन्द्र रहा है । टाण्डा की डोरियां और जामदानी विश्वविख्यात रही हैं । बुनकरों की काफी तादाद होने के कारण और हथकरघा उद्योग, जिसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—]

का प्रमुख उद्योग होने के कारण, इस जिले के गोसाईगंज, कटेहरी, महरुआ बाजार, भीटी, अकबरपुर, जलालपुर, टाण्डा, हंसवर, भूलेपुर तथा पहितीपुर आदि कस्बों में व बाजारों में कालीन उद्योग की सफलता की काफी सम्भावनायें हैं। गोसाईगंज टाउन एरिया के अन्दर तो कालीन बनाने के चार केन्द्र भी हैं, जो निजी क्षेत्र में पिछले लगभग एक वर्ष से चल रहे हैं। लेकिन कोई बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र न होने के परिणामस्वरूप प्रशिक्षित बुनकरों के अभाव में इस उद्योग को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपके माध्यम से मान्यवर, मैं इसकी सूचना इस माननीय सदन को देते हुए सरकार से मांग करता हूं कि जनपद फैजाबाद में कालीन उद्योग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब गोसाईगंज, कटेहरी, महरुआ बाजार, भीटी, अकबरपुर, जलालपुर, टाण्डा, हंसवर, भूलेपुर तथा पहितीपुर आदि प्रमुख स्थानों पर कालीन-बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें।

आजमगढ़ के ग्राम जमुड़ी, थाना मुबारकपुर में गौकशी के मामले को लेकर मुसलमानों के घरों की कथित लूटपाट के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ में ग्राम जमुड़ी, थाना-मुबारकपुर में दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को गौकशी के मामले को लेकर आस-पास की जनता ने जमुड़ी के मुसलमानों के घर पर धावा बोल दिया। जनता के आने के पूर्व से ही वहां पर स्थानीय पुलिस मौजूद थी। कुछ पुलिस के लोगों ने असामाजिक तत्वों को उभाड़कर दिन-दहाड़े घरों में घुस-घुस करके लूट-पाट किया। करीब १४-१५ घरों में इन लोगों ने खुलेआम लूट की। कपड़ा, जेवर, रुपया, गल्ला आदि कुछ भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने लूटेरों पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण उस गांव के किसानों के २०-२५ एकड़ के करीब गन्ना व धान की फसल भी काट कर उठा ले गये। मैंने दिनांक ९ अक्तूबर, १९७७ को स्वयं गांव में जाकर देखा व पूंछ-ताछ किया, जिससे पता चला कि सारी घटना के पीछे वहां की पुलिस की सांठ-गांठ थी। क्योंकि रात्रि ८ बजे से ही गश्त करने वाली पुलिस को सारी जानकारी हो गयी थी। यह गांव आजमगढ़ शहर से करीब ४-५ किलोमीटर पर है।

तत्काल बड़ी संख्या में फोर्स भेजी जा सकती थी, लेकिन इसमें लापरवाही की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड उस ग्राम के लोगों के साथ हो गया। आज भी स्थिति खराब है। गांव के पुरुष व स्त्री घर छोड़ कर भाग गये हैं। इस घटना के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात हुआ है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश भी गांव में गये थे, लोगों के घरों में खाने तक को नहीं बचा है। सारे घर लूट लिये गये हैं। आसपास के गांवों में असंतोष है व मुसलमान अपने को असुरक्षित पा रहे हैं। अस्तु आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तत्काल दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय। सम्पूर्ण घटना की जांच कराई जाय व तत्काल लूटे हुये परिवारों को राहत दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद प्रतापगढ़ में युवा कांग्रेस तथा कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा अराजकता फैलाये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ में युवा कांग्रेस और उनके साथ कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था को भंग कर नागरिकों की शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा करने के सम्बन्ध में सदन व सरकार को सूचित करना चाहता हूं। दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित कुछ अवांछनीय तत्व स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में 'इंदिरा गांधी जिन्दाबाद', 'छात्र संघ जिन्दाबाद' के नारे लगाते हुये घुस गये। विद्यालय में छात्र-छात्रायें शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ रहे थे। छात्र-छात्राओं को उपरोक्त अवांछनीय तत्वों ने जबरन कक्षाओं से बाहर निकाल कर पथराव किया। तत्पश्चात् गोल बनाकर शहर के दूकानदारों से चंदा वसूली किया, जिन दूकानदारों ने चंदा नहीं दिया, उनकी दूकानों में तोड़-फोड़ की और जबरन लूटा और आगे बढ़ते हुये भूतपूर्व राजस्व मंत्री, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के मकान पर पहुंचकर पथराव किया, खिड़की, किवाड़ों के शीशे तोड़ डाले और कुर्सी, बेंच तथा अन्य घरेलू सामान तोड़ डाले। बड़ी मुश्किल से श्री उपाध्याय की जान बची। देहातों से भी इस प्रकार के उपद्रवों की सूचनायें मिली हैं। सारा जनपद त्रस्त है और जनमानस में भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इस सम्बन्ध में यह बताना अनुचित न होगा कि प्रशासन को समस्त घटनाओं की सूचना थी। घटनास्थल पर पुलिस भी मौजूद थी और मूकदर्शक बनी रही। मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ (श्री के० आर० भाटी) के निर्देशन और सहयोग से यह उपद्रव हो रहा है।

अतएव माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाते हुये निवेदन करता हूं कि अविलंब जनपद प्रतापगढ़ में शांति स्थापित करें तथा दोषी अवांछनीय तत्वों तथा जिला अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७७

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री बिहारी लाल हंस, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई के वायरलेस संदेश, दिनांक १० अक्तूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री बिहारी लाल हंस, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) को दिनांक ९ अक्तूबर, १९७७ के ९.४५ बजे रात्रि को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत कारागार में रखा गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ को सदन में दी गयी थी।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

इसकी अनुमति नहीं है । यह प्रोसीडिंग का अंग नहीं होगा ।

श्री अरुण कुमार—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा । इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जो विशेषाधिकार की सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, उनको मैं दे रहा हूं । पहली श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने ८ अक्तूबर, १९७७ को शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी ।

श्री तोमर की सूचना में तथ्यविषयक कुछ मामले अन्तर्ग्रस्त थे । अतः मैंने उस सूचना के सम्बन्ध में पहले माननीय शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक समझा । श्री तोमर का पहला आरोप यह था कि उन्हें शिक्षा मंत्री के दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ के पत्र में जो यह सूचना दी गयी थी कि आगामी हाई स्कूल परीक्षा का समस्त कार्य फर्म आई० बी० एम० के कम्प्यूटर पर कराने का माध्यमिक शिक्षा परिषद् के निर्णय की सूचना शासन में नहीं है और न इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव ही शासन को परिषद् से प्राप्त हुआ है, गलत है । उन्होंने इस सम्बन्ध में उप शिक्षा मंत्री, श्रीमती मालती शर्मा द्वारा विधान सभा में २७ सितम्बर, १९७७ को दिये हुए वक्तव्य के इस अंश का हवाला दिया कि सरकार हाई स्कूल परीक्षा का कार्य कम्प्यूटर से कराने की सोच रही है । इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री ने बताया है कि परिषद् की १९७७ की हाई स्कूल परीक्षा में इलाहाबाद तथा मेरठ मण्डल के जनपदों का परीक्षाफल कार्य फर्म आई० बी० एम० के कम्प्यूटर पर कराये गये थे शासन में परिषद के कम्प्यूटर पर वर्ष १९७७ की परीक्षा से सम्बन्धित कराये गये कार्य के विषय में मूल्यांकन आख्या तथा अगले वर्ष अर्थात् १९७८ की परीक्षा से सम्बन्धित कार्य के लिए प्रस्ताव अपने पत्र संख्या मा/७३६६२–१५ (७), दिनांक ३० जुलाई, १९७७ द्वारा मांगा था । शासन को अभी तक न तो उपरोक्त मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुई और न वर्ष १९७८ की परीक्षा सम्बन्धित कार्य को उपरोक्त कम्प्यूटर द्वारा कराये जाने के लिए कोई प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त हुआ है । जहां तक विधान सभा में दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को दिये गये वक्तव्य का सम्बन्ध है, उसमें भी केवल यही उल्लेख किया गया था कि परिषद् ने हाई स्कूल परीक्षा के आवेदन–पत्रों के साथ डाटा शीट इस उद्देश्य से लगाया है कि वर्ष १९७८ की हाई स्कूल परीक्षा का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से कराने पर वह विचार कर रही है । इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि परिषद् ने समस्त हाई स्कूल परीक्षाफल का कार्य फर्म आई० बी० एम० के कम्प्यूटर से कराने का निर्णय लिया है ।

नोट—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

माननीय श्री तोमर ने जो दूसरा आरोप लगाया है वह यह है कि शासन द्वारा ३०-९-७७ को दिए गए उत्तर को भेजने की बात असत्य है, यह उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्टीकरण करते हुए बताया है कि माननीय सदस्य तथा सचिव, परिषद् को पत्र साथ-साथ डाक से भेजे गए थे। सचिव, परिषद् को यह पत्र प्राप्त हो गया और उनका उत्तर भी दिनांक ६-१०-७७ को शासन को प्राप्त हो गया। यह बहुत सम्भव है कि माननीय सदस्य का पत्र डाक में ही इधर-उधर हो गया हो और उन्हें न मिल पाया हो। ३०-९-७७ के पत्र की प्रतिलिपि इस कारण भेजी गयी थी कि माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बावजूद उन्हें दो सप्ताह में भी उत्तर नहीं दिया गया। इस पत्र की प्रतिलिपि भेजने का आशय उन्हें न तो गुमराह करने का था और न उसका प्रश्न ही उठता है।

तीसरा आरोप जो श्री तोमर ने अपनी सूचना में लगाया वह यह है कि शिक्षा मंत्री जी के पत्र के साथ संलग्न उप सचिव, श्री प्रभा कान्त शुक्ल की प्रति संदेहात्मक है क्योंकि तिथि कटी-फटी है। इस पत्र के नीचे सचिव, परिषद् का एक पत्र उद्धृत है जिस पर न तो पत्र संख्या है न दिनांक। सम्भवतः यह पत्र १५-७-७७ को भेजा गया जिसमें किसी अन्य सदस्य द्वारा २२-५-७७ को विधान सभा में प्रस्तुत सूचना का उल्लेख है जो उनकी सूचना से संबंधित नहीं है। इस प्रकार उन्हें जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सचिव, परिषद् के पत्र में माननीय सदस्य की सूचना दिनांक २२-९-७७ के स्थान पर २२-५-७७ त्रुटिवश अंकित हो गयी थी जो मामले में शीघ्रता बरतने के कारण ठीक करने से रह गया था। वस्तुतः सचिव, परिषद् को माननीय सदस्य की सूचना दिनांक २२-९-७७ की ही प्रतिलिपि भेजी गयी थी और उसी का उत्तर दिनांक ६-१०-७७ परिषद् के सचिव से प्राप्त हुआ है।

शासन का उपरोक्त पत्र दिनांक ३०-९-७७ का है और उसमें सचिव परिषद् को जो पृष्ठांकन अंकित किया गया है उसमें '१५-१-७७' पृष्ठांकन की तिथि नहीं है वरन् पृष्ठांकन संख्या है।

माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य को जानबूझकर गुमराह करने की कोई भी चेष्टा नहीं की गयी है। अतः श्री तोमर द्वारा दी गयी सूचना में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है और इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक निवेदन कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष---

अब नहीं। मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

यह जो सूचना दी गयी है इस पर भी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आप कहें तो मैं नोटिस दे दूं।

श्री अध्यक्ष---

आप भेज दीजियेगा। मैं पुनः जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मैंने और शतरुद्ध प्रकाश जी ने एक सूचना दी थी। आप अपनी व्यवस्था देने से पूर्व हमें भी सुनने की कृपा करें।

दर्शक दीर्घा में सी० आई० डी० के कर्मचारियों के अनधिकृत प्रवेश के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना माननीय शतरुद्ध प्रकाश और राजेन्द्र कुमार जी ने दी है। यह यह प्रश्न कल भी सदन में उपस्थित हुआ था और इस सम्बन्ध में मैंने कल व्यवस्था दे दी और मैं इस पर अन्तिम रूप अभी नहीं दे रहा हूं और माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक न्याय का यह नियम है कि अगर किसी अभियुक्त को किसी एक अपराध में एक बार दंड दे दिया गया है तो दुबारा उसे दंडित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लेकिन माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी इस सम्बन्ध में कोई नई बात प्रकाश में लाना चाहते हैं तो अलग बात है। कल जो मैंने कहा उस पर तो विवाद नहीं हो सकता, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और तथ्य आपकी जानकारी में आया हो, तो बतला सकते हैं।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

कल दर्शक दीर्घा में ३३ लोग पकड़े गए थे और मान्यवर, मेरा तो यह निवेदन है कि यह संसदीय लोकतंत्र का प्रश्न है जिसमें सदन की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता सम्मिलित है। मान्यवर, संसदीय लोकतंत्र में सदन के अन्दर आप ही उसके संरक्षक और नियंत्रक हैं और माननीय सदस्य ही उसके सर्वेसर्वा हुआ करते हैं और उसका संचालन आपकी पीठ से हुआ करता है। कल जो घटना घटी थी वह छोटी-मोटी घटना नहीं थी। मैंने एक सूचना सदन के माध्यम से आपको दी थी। आपने जो सूचना दी उससे जानकारी हुई कि दर्शक दीर्घा में ३३ व्यक्ति खुफिया विभाग के थे जिनमें २३ बगैर आपकी अनुमति के थे। और १० के पास ऐसे प्रवेश पत्र थे, जो जाली थे। मैं इस घटना को छोटी-मोटी घटना नहीं मानता और न ही दलगत राजनीति से उसको देखता हूं। सदन सर्वोच्च है और और चाहे मुख्य मंत्री हों या और मंत्री हों, सबका दर्जा आपकी निगाह में बराबर है। कल जो घटना हुई वह बहुत बड़ी घटना है।

मैं एक नजीर देना चाहता हूं अमेरिका में वाटरगेट कांड हुआ था और यह उसी से मिलती-जुलती घटना थी। तो निवेदन कर रहा हूं कि जो लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य हैं, उनकी रक्षा की कामना, आपसे करता हूं। कल आपने व्यवस्था दी। मैं जानना चाहता हूं कि जिन ३३ लोगों के खिलाफ दोष साबित हुए हैं, वे कौन हैं किसके आदेश से आये थे। क्या वे ड्यूटी पर थे या नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा यह कि सदन, जिसको न्यायिक अधिकार भी, अपने आप विशेषाधिकार समिति में परिवर्तित हो सकता है और मैं मांग करूंगा कि यह सदन, जो यहां कल घटना हुयी है, उसके लिए अपने आप विशेषाधिकार समिति में परिवर्तित हो जाय और उन ३३ व्यक्तियों के खिलाफ यहां वाद चलाया जाना चाहिए और सारा मामला सामने आना चाहिए ताकि जो संसदीय लोकतंत्र की परम्परायें हैं, उनका पालन हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यहां क्या हो रहा है ? नई दिल्ली में लोक सभा में लोग माननीय लोक सभा के सदस्यों और माननीय अध्यक्ष की अनुमति से दर्शक दीर्घा में आते हैं, उसके लिए उनको प्रवेश पत्र मिलता है और उसमें एक शिष्टाचार की बात होती है कि वहां पर किस तरह से बैठेंगे । लेकिन यहां ये खुफिया विभाग के लोग किस तरह से बैठते हैं ? आपकी तरफ भी बैठेंगे तो आपकी तरफ पैर किए हुए बैठेंगे जैसे यह कोई शयन कक्ष हो । मान्यवर, यहां पर संसदीय शिष्टाचार का पालन होना चाहिए । जो लोग संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोग जेल गए हैं, वे यह अपेक्षा करते हैं कि विधान सभा की दर्शक दीर्घाओं में बगैर अनुमति के किसी का प्रवेश न हो । मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें कार्यवाही करे और आपसे भी मान्यवर, निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दें और इस तरह से जो सदन की अवमानना हो रही है, या संसदीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मैं चाहूंगा कि नियम ६३ के अन्तर्गत सदन की अवमानना के इस प्रश्न को आप स्वीकार करें और इस माननीय सदन को विशेषाधिकार समिति में परिवर्तित करके इस मामले की छानबीन करें ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने आपके सामने बात रखी है, उसमें बहुत कुछ प्रभावकारी बातें हैं । कल यह विषय एक दूसरे रूप से आपके सामने लाया गया था । आपने मान्यवर इसमें अपनी व्यवस्था भी दी थी । आपने कल कहा था कि प्राकृतिक न्याय में दो बार दण्ड नहीं होता और यह बात सही है । श्रीमन्, मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसमें दण्ड की कोई बात नहीं है और शायद माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी भी यह मांग नहीं कर रहे हैं कि उनको दण्डित किया जाय । मैं तो समझता हूं कि आज यहां पर यह तय होना है कि आपकी अध्यक्षता में और आपकी संरक्षता में यह सदन ऊपर है या सरकार । निश्चित रूप से सदन ऊपर है और आप उनके ऊपर हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके आप संरक्षक हैं । इस सदन के आपके संरक्षण में होते हुए अगर ये लोग जाली परमिट लेकर या बिना परमिट लिए चले आये, यहां पर नोट करने की नियत से तो कैसे ठीक होगा ? कोई व्यक्ति वैसे ही चला आये तब तो यही समझा जा सकता है कि वह अकस्मात् देखने की इच्छा से चला आया । लेकिन ये लोग जो सरकारी अधिकारी हैं और हमारी यहां की कार्य-प्रणाली को नोट करते हैं और खुफिया विभाग ने उनको हमारे ऊपर और सदन के ऊपर रखा है, तो, मान्यवर, अगर खुफिया विभाग इस तरह का यहां इस सदन में काम करे, जिसके संरक्षक आप हैं, तो, मान्यवर, कैसे काम चलेगा । इस तरह से यह विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें केवल अवमानना का सवाल नहीं है, प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, सदन के अधिकारों का सवाल है । मैं तो यह समझता हूं कि इसमें केवल यह सवाल नहीं कि ये जो ३० या ३३ आदमी हैं ये कितनी सजा के अधिकारी हैं, उनकी भर्त्सना की जाय या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिये, यह उससे भी ज्यादा कार्यवाही की जानी चाहिये, यह सवाल नहीं है और मैं समझता हूं कि वह गौण बात है । उसमें तो जो आपने चाहा कर दिया, उसमें आपत्ति नहीं है । मुख्य प्रश्न यह है कि किस प्रकार की व्यवस्था करें कि प्रिविलेज कमेटी को लेकर यह पूरे हाउस को प्रिविलेज कमेटी बना कर इसको देखा जाय ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो । यह सरकार क्या कर रही है, इस सम्बन्ध में सरकार दुख प्रकट क्यों नहीं कर रही है, यह सोचने की

[श्री श्यामधर मिश्र]

बात है । माननीय मुख्य मंत्री खड़े हुए तो मैं नहीं जानता था कि रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में वह वक्तव्य देने जा रहे हैं । मैंने तो यह समझा कि वह सचमुच दुख प्रकट करने जा रहे हैं उस दुर्घटना पर जो कल यहां हुई, लेकिन ऐसा उनका कोई वक्तव्य नहीं आया । सरकार को इस पर अपना खेद प्रकट करना चाहिए था और आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, कल जो यह घटना हुई, एक असाधारण घटना है । माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने यह मामला उठाया । मैं समझता हूं कि इससे उन्होंने सदन की गरिमा की रक्षा की है । अन्दाज लगाइये कि शतरुद्ध प्रकाश जी शासक पक्ष में बैठने वाले हैं । उनको भी यह डर हो गया कि कहीं सी० आई० डी० के लोग बैठ कर यहां जो भाषण नोट करते हैं तो बाद में उनको सतायें न । जो लोग रोज सरकार की आलोचना करते हैं किस आदमी ने क्या कहा उसका इस तरह से नोट करना सदन का अवमान है । अवमान किसने किया ? मैं हरगिज नहीं समझता कि सदन का अवमान उन अधिकारियों ने किया, सदन का अवमान अगर किसी ने किया तो सरकार ने सामूहिक रूप से किया । सरकार के ही निर्देश थे और उसी के निर्देश के अनुसार सी० आई० डी० के लोगों को यह हिदायत दी गई कि वे दर्शक दीर्घा में जायं और जो माननीय सदस्य आलोचना करें, उसे वे नोट करें ताकि उनको सताया जा सके । माननीय मिश्र जी ने जैसा कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो सदन की गरिमा की रक्षा करते हैं उनसे यह अपेक्षा थी कि वह शायद इस पर दुख प्रकट करेंगे और मुझे यकीन है कि वह अब भी दुख प्रकट करेंगे । जहां तक दण्ड की बात है वह बहुत छोटी बात है । भविष्य में क्या व्यवस्था हो सुरक्षा की, हाउस की अथवा अन्य हितों को देखते हुए इस पर निर्णय लेना होगा । पिछली दफा खेर साहब जब स्पीकर थे, उन्होंने स्पष्ट यह निर्णय लिया था कि सदन में पुलिस वालों को नहीं बुलाया जायगा । सी० आई० डी० वाले भी पुलिस के ही लोग होते हैं । मुझे यहां तक बतलाया गया है कि इनमें सी० बी० आई० के लोग भी बैठते हैं । इस प्रकार यह एक गंभीर प्रश्न है और मैं समझता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो और फिर मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस घटना पर अवश्य खेद प्रकट करेंगे ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, कल जो घटना हुई उसके ऊपर आपने स्वयं ही मार्शल साहब की जांच रिपोर्ट के बाद कल ही निर्णय दे दिया । उस निर्णय के बाद अब इस पर्टिकुलर विषय को लेकर इस सदन के अन्दर फिर कोई जांच हो या फिर कोई कोर्ट की शक्ल में सदन बैठ कर उस पर बहस करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि आपका निर्णय हो चुका है । परन्तु एक बात यह जरूर सोचने की है कि सदन की कार्यवाही जिसे इस सदन के कर्मचारी ही लिखते हैं उसको भी हम लोगों के पास भेजा जाता है, इसलिए कि अगर उसमें कुछ गलत लिख गया हो भूल से तो हम उसे करेक्ट कर दें और उसके बाद ही इस माननीय सदन के किसी माननीय सदस्य को, जब तक कि वह सरकारी तौर से छप कर प्रोसीडिंग बुक की शकल में न हो जाय, यह अधिकार नहीं है कि वह अपने भाषण को छपवा कर वितरित कर सके या जनता के सामने रख सके । इस चीज को मद्देनजर रखते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुए मुझे इस बात पर अफसोस होता है क्या इस माननीय सदन के अन्दर किसी भी सरकारी पक्ष के आदमी को खास तौर से गुप्तचर विभाग के आदमी को बैठ कर इस माननीय सदन की कार्यवाही को लफ्ज ब लफ्ज लिखने का अधिकार है ? अगर है तो किस मकसद के लिए वह यह काम करता है ? इस प्रश्न पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा ।

कल आपके आदमियों द्वारा जांच करने के बाद ऐसे आदमी मिले जो अनधिकृत रूप से बैठे थे और जाली पास पर थे और वे सदन के परिसर में सारी कार्यवाही को वह नोट करें जिनमें शार्ट हैंड के भी एक्सपर्ट होंगे और लफ्ज ब लफ्ज नोट करें इसका मकसद क्या है ? उसको वह कहीं भेजते होंगे । इनवेस्टीगेशन के लिए भेजते होंगे उससे आपका कोई तालमेल है कि नहीं, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर खड़ा होता है । इस चीज को भविष्य में न होने दिया जाय यह सोचने की बात है । मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ कर्मचारियों द्वारा जाली पास लेकर गलत किस्म का बर्ताव देखने में आया उसके लिए खेद कौन प्रकट करे, एक प्रश्न यह आता है । उसमें जैसा कि नेगी जी ने कहा, यह सब काम सरकार के मातहत हुआ है । अगर वह बैठते होंगे तो किसी अधिकारी के आदेश से किसी न किसी तरह से सरकार से वह सम्बद्ध होंगे, चाहे वह किसी विभाग से सम्बन्धित हो उनको हुक्म को पूरा करना है जिसके लिए वह यहां आते हैं । किस तरीके से वहां जाते हैं फर्जी पास लेकर या अपना नाम बदल कर जाते हैं यह सारा आचरण वाकई निंदनीय है, अफसोसनाक है । इसमें मुख्य मंत्री जी क्योंकि वह सदन के परे नहीं है, सदन से ऊपर नहीं हैं, उनको इस पर खेद प्रकट करना चाहिये कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा । इस सदन में सरकार का कोई व्यक्ति किसी से भी ताल्लुक रखता हो, बिना आपके आदेश के वह प्रवेश नहीं करेगा ।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, कल जब यह प्रश्न माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने उठाया था तो आपने पहले उसे देखने का संकेत दिया । जब मैंने दुबारा आपका ध्यान आकर्षित कराया और सुझाव दिया कि फाटक बन्द करके जांच की कार्यवाही हो तो आपके आदेश से जांच हुई और ३३ आदमी अनधिकृत रूप से पाये गए । श्रीमन्, आपकी इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था है वह शिरोधार्य है ।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सदन पुलिस की छत्रछाया में में चलेगा । जिस प्रकार आपके वामांगी मिश्रा जी की पार्टी के शासन काल में पिछले १९ महीने में और उसके पहले भी चला ? जो आपके वामांगी मिश्रा जी का दल था, इस प्रदेश में पुलिस के बल पर सदन की कार्यवाही चलाता था क्या वह परम्परा चालू रखेंगे ? (व्यवधान) श्रीमन्, ऐसे अवसर आये हैं इस सदन में आपके वामांगी लोगों के शासन काल में जो गड़बड़िया हुईं इस सदन में किसी दल के सदस्य की हिम्मत नहीं हुई कि सदन का ध्यान आकर्षित किया हो । आज यह फर्ज जनता पार्टी के लोगों को है कि इस बात की तरफ सदन का ध्यान दिलाया । आप लोगों ने तो चौपट किया है . . .

श्री अध्यक्ष—

मैनेजर सिंह जी, आप मुख्य विषय पर बात कहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह—

मेरा निवेदन यह है कि माननीय अध्यक्षों के अनेकानेक निर्णय हैं कि सदन के परिसर में पुलिस का प्रवेश नहीं होगा मान्यवर, सदन के अन्दर ही नहीं, इस सदन के द्वार पर पुलिस के इंसपेक्टर खड़े रहते हैं। आज भी खड़े हैं तीन इंसपेक्टर इस वक्त खड़े हैं। हम लोगों (व्यवधान) को आने-जाने में रुकावट होती है और हमें टोकना पड़ा। आज निक्सन का राज है। आप अध्यक्ष हैं इस आसन पर आप बैठे हैं इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और पुलिस को इस सदन के परिसर में प्रवेश न करने दें। यदि आपको किसी सुरक्षा के लिए और कर्मचारियों की जरूरत हो तो आप इस सदन से स्वीकृति लें, आप सक्षम हैं कि जो कौंसिल हाउस गार्ड्स हैं उनकी तादाद दुगुनी चौगुनी कर दें। सदन की कार्यवाही और सदन के परिसर के मुख्य नियन्त्रक के रूप में आप हैं और आप ही इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही करें, आप व्यवस्था करें। पुलिस के लोगों का दर्शक दीर्घा में ही नहीं परिसर में भी प्रवेश न हो। आप इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी से भी बात कर सकते हैं। इसमें कुछ बदमाश आदमी थे, कुछ बदमाश आदमी होंगे, जो इसलिए यहां नियुक्त किए गए थे। हमें उनसे भय नहीं था, जब उधर था तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। तो यह बहुत अहम सवाल है, इस पर आप व्यवस्था दें, जो आपने कल व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है, लेकिन आगे कैसे कार्यवाही करें, उस पर आप चाहें तो सदन के विभिन्न लोगों से विचार विमर्श करके ऐसी पूर्ण व्यवस्था करें, जिससे सदन के परिसर से हमेशा के लिए पुलिस और सी० आई० डी० वालों का बहिष्कार हो जाए, निष्कासन हो जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले अनेक वर्षों से कुछ गलत परम्पराएं यहां चलती रहीं हैं। हम शत्रुघ्न प्रकाश जी के आभारी हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जो गलत परम्पराएं चल रही थीं, उनकी तरफ सदन का और आपका ध्यान उन्होंने आकर्षित किया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, अब इस पर चर्चा चलेगी, कितने समय की इस पर चर्चा है ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

बस इतने में आप उतावले हो गए। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि आदरणीय सदन और परिसर आपके नियन्त्रण में है। यदि विधान भवन में शासन के बनाए पास पर लोग आ सकते हैं, किन्तु दर्शक दीर्घा में वही लोग आ सकेंगे, जिनको आपने अनुमति दी होगी। कल की घटना से इस सदन का ही अवमान नहीं हुआ है बल्कि आपके अधिकारी का भी अतिक्रमण किया गया है। लोग वहां पहुंचे और हमारी दीर्घा में बैठे रहे। उन लोगों की कोई गलती नहीं रही होगी, क्योंकि वह तो परम्परानुसार वर्षों से आते रहे होंगे और वैसे ही कल भी बैठ गए होंगे। अतः हमारे सामने और आपके सामने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज जो विषय पेश है, उसमें हमारी मंशा यह नहीं है कि उनको दंडित किया जाए, बल्कि इस सदन की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने का है, जिसके आप रक्षक हैं। मैं इसको अपने शब्दों में इस प्रकार रखना चाहता हूं कि आगे से आप ऐसी व्यवस्था करें कि दर्शक दीर्घाओं और परिसर में कोई भी व्यक्ति आपकी बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। यदि आप आवश्यक समझते हैं किसी दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से कोई परिसर में जाए, तो हम स्वयं सक्षम हैं, हमारे कौंसिल हाउस के गार्ड्स जाएं, वह वहां बैठें, किन्तु शासन की तरफ से कोई व्यक्ति किसी सूरत में नहीं आना चाहिए। क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका सब अलग-अलग हैं। हमारी सर्वोच्चता अपनी जगह पर अलग है। तो मैं समझता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें, जिससे इस सर्वोपरि सदन की मर्यादा बनी रहे।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब पर्याप्त रोशनी पड़ चुकी है। आप लोग बैठें, अब मुझे आपकी अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मुझे आश्चर्य हुआ, उन सभी माननीय सदस्यों के ऊपर, जिन्होंने सरकार पर यह आक्षेप लगाया कि इस परिसर में जिन व्यक्तियों को पास दिए जाते हैं, उनमें शासन का कोई अधिकार है या दखलन्दाजी है। मान्यवर, आप स्वयं सक्षम हैं, इस पूरे परिसर की और सदन की व्यवस्था आपके हाथ में है। यहां कोई भी व्यक्ति बगैर आपकी इजाजत के, बिना आपके दिए हुए पास के इस सदन के अंदर और इस परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है।

शासन का कोई इरादा नहीं है, शासन ने कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। केवल आपके आदेशों का पालन करना इस सम्बन्ध में शासन का काम है। जिन्होंने आपके आदेशों का पालन नहीं किया चाहे वे साधारण नागरिक हों, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों, आपका जो आदेश होगा। निर्णय होगा, वह शासन को और उस व्यक्ति को मान्य होगा, इसलिए जिन लोगों ने नासमझी से या न जानकारी की वजह से शासन से इसको सम्बन्धित बताया, मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी इच्छा शासन की नहीं है कि सदन के सदस्यों के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा, व्यवधान हो या उनके ऊपर देखरेख करने का काम सी० बी० आई० या सी० आई० डी० या किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शासन की तरफ से और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आपका निर्णय होगा, आदेश होगा, उसका पालन पूर्णतया शासन करेगा, बगैर हिचकिचाहट के करेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य शासन की स्थिति को ठीक तरीके से समझ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

नियम ६३ के अन्तर्गत यदि अवमान सदन के प्रत्यक्ष हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की स्वीकृति से, बिना किसी शिकायत के हीं कार्यवाही कर सकेगा। तो कल इस प्रकार की सूचना माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने सदन को दी। उसमें दो प्रकार की शिकायतें हैं। एक तो यह कि ३३ अनधिकृत व्यक्ति दर्शक दीर्घा के अन्दर पाये गये और दूसरी शिकायत यह है कि जो व्यक्ति अनधिकृत वहां पर खुफिया पुलिस के

[श्री अध्यक्ष---]

थे वह सदन की कार्यवाही नोट कर रहे थे। तो जैसे ही मेरी जानकारी में यह प्रश्न आया, मैंने मार्शल को आदेश दिया, वह जाकर इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर कल जो रपट यहां पर दी, उसको मैंने माननीय सदस्यों को पढ़कर सुना दिया था। उनका यह जांच का निष्कर्ष था, वहां कोई भी सी० आई० डी० का व्यक्ति कार्यवाही को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए यह प्रश्न तो उठता नहीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि २३ व्यक्ति ऐसे थे, जिनके पास प्रवेश-पत्र नहीं थे या उनके प्रवेश-पत्र समाप्त हो गये। १० व्यक्ति ऐसे थे, जिन्होंने अनधिकृत पास अपने पास रख रखे थे, दूसरे व्यक्तियों के नाम से थे, वह अपना नाम लिखकर सदन के अन्दर आ गये थे। तो कल भी मैंने कहा था १९३६ से ऐसी परम्परा रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से अध्यक्ष सरकार से अनुरोध करते हैं कि वहां पर व्यवस्था की जाय और आपने देखा कि कई मर्तबा ऊपर से, दर्शक दीर्घाओं से परचे फेंके गये हैं, माननीय सदस्यों की सुरक्षा के लिए और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहां पर यह व्यवस्था हो, और यह व्यवस्था संसद के अंदर भी होती है। सदन सर्वोपरि है। इसमें कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है। सदन सर्वोपरि और सक्षम है। सदन स्वयं अपनी कार्य संचालन नियमावली और कार्य संचालन का पूरे तरीके से अधिकारी है। तो कल भी मैंने कहा कि जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिस के रक्षकों ने पासों में अपने नाम गलत लिखे या जिनकी अवधि समाप्त हो गयी थी या बिना प्रवेश-पत्र के आये, यह उन्होंने भूल की और उन्होंने सदन का अपमान किया जाने में या अनजाने में, और कल मैंने कड़ी चेतावनी दी थी कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी और उनको सावधान और सजग रहकर समय से पहले अध्यक्ष सचिवालय से अपने प्रवेश-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार का कोई इरादा इस तरह के व्यक्तियों को प्रश्रय देने का नहीं है और यह बात सरकार और मुख्य मंत्री की जानकारी में आ गयी है, जिन व्यक्तियों ने ऐसी भूल की है तो मैंने चेतावनी दे दी है और सरकार भी देखेगी कि भविष्य में कोई भी अधिकारी, रक्षक जिसकी सदन में आवश्यकता है, वह बिना प्रवेश-पत्र के न जाये। जहां तक इस सदन और परिसर का प्रश्न है वहां पर तो केवल सदन के ही रक्षक रहते हैं, लेकिन दीर्घाओं में इस तरह की घटनायें जो होती हैं उनको रोकने के लिए अध्यक्ष की अनुमति से इस तरह के रक्षक रहते हैं। तो यह भूल हुई है। इस पर मैंने सदन की ओर से उनकी भर्त्सना की है और चेतावनी दे दी है और पहले भी इस तरह की घटनायें हुई हैं। पुलिस के अतिरिक्त कुछ लोग जाली पास बनाकर आ गये। माननीय सदस्यों ने उनको क्षमा प्रदान की है। आज भी वही प्रश्न मेरे सामने है। पिछली विधान सभा में श्री धर्मवीर के हस्ताक्षर से कुछ व्यक्ति दीर्घाओं में आये वह पकड़े गये उन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और उन्होंने मेरे पास प्रार्थना भेजी है। उस पर मैं अब भी विचार कर रहा हूं तो इस तरह से कल मैंने सभी को चेतावनी दे दी थी और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो आपके अधिकार हैं और सदन की जो गरिमा है उसको सुरक्षित रखने के लिए मैं बराबर सजग रहूंगा और इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। कल मैंने इस प्रश्न पर अंतिम रूप से व्यवस्था दे दी थी, लेकिन श्री शतरुद्ध प्रकाश, रवीन्दर सिंह तथा राजेन्द्र कुमार ने जो सूचना दी है वह स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह ने कहा कि शतरुद्ध प्रकाश, राजेन्द्र कुमार और रवीन्द्र सिंह ने जो इस प्रश्न को उपस्थित किया है उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति सजगता और सतर्कता का परिचय दिया है। मैं वास्तव में उनको धन्यवाद देता हूं और जो उनका मकसद था वह पूरा हो गया और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री मैनेजर सिंह, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना श्री मोहन सिंह (देवरिया) ने श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध दी है। श्री मोहन सिंह का कहना है कि श्री मैनेजर सिंह ने ७ अक्तूबर, १९७७ को अधिष्ठाता महोदय के प्रति आक्षेपात्मक शब्दों का प्रयोग किया है और उनकी व्यवस्था के विरोध में, सदन का त्याग कर के सदन का अपमान किया है। यह प्रश्न उसी समय उठाया जाना चाहिये था, जब यह बात सदन के समक्ष हुई। लेकिन बाद में मैंने उस कार्यवाही को देखा तो उस कार्यवाही के अंदर मैनेजर सिंह जी ने कहा है :—

> "बोलने वालों को लिस्ट से बुलवाते हैं और लोगों से कहते हैं कि दृष्टि से बुलवाते हैं। यह बिल्कुल तथ्यहीन है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं, गलत बयान आपने किया।"

तो इस सम्बन्ध में मैनेजर सिंह आपको क्या कहना है ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं अपने माननीय मित्र श्री मोहन सिंह को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करके इस सदन की व्यवस्था के संचालन की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया है।

श्रीमन्, जैसे ही मैंने आज सदन में प्रवेश किया, उनकी नोटिस के उद्गार की सूचना मुझे मिल गई थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नियम ६५-ग की ओर ध्यान देने की कृपा करें।

> "परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्त्ता को भी सुन सकेंगे।"

तो मैं यह चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को कल ले लें और मुझे यह आज्ञा दें कि मैं सम्बन्धित कार्यवाही को देख लूं। उसका निरीक्षण कर लूं। मुझे सुनने के बाद आप जो आज्ञा देंगे, वह शिरोधार्य होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे कल के लिए स्थगित करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

मान्यवर, इसे आप दो-चार दिनों बाद ले लें, क्योंकि मैं कल नहीं रहूंगा

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा कि इसे कल के लिए रखा जाय। जिस समय मैनेजर सिंह जी ने यह कहा था कि मैं सदन से वाकआउट करता हूं, उस समय मैं यहां मौजूद था। अगर उन्होंने सदन का कोई अपमान भी किया, तो माननीय मोहन सिंह जी को उसी वक्त माननीय अध्यक्ष का ध्यान मौखिक रूप से आकृष्ट करना चाहिये था, उसके बाद लिखित रूप से देना चाहिये था। मान्यवर, यह कोई नियमावली के अनुकूल नहीं है। माननीय मैनेजर सिंह जी के खिलाफ आज दो-तीन दिन बाद विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर तो विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं बनता जब तक उसी वक्त मौखिक रूप से इसे न उठाया जाता। इसलिए इसे स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं है। माननीय मैनेजर सिंह जी ने कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं किया। इसलिये कल इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

मान्यवर, औपचारिकता की बात को बहाना मानकर उसे टाल देना उचित नहीं है। माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने कल ऐसा ही एक प्रश्न उठाया था। सदन की प्रतिष्ठा का गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा सदन की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि वही अधिष्ठाता मंडल नियुक्त करता है और अधिष्ठाता मंडल के प्रत्येक सदस्य को वही अधिकार मिले होते हैं, जो अध्यक्ष के होते हैं। अतः किसी भी माननीय सदस्य को अध्यक्ष की व्यवस्था का विरोध करने का अधिकार नहीं है। सदन सर्वोच्च स्थान है। माननीय मैनेजर सिंह जी ने इस सम्बन्ध में जो कहा, "माननीय अधिष्ठाता जी, आप, जो सदस्य आपके सामने रहते हैं, सूची के हिसाब से नहीं बुलवाते हैं या फिर जिस पर आपकी नजर पड़ जाती है, उसे बुलवाते हैं।"

माननीय अध्यक्ष जी, उस समय अधिष्ठाता जी ने यह कहा था कि यह संसदीय परम्परा के अनुकूल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सचमुच जो आदेश या निर्णय दिये थे, वह संसदीय परम्परा के अनुकूल ही थे। मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के १८वें संस्करण के पृष्ठ ४०७ पर यह लिखा हुआ है :—

"It is often the practice for Members who wish to speek in a particular debate to submit their names in advance to the Speaker."

मान्यवर, इसका अर्थ यह है कि यह परम्परा है कि माननीय अध्यक्ष को पहले ही नाम दे दिय जाय जो बोलना चाहते हैं। इसमें आगे कहा गया है :—

This practice, white not fettering the discretion of the Speaker, affords to Members, who avail themselves of it a better opportunity of "eatching the Speaker eye".

मान्यवर, इसमें लिखा है कि 'स्पीकर्स आई' अर्थात्....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी, जो आपने कहा है कृपया इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, वही कर रहा हूं। मान्यवर, इसमें कहा गया है कि इच्छुक सदस्यों को अपना नाम पहले से ही दे देना चाहिये और उसके बाद भी सदस्यों को बार-बार खड़ा होना चाहिये और जिन माननीय सदस्यों पर माननीय अध्यक्ष की दृष्टि पड़ जाय। उनको माननीय अध्यक्ष जी बोलने का अवसर देंगे। यह इस किताब में लिखा हुआ है कि यह परम्परा है। माननीय मैनेजर सिंह ने यही व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और माननीय अधिष्ठाता जी ने इसी संसदीय परम्परा का उद्धरण देते हुये इस बात को कहा था। जब माननीय मैनेजर सिंह ने माननीय अधिष्ठाता जी के इस निर्णय पर सदन का त्याग किया तो उसी दिन इस बात को उठाना चाहिये था और नियम के अनुसार उसी दिन नोटिस दिया जाना चाहिये था। यह मात्र थोड़ी सी औपचारिक बातें हैं और इन्हीं औपचारिकता का बहाना लेकर इस महत्वपूर्ण प्रश्न को टाला नहीं जा सकता। अतः चाहता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नियम ६३ के अनुसार तो यदि कोई अवमान सदन में प्रत्यक्ष हुआ हो तो सदन में अध्यक्ष की सम्मति से शिकायत की कार्यवाही कर सकते हैं। नियम ६४ में यदि कोई सदस्य शिकायतकर्ता है तो उसकी दो प्रतियां सचिव को देना अनिवार्य है। यदि वह किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो एक प्रति उसको भेजी जायेगी। इसलिये माननीय ऊदल जी ने जो आपत्ति उठाई है वह नियम ६४ के अनुसार ठहरती नहीं है। सदस्य को नियम ६४ के अनुसार शिकायत देने का अधिकार है तो यह शिकायत जहां तक मोहन सिंह ने भेजी है नियम के विरुद्ध नहीं है। अब यह प्रश्न है कि वह ग्राह्य है कि नहीं, यह एक पृथक् सवाल है। मैं तो आज ही व्यवस्था देना चाहता था, लेकिन माननीय मैनेजर सिंह का यह अधिकार है कि प्रति उनको मिले और उन्होंने यह कहा कि उनको प्रति तभी मिली जब वह सदन में आ रहे थे, वह कुछ कहना चाहते थे। इसलिये उनके अनुरोध पर मैंने कल के लिये स्थगित कर दिया है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

मान्यवर, कल स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया का निधन दिवस है, मैं आजमगढ़ जा रहा हूं, इसलिये····

श्री अध्यक्ष—

आपका रहना आवश्यक नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इसमें मैं एक आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह विषय सदन में उपस्थित हो गया आपकी आज्ञा से और बाद में आपने कह दिया कि एक कापी माननीय सदस्य मैनेजर सिंह को नहीं दी गई है····

श्री अध्यक्ष—

दी गई है। मैंने यह कहा था कि उनका यह कहना है कि जब वह सदन में आ रहे थे, तब उनको प्राप्त हुई। इसलिये उन्होंने कहा कि कल के लिये स्थगित कर दिया जाय। इसलिये मैंने स्थगित कर दिया।

श्री श्याम धर मिश्र—

तो कल लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां, कल लिया जायेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी ११ अक्तूबर, १९७७ की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में नीचे लिखी सिफारिशें कीं :—

१३ अक्तूबर, १९७७ को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या २४, २९, ३४, ६३, ६४, ६५, ७०, ७१, ७३ तथा ८६ लिये जायं और १५ अक्तूबर, १९७७ को विद्युत् मंत्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या ५९ और ९६ लिये जायं ।

दिनांक १८ अक्तूबर, १९७७ के बाद सदन की बैठक १ और २ नवम्बर को हो तथा यदि आवश्यक हो तो ३ नवम्बर, १९७७ को भी हो ।

दिनांक १ नवम्बर, १९७७ को राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ को संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाय तथा २ नवम्बर, १९७७ को उत्तर प्रदेश औद्योगिक (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव लिए जायं ।

श्री मधुकर दिघे (वित्त मंत्री)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विभिन्न समितियों तथा निकायों के निर्वाचन को परिवर्तित कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मुझे और आपको देनी है । जो इस प्रकार है :—

"विभिन्न समितियों तथा निकायों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि ११ अक्तूबर, १९७७, नाम निर्देशन-पत्रों की संमीक्षा १२ अक्तूबर, १९७७, नामों की वापसी की अंतिम तिथि १४ अक्तूबर, १९७७ तथा मतदान यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक १७ व १८ अक्तूबर, १९७७ को किए जाने की सूचना सदन एवं माननीय सदस्यों को दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को दी गयी थी ।

अब विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर विभिन्न समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

(१) नाम निर्देशन—पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय दिनांक १७ अक्तूबर, १९७७ को ४ बजे अपरान्ह तक ।

(२) नाम निर्देशन—पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय दिनांक १८ अक्तूबर, १९७७ को अपरान्ह एक बजे (सचिव विधान सभा के कक्ष में)

(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक १ नवम्बर, १९७७ को ४ बजे अपराह्न तक ।

(४) मतदान यदि आवश्यक हुआ तो—

(क) सदन की समितियों एवं विभिन्न निकायों के लिए—दिनांक ४ नवम्बर, १९७७ को पूर्वाह्न १० १/२ बजे से अपराह्न ५ बजे तक (कमरा नं० ४८ में) ।

(ख) २९ स्थायी समितियों के सदस्यों के लिए—दिनांक ५ नवम्बर, १९७७ को पूर्वाह्न १० १/२ बजे से अपराह्न ५ बजे तक (कमरा नं० ४८) में होगा ।

एन० आर० ई० सी० कालेज, खुर्जा के शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों द्वारा की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

मान्यवर, एन० आर ई० सी० कालेज, खुर्जा बुलन्दशहर में छात्रों, गैर शिक्षक कर्मचारियों तथा शिक्षकों ने अपनी कतिपय मांगो को लेकर १७ सितम्बर, १९७७ से क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया था । अध्यापकों की मांगे कालेज की प्रबन्धतन्त्र द्वारा मान ली गई है । गैर शिक्षक कर्मचारियों की भी कतिपय मांगे मानी गयी हैं और शेष पर सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ प्रबन्धतन्त्र द्वारा आश्वासन दिया गया है । छात्रों ने भी छात्र संघ के निर्वाचन की तिथि तथा सचिव तथा प्राचार्य के विरुद्ध जांच कराने की माग की है । इन सभी घटकों की मांगों में मुख्य रूप से कालेज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच है । शासन ने इस प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि इस कालेज में आर्थिक अनियमितताओं की जांच सी० आई० डी० के इकानामिक विंग द्वारा कराई जाय और जिला अधिकारी, बुलन्दशहर को भी उक्त निणय से सूचित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं की जांच के लिये एक जांच कमेटी बनाने का भी निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ।

वैसे बुलन्दशहर में अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने पर यह ज्ञात हो गया है कि कालेज में हड़ताल समाप्त हो गयी है । स्थिति सामान्य है और छात्रों की एक मांग के अनुसार यूनियन का चुनाव १४ अक्तूबर, १९७७ को होने जा रहा है ।

जहां तक कालेज के प्रबन्धतन्त्र तथा प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही का सम्बन्ध है, उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, नियम ५१ में भी यह मसला आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, आप कार्य सूची १० देखें ।

श्री अध्यक्ष —

यह अभी नहीं लिया जा सकता है ।

समस्त राजकीय विद्यालयों को दशहरे की छुट्टियों से सात दिन पूर्व ही बन्द करने से छात्रों की पढ़ाई में क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

मान्यवर, राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में दिनांक ३ अक्तूबर, १९७७ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गयी जिसके फलस्वरूप समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य में व्यवधान पैदा हो गया । इसके पूर्व राजकीय शिक्षक संघ की मांगों के बारे में उनके प्रतिनिधियों से कई बार विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया और मैंने स्वयं १-१०-७७ को शिक्षकों से अपील की कि वे अपनी हड़ताल समाप्त कर शिक्षण कार्य आरम्भ करें । उनकी कुछ मांगें पहले से स्वीकार कर ली गई हैं और अन्य मांगों पर, जिनका प्रभाव अन्य राजकीय कर्मचारियों पर पड़ता है, उनसे मिलकर विचारविमर्श के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जा सकता है । लेकिन राजकीय शिक्षक संघ ने इसके बावजूद भी अपनी हड़ताल कायम रखी है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में छात्रों की शिक्षा में अवरोध पैदा हो गया है ।

उपरोक्त परिस्थिति में यह उपयुक्त समझा गया कि जब अध्यापन कार्य राजकीय स्कूलों में बन्द ही हैं तो एक सप्ताह का अतिरिक्त अवकाश, जो राजकीय आदेशों के अन्तर्गत उनको अनुमन्य हैं, उसको दशहरे की छुट्टी से पहले उपयोग कर लिया जाय ताकि भविष्य म छात्रों का नुकसान न हों ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

एक स्पष्टीकरण ..

श्री अध्यक्ष —

इसमें स्पष्टीकरण के लिए मैं कोई अनुमति नहीं दे सकता हूं । यह केवल वक्तव्य के लिए है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष —

दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव मुझे मिले हैं । एक श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री राम जनम और श्री शत्रुघ्न प्रकाश का है । वह इस प्रकार है कि ९-१० अक्तूबर को अर्द्ध रात्रि में १०३ अप हावड़ा दिल्ली डीलक्स ट्रेन को नैनी रेल

स्टेशन पर दुर्घटना में ३०० व्यक्तियों की मृत्यु । यह मैंने ग्राह्य नहीं किया । इस पर माननीय मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं ।

दूसरा श्री श्यामधर मिश्र का है, "उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेसजनों को धारा १४४ के तोड़ने के आरोप में तथा नारे लगाने के आरोप में बन्दी बनाया जाना तथा राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना ।" इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । कामरोको के रूप में नहीं स्वीकार किया है । इसको मैं वक्तव्य देने के लिए मुख्य मंत्री जी को भेजे दे रहा हूं ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी, कब वक्तव्य दिया जायगा ?

राजनैतिक पेन्शन उप मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

वक्तव्य दे दिया जायगा । दो दिन का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष —

दो दिन का ठीक है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं मेरिट्स पर नहीं जा रहा हूं । जब वक्तव्य आयेगा तब बात होगी । इसमें कई विषय हैं । उसमें तिवारी जी का है, फिर लोगों को जो जेल गये हैं उनको क्लास मिलन के विषय में है । कुछ लोगों पर झूठे आरोप का है । इस सम्बन्ध में सभी जानकारी यहीं से मिल सकती है, शाम को ही दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष —

माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है दो दिन के बाद में तो कुछ तो जैसा आपने कहा है कि जेलों में दुर्व्यवहार हो रहा है . .

श्री श्यामधर मिश्र—

यह सरकार चाहती है कि नारायण दत्त जेल में बैठे रहें, सदन के विरोधी दल के नेता यहां बोल न सकें . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मिश्र जी पकड़े जायेंगे तो फिर सुनेगा कौन ?

श्री अध्यक्ष —

आप लोग शान्त रहिये ।

श्री श्यामधर मिश्र —

मैं मानकर चलता हूं कि मेरा नोटिस मंत्री जी ने ले लिया है और वह उसका उत्तर दे रहे हैं . . . तो बड़ी कृपा होगी ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

इस सम्बन्ध में जैसा कि सूचना मंगाने की आवश्यकता है, इसलिए १४ को रख दें । मैं उस दिन वक्तव्य दे दूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र --

सुन लीजिये । वह दो दिन कहते थे मुख्य मंत्री जी १४ तारीख कह रहे हैं ।

एक सदस्य--

वह जमानत करवा लें, आ जायेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र --

श्रीमन्, यह तो ११, १२, १३, १४ चार दिन की बात हो गयी । पहले दो दिन की बात थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप लोग शान्त रहिये ।

श्री श्यामधर मिश्र --

यह राजनैतिकों की बात है, उनके उत्पीड़न की बात है । आज कांग्रेस की बात है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग आपस में बात मत कीजिये । सीधे आप उत्तर देते हैं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या ४८--सामुदायिक विकास तथा अनुदान संख्या--८० सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८--सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन-राशि के अतिरिक्त १४, ४६, ५७, ३०० रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८०--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५, ९३, ३७, १०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जो सामुदायिक विकास योजना है यही ग्राम्य विकास योजना के नाम से जानी जाती है । बहुत अर्से से महात्मा जी का सपना था कि देश की सारी समस्यायों की ओर जहां ध्यान दिया जाता है वहां विशेषतौर से हमको ध्यान देना चाहिये गांवों की ओर । और उनका यह कहना था कि चलो गांव की ओर । आज ३० साल बाद यह शासन अपनी सारी योजनाओं को खासतौर से गांवों की ओर ले जाना चाहता है और इसी उद्देश्य से अभी तक जो सामुदायिक विकास योजना थी उसको ग्राम्य विकास योजना कहना शुरू किया है । आजतक शहरों का विकास हुआ है । गांवों की ओर अगर हम देखें तो सारे गांव आज अविकसित पड़े हुये हैं । शासन का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि गांवों का विकास करे । अगर किसी देश में गांवों का विकास नहीं होगा तो वह देश अविकसित माना जायगा । उत्तर प्रदेश में १ लाख १२ हजार गांव हैं जो सारे देश के गांवों का पांचवां हिस्सा है । इसलिये हमारा यह मुख्य कर्त्तव्य हो जाता है कि हम गांवों के विकास की ओर चलें ।

आज ग्राम्य विकास की ओर से कुछ योजनायें हैं जिनको हम कार्यान्वित करना चाहते हैं । सबसे बड़ी योजना यह है कि हम गांव के खेतों को पानी दें । कहीं पर भी हम जाते हैं तो लोग दो चीजों की मांग करते हैं । खेतों को पानी दीजिये, पीने को पानी दीजिये और सड़कें दीजिये । ग्राम्य विकास के सम्बन्धित जो सिंचाई योजना है वह एक लघु सिंचाई योजना है । वह एक ऐसी योजना है जो किसानों को व्यक्तिगत तौर पर सुविधा देती है कि वे अपनी निजी सिंचाई योजना को कार्यान्वित करें, जैसे रहट है, पम्पिंग सेट है, बंधियां है, प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं ।बोरिंग्स हैं, इस तरीके से यह एक लघु सिंचाई योजना है । इस लघु सिंचाई योजना में जो इस प्रदेश की सरकार ने प्राविधान किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकेले यह जो वर्ष चल रहा है आपका, उसमें सिंचाई कूप का हमारा जो लक्ष्य है—२५९८० है, बोरिंग का ९०५६५ है, रहट का १६०५० है, पम्पिंग सेट का—२७३४० है, निजी नलकूप का ६९५७४ है, बंधी का ४३८१० हेक्टेयर है, गूल एवं हौज का २००० है । जितनी सिंचाई गांवों की लघु सिंचाई योजना से हो सकती है, उतनी सिंचाई और किसी योजना से नहीं हो सकती है । सरकार ने इस ओर खासतौर से ध्यान दिया है, इसीलिए इस सिंचाई योजना को ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रखा है । इसी सिंचाई से सम्बन्धित एक दूसरा विभाग है ग्राउण्ड वाटर सर्वे विभाग (भू-गर्भ जल सर्वेक्षण) इस विभाग के द्वारा जो पृथ्वी के अन्दर, जो पानी छिपा हुआ है, उस पानी का पता लगाने के लिए कि कहां-कहां पानी है, कैसा पानी है । जहां पर हम ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं, वहां की जमीन कैसी है, उसके अन्दर ट्यूबवेल लगाने में सफलता मिल सकती है, उसके अन्दर जो पानी निकलेगा तो वह पानी कैसा होगा, खारा तो नहीं होगा, पानी हमेशा चलता रहेगा या समाप्त हो जायगा, इन्हीं सारी चीजों के लिए यह भूगर्भ जल सर्वेक्षण योजना है ।

इसके अलावा पेय जल की बात है । पेयजल की आज गांवों में जो समस्या है, वह तो है ही लेकिन खासतौर से जो समाज का ऐसा वर्ग है, जिसे हरिजन वर्ग कहते हैं, जो निर्बल वर्ग है, उसको पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए, हमारी यह पेय जल की योजना है । यह हमारा जो १९७८ का वर्ष है, उसमें हम यहां पर करीब ४,४९२ गांवों को मैदानी क्षेत्र में और ३८ डिग्गियों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों

[श्री जमुना प्रसाद--]

में करने जा रहे हैं । तीसरी योजना जो है, वह ग्रामीण अभियंत्रणों की है । आपने देखा होगा। गांवों में वास्तौर से जो बड़े-बड़े निर्माणों के कार्य हैं, वह तो पी० डब्लू० डी० के द्वारा होते हैं, लेकिन छोटी-छोटी योजनाएं जो हैं, जैसे कि भवनों का निर्माण, छोटी सड़कों का निर्माण, स्कूल के भवनों का निर्माण। ये छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये जाते हैं । जो सड़क ८ किलो मीटर की हो, वह सड़क इसके अन्तर्गत आती है । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा प्रदेश में जो ये छोटे-छोटे कार्य हैं उन कार्यों को हम करने जा रहे हैं । लिंक रोड्स, छोटे-छोटे भवन, स्कूल की इमारतें, हरिजन आवास गृह आदि जो हैं, इसको हम इस विभाग के द्वारा बनवा रहे हैं ।

(इस समय १ बजकर ४४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुये ।)

उनको हम वहां पर इस विभाग के द्वारा बना रहे हैं । हमारा बहुत बड़ा सपना है, आशा है कि हम उसे साकार कर सकेंगे ।

मान्यवर, लिंक रोड्स, सम्पर्क सड़कों के द्वारा हम इस प्रदेश की गरीबी को दूर करने की योजना बना रहे हैं । आज किसी भी जिले को देखिय । कुछ तो जिले ऐसे हैं जहां पर एक-एक हजार लिंक रोड्स हैं । मान्यवर, बहुत से जिले ऐसे हैं जहां बरसात के दिनों में किसानों को बड़ी असुविधा होती है । बरसात के दिनों में वह सारे संसार से कट जाते हैं । बरसात के दिनों में यह गांव टापू बन जाते हैं । आवागमन के साधन जितने होते हैं वह अवरुद्ध हो जाते हैं । आने-जाने के मार्ग न होने के कारण वह शेष संसार से कटे रहते हैं । तो जब तक लोगों को आने जाने का मार्ग उपलब्ध न करा सकें तब तक यह नहीं कह सकते कि विकास आ रहा है । जिस देश और प्रदेश में आवागमन की सुविधायें न हों, ४ महीनों तक लोग बाकी संसार से कटे रहें उस देश और प्रदेश को हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह विकास की ओर है । लेकिन मान्यवर, हमने इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं । एक मोटा सा अनुमान है कि ढ़ाई खरब रुपया इन लिंक रोड्स को बनाने में लगेगा । जिस दिन यह लिंक रोड्स बन जायगी उस दिन प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायगा । किसान किसी भी वक्त अपने सामान को बाजार में ले जा सकेगा और जो उस समय कीमत होगी वह उसको मिल सकेगी । तो सही मानों में, जो गांवों में ८० फीसदी किसान रहते हैं, उनका विकास तभी हो सकता है जब इन लिंक रोड्स का निर्माण हो जायेगा । इन लिंक रोड्स के लिए हमारे प्रदेश की सरकार ने ५ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । जो केन्द्रीय सरकार है उसने हमको २ करोड़ ६५ लाख रुपये का प्राविधान किय है । तो हम आशा करते हैं कि आगे आने वाला जो वर्ष होगा उसमें हम केन्द्र से और प्रांत से ज्यादा धनराशि पायेंगे । जिससे हम इन लिंक रोड्स को बनवा सकें ।

एक योजना के संबंध में मैं बता देना चाहता हूं । अभी मैं अपनी राजधानी गया था । वहां के जो कृषि राज्य मंत्री हैं, श्री भानु प्रताप सिंह, उनसे मैं मिला । लिंक रोड्स के बारे में बात चीत हुई थी । उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश को १०० करोड़ रुपये का गल्ला देंगे । तो प्रदेश को अगर यह अनुदान केन्द्र से प्राप्त हो जाता है तो लिंक रोड्स के संबंध में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकेंगे ।

मान्यवर, इसके अलावा इस विभाग के अंतर्गत पौष्टिक आहार योजना आती है। इसके अन्तर्गत २ तरीके का कार्य होता है। एक कार्य तो यह है कि गांवों म जो निर्धन और निर्बल वर्ग के लोग हैं, जहां पर खास तौर से आदिवासी क्षेत्र है, उस वर्ग के जो गरीब आदमी हैं, उनमें पौष्टिक आहार स्वास्थ्य वर्धन के लिए वितरित किया जाता है। हमारी इस योजना के अन्तर्गत जो बच्चे ६ वर्ष के हैं उनको हम इस आहार को देते हैं। जो गर्भवती मातायें हैं, खास तौर से कमजोर वर्ग की, उनको हम पौष्टिक आहार देते हैं। इसके अलावा शासन पौष्टिक आहार के ज्ञान को लोगों में देता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से जो हमारे अंदर पौष्टिकता की कमी है, वह दूर हो सकते हैं। इसका ज्ञान हम गांव के अन्दर जाकर वहां के रहने वाले जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनको देते हैं। जहां प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं वहां पर इस पौष्टिक आहार योजना के संबंध में बाटिकाओं के संबंध में शिक्षा देते हैं।

इसके अलावा हम एक ऐसे सेवा कार्यक्रम लागू करने की सोच रहे हैं जिसके द्वारा गांव के अन्दर ऐसे केन्द्र बन सकें जिन के अन्दर किसानों को अपनी आवश्यकता की सभी चीजें उपलब्ध हो सकें। ऐसी जगह जहां ट्रेक्टर हैं यदि वह खराब हो जाते हैं तो किसानों को उसके पुर्जे नहीं मिल पाते हैं। इसलिये शासन इस विषय में सोचता है कि गांव में चाहे पंचायत अदालत क्षेत्र हो या ब्लाक लेवेल पर ऐसे केन्द्र कायम कर सकें जहां किसानों को सारी चीजें उपलब्ध हो सकें जो उसके जीवन और खेती के लिये उपयुक्त हों। इसके अलावा यह विभाग खासतौर से गांवों की सेवा ब्लाक के द्वारा करना चाहता है। आज प्रदेश में करीब ८७६ ब्लाक हैं और इन ब्लाकों के द्वारा सही मानों में चाहे वह सहकारिता का क्षेत्र हो या पंचायत का क्षेत्र हो यह विभाग अपनी ग्राम–सेवक इकाई द्वारा किसानों की सेवा करता है। किसानों को कृषि से कौन से नये तरीके हुये हैं उनका वैज्ञानिक समय में ज्ञान कराया जाता है जैसे नये–नये बीज और खाद का इस्तेमाल करना बताया जाता है। किसानों को कर्ज दिलाना इस विभाग का खास काम है। इस प्रकार आज यह विभाग किसानों को सही माने में सुविधा दिलाने की ओर अग्रसर है।

मान्यवर, इस विभाग का एक और अंग है और वह है ट्रेनिंग सेन्टर जहां प्रशिक्षण, जैसे ब्लाक अधिकारी, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक और स्कूलों के अध्यापकों को देते हैं। इसके अलावा यह विभाग ग्राम सेवक से लेकर आई० ए० एस० और पी० सी० एस० लोगों के कैम्प का आयोजन भी करता है। इस तरह छोटी इकाई ग्राम सेवक से लेकर बी० डी० ओ० और आई० ए० एस० तथा पी० सी० एफ० तक के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। इन योजनाओं के साथ हम गर्व से कह सकते हैं कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा और जो सपना डा० लोहिया ने चौखम्बा राज्य का देखा था वह पूरा तो नहीं हुआ लेकिन हम उनके सपनों को साकार करने का इरादा रखते हैं। पंचायत राज में बालिग मताधिकार से चुनाव होता लेकिन हम क्षेत्रीय स्तर पर भी बालिग मताधिकारी द्वारा चुनाव कराने का विचार रखते हैं। इस तरह से हम चौखम्बा राज्य की कल्पना को साकार करने की इच्छा रखते हैं। इन शब्दों के साथ में अनुरोध करूंगा कि इसको आप पारित करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य– विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

[श्री देव बहादुर सिंह—]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८० में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी मंत्री जी का भाषण इस महत्वपूर्ण विषय पर सुनने को मिला। उन्होंने जो अन्तिम बात की वह यह कही कि यह चौखम्बा है ग्रामीण विकास का, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह जो चौखम्बा सिद्धान्त है उसे यह पचखम्बा सरकार कैसे पूरा करेगी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जबसे यह सरकार बनी है इसने एक परिवर्तन किया कि सामुदायिक विकास का नाम बदल कर ग्राम विकास कर दिया। समझ यह रहे हैं कि ऐसा करने से ग्रामीण अंचल का विकास हो जायगा। ग्राम समाज, ग्राम सभा क्षेत्र समिति, जिला परिषद यह मुख्य अंग हैं जिनसे ग्रामीण विकास करने की कल्पना करते हैं। इन्होंने आते ही जिला परिषद को तो भंग कर दिया बाकी दो को भी शायद निकट भविष्य में ही भंग करें। इनके आगमन के पश्चात् एक कार्य तो यह हुआ कि इन्होंने एक को समाप्त कर दिया। इनके जो चरण चले हैं वह ग्रामांचल का विनाश करने की ओर चले हैं यह जो सामुदायिक विकास की परिकल्पना है यह १९४९ से प्रदेश और देश में वृहत रूप से चली। देश की आजादी के बाद अगर कोई काम हुआ तो यही कि यह एक नया विभाग दिया, बाकी विभाग तो पहले से ही थे। पहले इसका परीक्षण इटावा में किया गया और फिर उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस योजना को प्रदेश के अन्य अंचलों में भी बढ़ाया जा सकता है। धीरे-धीरे यह योजना बढ़ती गयी। हमारे ग्रामीण अंचल में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता थी और इन दोनों से अधिक आवश्यकता थी रूढ़िवादी मान्यताओं को समाप्त करने की। हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रामीण अंचलों में रूढ़िवादिता बहुत अधिक है।

मान्यवर, जो कृषि कार्यों में रूढ़िवादिता थी जैसे किसान बीज बदलने का नाम नहीं लेते थे, कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, रासायनिक खादों के प्रयोग करने की बात नहीं सोचते थे क्योंकि सोचते थे कि हो सकता है उनके खेत उससे ऊपर हो जांय, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था से घबड़ाते थे, वह उनकी रुढ़िवादिता खतम हुयी और हम तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं जो सामुदायिक विकास विभाग में रहे और जिनकी वजह से यह रुढ़िवादिता खत्म हुयी। मान्यवर, हमने देखा है कि राजनैतिक परिवर्तन चन्द घण्टों में हो सकता है, आर्थिक परिवर्तन १-२ वर्षों में होता है, लेकिन रुढ़िवादिता में परिवर्तन ५० और १०० वर्षों में कहीं जाकर होता है, लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों ने उसको इतनी जल्दी करके दिखा दिया। अब हमारे कृषकों ने उन नयी बातों को अंगीकार किया, नये यंत्रों को अंगीकार किया, कीटनाशक दवाओं का अब वे प्रयोग कर रहे हैं गांव को स्वच्छ करने की बात सोचते हैं, शिक्षा की बात सोचते हैं। लेकिन मान्यवर, हमारा यह दावा भी नहीं है कि जितने विकास की आवश्यकता है, वह सभी पूरी हो गयी हैं, अब तो पूरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी अपने परिवार की सारी समस्याओं को पूरा नहीं कर सकता है। नयी-नयी समस्यायें आती जायेंगी। यही जीवन के विकास के बारे में है, यही देश और प्रदेश के विकास के बारे में है। लेकिन इस तरफ जो भी कार्य इस विभाग ने किये हैं, वे अभूतपूर्व कार्य किये हैं। जितने लोग इस विभाग में गये, वे एक मिशनरी जील लेकर गये थे और उस वक्त नारा दिया था कि लोग सभा से गांव सभा तक और ग्राम विकास आयुक्त से ग्राम सेवक तक। इस तरह के प्रोत्साहन की बात थी, इन्सेन्टिव की बात थी। इस नीति को लेकर इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने

कार्य शुरु किया । लेकिन अफसोस है, जो हम परिकल्पना कर रहे थे, जो प्रोत्साहन दे रहे थे, उसे पूरा न कर सके । जब उसे पूरा नहीं कर सकेंगे, तो प्रोत्साहन के बदले हतोत्साहन होगा । तब निश्चित है कि कार्य की गति में अवरोध उत्पन्न होगा अवरोध उत्पन्न होने के कारण असफलतायें आयीं और लक्ष्य की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाये ।

मान्यवर, कई बातें माननीय मंत्री जी ने कहीं हैं । मैं हर प्वाइन्ट पर थोड़ा थोड़ा सुझाव दे देना अपना कर्तव्य समझता हूं । मान्यवर, लघु सिंचाई योजना के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा । लघु सिंचाई योजना या जितनी भी योजनायें हैं चाहे लघु सिंचाई योजना हो, चाहे सहकारिता आंदोलन हो, चाहे कृषि के कार्यक्रम हों, चाहे शिक्षा के काम हों, चाहे दूसरी इनफार्मेशन्स देने के काम हों, हमारा विकासखण्ड इन सब का कोआर्डीनेटर है, नियंत्रक है । उसी के माध्यम से हर विभाग का कार्य वहां संचालित होता है और खण्ड विकास अधिकारी सबका नियंत्रण करता है । यह विभाग इसीलिए बना कि सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको कार्यरूप में बदला जाय । लघु सिंचाई योजना में ए० डी० ओ० (माइनर इरीगेशन) मुख्य रूप से काम करता है । इसमें जो पुस्तिका दे रखी है, वह बड़ी इनफार्मेटिव है और उसमें काफी सूचना दे दी गयी है । इसकी तहत में विश्व बैंक ने पर्याप्त धनराशि दे रखी है और उस रुपये के व्यय करने के लिए जो संस्था है, वह भूमि विकास बैंक है, अनुसूचित बैंक है, कामर्शियल बैंक है । यह योजना उनको दे दी गयी है । पहले यह योजना जी० एम० एफ० से चलती थी । ब्लाकों में फण्ड्स देते थे और वहां से ऋण दिया जाता है । जैसे लघु सिंचाई योजना के लिए ट्यूबवेल और पम्पिंग सेट खरीदे जाते हैं । यह जो नये तरीके चले हैं, भूमि विकास बैंक के बारे में एक बात कहना जरूरी समझता हूं कि भूमि विकास बैंक के दरवाजे पर जो किसान गया, वह सकुशल घर वापस नहीं आया वह तो अपनी जमीन बेंच कर आया । सर्वनाश करके आया ।

एक सदस्य--

यह तो आपकी ओर से हुआ ।

श्री देव बहादुर सिंह--

हमसे गल्ती नहीं हुयी होती तो आप वहां नहीं बैठते । लेकिन अब आप उसका सुधार करें, जो नहीं कर रहे हैं । भूमि विकास बैंक में रेहन रख दी जाती है, मारगेज कर दी जाती है । भूमि विकास बैंक यह कहता है कि हम चेक तुम को देंगे, जिसे कम्पनी का कहें, जिसे दुकानदार का कहें उसका चेक दे देंगे तुम वहां से पम्पिंग सेट, मोटर ले लो । अब किसान को वहां का चेक मिलेगा । लेकिन वास्तविकता यह है मान्यवर, कि चेक से जहां से भी वह मोटर लाये, पम्पिंग सेट लाये वहीं कमीशन बंधा हुआ है इनका, पहले से ही तय है, नकद में आप पम्पिंग सेट लायें, मोटर लायें डेढ़ हजार, दो हजार कम में मिलेगा और इनके चेक से खरीदिये तो डेढ़ हजार, दो हजार महंगा मिलेगा । अन्दाजा लगाइये कितना महंगा मिला आपको । फिर दूसरी बात क्या है ? इनका ऋण वापस नहीं दिया तो भूमि नीलाम कर दी जाती है । मैं तो यह कहता हूं कि इसके पहले जी० एम० एफ० से ऋण दिया जाता था किसानों को लघु सिंचाई योजना को पूरा करने के

[श्री देव बहादुर सिंह—]

लिए, ट्यूबवेल, पम्पिंग सेट के लिए, उसे क्यों बंद कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी एक भी केस बतायें जो जी० एम० एफ० द्वारा ऋण दिया गया लघु सिंचाई के लिए उसका एक भी पैसा बिना वसूल किये रह गया। दोनों बातें किसान की पूरी हुई। पैसा सारा वसूल हो गया गवर्नमेंट का और किसान की जमीन भी नहीं बिकी। इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था थी लेकिन इसे छोड़ दिया। भूमि विकास बैंक ने किसानों को मारगेज कर लिया है। मैं चाहूंगा कि इस में सुधार लायें। उस को नकद पैसा दे दिया जाय। इसमें ही किसान का कल्याण है। दूसरी बात करने की आवश्यकता नहीं है।

लघु सिंचाई के लिए पम्पिंग सेट, नलकूप हैं, निजी नलकूप हैं, इनकी बोरिंग की व्यवस्था की जाती है ब्लाक में। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, मान लीजिए नलकूप खराब हो, पम्पिंग सेट खराब हो, तो इन्हें ठीक करने की सुविधा उन्हें दी जाय, कोई व्यक्ति उपलब्ध हो जो उन के पम्पिंग सेट को ठीक कर दे, ब्लाक में रहे ताकि किसान को इस के लिए चारों तरफ घूमना न पड़े। ऐसा करने से बड़ी सुविधा उस को मिल सकती है।

मंत्री जी ने मान्यवर, यह कहा कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में ४० लाख रुपया व्यय हुआ। यह संगठन ठीक है। पहले तो सिंचाई विभाग के अन्तर्गत था अब ए० पी० सी० साहब के अन्तर्गत है। ठीक है समन्वय करने के लिए आवश्यक था कि उन के नियंत्रण में यह विभाग कार्य करें। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो भी योजना आप की है लघु सिंचाई की जिस में जल नीचे से निकालने की बात है, किस क्षेत्र में कितने ट्यूबवेल, पम्पिंग सेट लगने की बात है, मुख्य रूप से बोरिंग करने की बात है, इन सब के लिए आपको पहले योजना बने। जब आप की योजना बने तब जितनी बोरिंग होगी वह शत प्रतिशत सफल होगी। जहां पानी न हो वहां अगर बोरिंग कर दी तो निश्चित है कि वह काम असफल होगा। तो पहले सर्वेक्षण कर लिया जाय और उसके बाद नलकूप लगाने की व्यवस्था, बोरिंग की व्यवस्था की जाय। दूसरी बात जहां पानी जितना उपलब्ध हो उतने ही नलकूप लगने चाहिये। उससे ज्यादा नलकूप लगेंगे तो सारे के सारे इकट्ठे बन्द हो जाते हैं। इसलिए यह जो संगठन है इस पर यह दायित्व दिया जाय कि यह योजना कहां-कहां बनाये कि कितने नलकूप कितने बोरिंग की आवश्यकता है। जो यह संस्तुति करे उससे ज्यादा आप लगायें नहीं।

तीसरी बात आपके ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की है। विभाग बना, नया बना। इसका काम ग्रामीण अंचलों में भवन बनाना, कहीं अस्पताल भवन बनाना, कहीं विकास खंड कार्यालय बनाना है, कहीं लिंक रोड बनाना है। काम इसके बहुत हैं लेकिन इस के पास है कुछ नहीं। न तो रोलर है जिससे सड़क बना सके। आपने इस पुस्तक में दस करोड़ रुपये का काम इनको दिया है, लेकिन इनकी क्षमता ऐसी नहीं है कि दस करोड़ रुपय का कार्य निर्धारित अवधि में यह कर सके इस लिए आप पी० डब्ल्यु० डी० से सम्पर्क करिये कितने रुपये पर जूनियर इंजीनियर या सहायक अभियन्ता कार्य करते हैं और गांव का कार्य आप उनके दायित्व पर दे दीजिये। अगर उनकी क्षमता न होने पर कार्य पूरा न हो सका तो ग्रामीण जनता को बहुत कष्ट होगा। ग्रामीण अभियन्त्रण १७, १८ प्रतिशत अधिक लेता है। सरचार्ज कह कर कुछ खर्चा वह ज्यादा लगाते हैं और हर स्कीम को महंगा कर देते हैं। गांव की स्कीम महंगी न हो कर सस्ती होनी चाहिये, मेरा यह सुझाव जंचे तो ग्रामीण अंचल को काफी राहत मिल सकती है।

पंचायतों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ७२,८४७ ग्रामीण पंचायतें इस प्रदेश में हैं। जब यह बनी थीं तो महात्मा गांधी की बहुत चर्चा की गयी। वह तो हर ग्राम सभा को स्वावलम्बी इकाई बनाना चाहते थे और जब ग्राम सभा बनी तो स्वावलम्बी इकाई बनाने की बात बहुत अधिक की गयी लेकिन धीरे-धीरे उनकी स्थिति यह हो गयी कि जब ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो कोरम तक पूरा नहीं होता। जितने प्रस्ताव वह पास करते हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है यह वह जानते हैं। आप अनिवार्य कर दें कि जब ग्राम सभा की बैठक हो तो ग्राम स्तर के कर्मचारी उसमें अवश्य जायं चाहे पतरोल हो, ग्राम सेवक हो या लेखपाल हो और उनसे कह दें कि उनको अनिवार्यतः वहां के लोगों की समस्या का समाधान करना होगा। इससे ग्राम के रहने वालों को काफी राहत मिल सकती है।

जहां तक न्याय पंचायतों का सवाल है चुनाव तक तो ये संस्थायें बड़ी सक्रिय रहती हैं लेकिन चुनाव के बाद न्याय पंचायत या ग्राम सभा में कोई नहीं जाता क्योंकि वह समझता है कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए न्याय पंचायतों का पुनर्गठन किया जाय, उनको इतना शक्तिशाली बनाया जाय ताकि जो छोटे-छोटे झगड़े, वैमनस्य वगैरह है उसका समाधान हो जाय। ग्रामीण जनता बड़ी-बड़ी अदालतों में न जाकर अगर न्याय पंचायतों तक सीमित हो जाय तो उनकी काफी अच्छी उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी। प्रादेशिक विकास दल का जहां तक सवाल है उसकी उपयोगिता क्या है मैं नहीं जानता। किताब में लम्बी चौड़ी बात कही गयी है। उसे ही माननीय मन्त्री ने भी दोहरा दिया जो किताब में लिखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उनसे कोई काम नहीं लिया जाता है। पेंशन घर बैठे पा रहें हैं। श्रमदान की बात कही जाती है। कोई मेड़ बनाई जाय, कोई सड़क बनाई जाय या सड़कों पर मिट्टी डाली जाय और यह उसकी प्रेरणा से हो तो समझ में आता कि उनकी उपयोगिता है लेकिन अगर स्वतः कोई श्रम करके सड़क बना ले या किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर ले तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसे और प्रगतिशील तथा सक्रिय बनायें।

एक और योजना है युवक मंगल दल जो बालकों के लिये है और उद्देश्य केवल एक है कि जो जवान गांव में रहता है उसे पूर्ण रूपेण यह दल प्रशिक्षित करें। चाहे कृषि का काम हो, पशुपालन का काम हो, मुर्गी पालन का काम हो, गृह वाटिका में बागवानी का काम हो इसमें उनको प्रशिक्षित किया जाय। लेकिन यह सब कागज में योजना है। सक्रिय रूप में इसमें कुछ नहीं है। इस योजना को प्रभावशाली ढंग से चलायेंगे तभी निश्चित रूप से योजना आगे बढ़ सकेगी।

एक बात कहना भूल गया मान्यवर, आदर्श गांव की बात कही गई। हमारी कांग्रेस हुकूमत में आदर्श गांव घोषित किये गये। गांव वाले समझते हैं कि आदर्श गांव हो गया तो हमारा बड़ा विकास हो जायगा, लेकिन सच यह है कि एक पैसा भी अतिरिक्त आप उनमें खर्च नहीं करते। आज आदर्श गांव के लोग कहते हैं कि आदर्श गांव घोषित करने के क्या माने हैं। अगर इस योजना में किसी को आदर्श गांव मानते हैं तो उनकी समस्याओं के लिए जल्दी समाधान का कोई प्रबन्ध करें जैसे जल्दी वहां स्कूल बने, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। इन सब बातों को प्राथमिकता दें जिससे सिद्ध हो सके कि आदर्श गांव होने से क्या लाभ होगा। जब लाभ की भावना आयेगी तो प्रतिस्पर्धा होगी और दूसरे गांव वाले भी आदर्श गांव बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जो आदर्श गांव बने उनके लिए विशेष व्यवस्था हो।

श्री अधिष्ठाता—

आपको २० मिनट से ज्यादा हो गये ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं ५, ७ मिनट में समाप्त करता हूं । एक आपने पौष्टिक आहार योजना चलाई है जिसका मन्त्री जी ने जिक्र किया । यह १९६३ से योजना चली और १६०, १६६ ब्लाकों में यह चल चुकी है । यह पूर्ण रूप से केन्द्र से जो पैसा आता है उस पर चलती है । मैं कहूंगा कि अगर केन्द्र से पैसा आना बन्द हो जाय तो यह योजना भी बन्द हो जायेगी । योजना ठीक है लेकिन यह सरकार और उसके अधिकारी और कर्मचारी यह महसूस नहीं करते हैं इसमें हमारा पैसा लगा है । वह समझते हैं कि केन्द्र से पैसा आयेगा और खर्च हो जायेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि इस पौष्टिक आहार योजना से कोई लाभ हुआ है ? इसका अभी तक दुरुपयोग ही हुआ है, सदुपयोग नहीं हुआ है जितना पैसा आया उसको आपने दो चार गांवों में खर्च कर दिया ५, ६ साल में एक विकास खंड में पहुंच गये । मैं चाहूंगा कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी योगदान होना चाहिये । इस समय केन्द्र के पैसे से यह चलती है इसलिए आप रुचि नहीं ले रहे हैं । जब तक आप अपना पैसा नहीं लगायेंगे तब तक रुचि नहीं लेंगे जब तक आपका योगदान नहीं होगा कार्य अच्छी तरह नहीं चल सकेगा ।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र की बात माननीय मंत्री जी ने कही । हमारे यहां बहुत प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है उसमें विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, किसान, और आर्टिजन आदि भाग लेते हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है । मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं । किसान और कृषि कार्य आज बहुत आगे बढ़ गया है। उसमें नई–नई तकनीकी जानकारी और नये–नये बीजों की जानकारी जो कि हमारे वैज्ञानिक देश और प्रदेश में देते हैं उनको दी जानी चाहिये । लेकिन गावों में मान्यवर, जो परामर्शदाता है किसानों का वह ग्राम सेवक है, उसे इन सब की जानकारी नहीं रहती है जब तक नये बीज और नई किस्म की खाद की जानकारी उसे नहीं होगी वह क्या प्रशिक्षण देगा । इसलिए जो प्रशिक्षण आप ग्राम सेवकों को देते हैं उसमें यह अनिवार्य कर दें कि उनको इन बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिये ताकि वह गावों में किसानों को ट्रेनिंग दे सकें और उससे वह लाभ उठा सके । ग्राम सेवकों के अलावा बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० भी होते हैं उनको ९ महीने, ३ महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और सेवा से पूर्व दो साल की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं तीन–चार मिनट में समाप्त कर रहा हूं । आज ग्राम सेवकों में बड़ा असंतोष है जो ग्राम सेवक भर्ती होता है। वह ग्राम सेवक से ही रिटायर होता है । इसके लिए आप कुछ प्रोत्साहन दें । उनके साथ आपकी मीटिंग हुई पता नहीं क्या मांग उनकी आपने माना उसको प्रोन्नति मिलनी चाहिये । विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी है, नया विभाग आपने बनाया है उसमें उनको पदोन्नति मिलनी चाहिये जिससे वह अपना कार्य तबियत से करें मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर भी आप ध्यान दें ।

दूसरी बात मैं कहूंगा कि ग्राम सेवकों के ऊपर आपने लक्ष्य निर्धारित की है कि वह टेस्ट करने के लिए गांव से इतनी मिट्टी लेकर आये जिसका कि आप परीक्षण करवाते हैं कि किस खेत में कितनी खाद की आवश्यकता है या किस तरह के बीज की आवश्यकता है और जो कमी है वह कैसे पूरी हो मेरा इसके बारे में सुझाव है, खाद इतनी अधिक मंहगी हो गई है कि यदि हर खेत की मिट्टी का परीक्षण किया जाय तो किसान का सौ से डेढ़ सौ रुपये की बचत हो सकती है। आवश्यक है कि हर एक खेत की मिट्टी का परीक्षण हो, लेकिन यह होता नहीं है। खेतों में, फसलों में समय समय पर विभिन्न बीमारियां लगती हैं, यह इसलिए है कि मिट्टी में कुछ तत्वों की कमी है। इसलिए आप कोई केन्द्र तय कर दें, जो जांच करके यह बतावें कि किस खेत में किस तत्व की कमी है। यह कर दें तो यह किसान के बड़े लाभ का होगा। जो कीटनाशक दवाएं हैं, उनके सेम्पेल लेकर आप जांच करावें। फसल खुद नहीं बताती है कि दवा कैसी है। किसान बीज रखता है, वह नहीं जानता है कि वह जमेगा या नहीं। इसलिए बीज जर्मनेशन टेस्ट करने के लिए भी आपको सेन्टर बनाने चाहिए, जो किसान चाहे वह वहां पर जाकर अपने बीज का टेस्ट करा लेवे। जब बीज नहीं जमता है तो किसान बड़ा परेशान हो जाता है। यह भी होना चाहिये कि पन्त नगर आदि के अच्छे-अच्छे बीज वहां भेजे जांय। इन शब्दों के साथ यह कटौती का प्रस्ताव मैं इन आशा के साथ प्रस्तुत करता हूं कि जो हमारे नये और महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उसे मन्त्री जी अवश्य स्वीकार करेंगे। उसकी कटौती करके एक रुपये करने का मतलब तो उसमें अपने सुझाव देने का एक माध्यम और रास्ता है। अतः मान्यवर, मैं आपसे यह कहूंगा कि इस पर आप चर्चा करावें।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम्य विकास का जो बजट पेश है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। मान्यवर, जो यह नारा है--ग्राम की ओर चलो जाए और दूसरे उसके तरफ चलने की जो दिशा है, उसकी पूर्ति यह बजट करता है। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो जिला परिषद् और क्षेत्र समिति अधिनियम है, यह अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। क्षेत्र समिति अपंग सी हैं। मैं क्षेत्र प्रमुख और ब्लाक प्रमुख रहा हूं। मेरा अनुभव है कि क्षेत्र समितियां अपंग सी हो गई हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है।

दूसरी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, जो मैंने आपसे अर्ज किया था और आपको बधाई देता हूं कि आपने मेरा सुझाव माना है। तमाम ब्लाक की गाड़ियों पर क्षेत्र विकास अधिकारी लिखा रहता है और आपने यह आदेश दिया है कि इसके बजाए, जिस क्षेत्र समिति की वह गाड़ी है, उसका नाम उस पर लिख दिया जाए। लेकिन यह आदेश आपका जिलों में नहीं पहुंचा है, अतः आप इसे शीघ्र लागू कराने का कष्ट करें।

अब मैं खण्ड विकास अधिकारियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे जनपद में १५ क्षेत्र विकास अधिकारी ऐसे हैं, जो हर ४ महीने में बदल जाते हैं। हर स्थान पर एक दिन के लिए बदल दिए जाते हैं, लेकिन बदलते अवश्य रहते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप कोई मुस्तकिल इन्तजाम करावें, इनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ]

मुस्तकिल न होने से ग्रामों की प्रगति शिथिल हो जाती है। मैं आपका ध्यान लिंक रोडों की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सबसे बड़ा काम होगा, जिसकी ओर आपका ध्यान है, यदि हर एक गांव मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए, तो गांवों का बड़ा उत्थान हो सकता है। इस पर आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए और इस पर आप ध्यान दें। ए० एन० पी० स्कीम की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा डुमरिया गंज ब्लाक ए० एन० पी० स्कीम में आ गया है, लेकिन अफसोस है कि मेरे ब्लाक को अभी जीप नहीं दी गयी है।

जब कि ए० एन० पी० स्कीम के अन्दर जीप का दाम भी शामिल होता है। मैंने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और ए० पी० सी० को भी पत्र लिखा था, चन्द्रा गोविन्द जी को भी कहा था लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारे ब्लाक को गाड़ी नहीं दी जा रही है।

एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जानता हूं कि एक भी ग्राम सेवक एक दिन भी क्षेत्र में नहीं रहता है। वह या तो हेडक्वार्टर पर रहता है या सीड स्टोर पर पड़ा हुआ है। फील्ड में रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुरानी प्रथा खत्म हो गयी जो १० या २० वर्ष पहले थी। ऐसे पंचायत सेक्रटरी मिलेंगे जिनको अपने प्रधान का नाम नहीं मालूम है। इससे लोगों का विश्वास घट रहा है। ये लोग रीढ़ हैं प्लानिंग की। अगर इस तरह से रहेंगे तो मान्यवर, काम नहीं बनेगा। इस ओर विशेष ध्यान दे और आदेश पारित करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने कुछ सुझाव पेश करता हूं। ग्राम्य विकास हमारे भारत की जड़ है। गांधी जी के शब्दों में भारत गांवों में बसता है। इसलिए आज जो हमारे मंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया है वह बहुत आवश्यक है और विचार करने योग्य है। गांवों की समस्याएं अनेक प्रकार की हैं। मैं दो चार समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गांवों में तीन-चार प्रकार के किसान हैं जिनको पानी आवश्यक हो जाता है। छोटा किसान, लघु किसान, मध्यम किसान और बड़ा किसान। इन किसानों के लिए उचित माध्यम से हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी है। दूसरी बात यह करनी है कि हर गांव के विकास के लिए जैसा कि मंत्री जी ने कहा लिंक रोड स्थापित करनी है। उसके साथ हर गांव के गरीबों के घर की व्यवस्था आपको करनी है। लिंक रोड तब तक सफल नहीं होगी जब तक उनके रहने के लिए भवनों के निर्माण की व्यवस्था नहीं करेंगे।

आज हमारे गांव के २५ प्रतिशत घर ऐसे हैं जो फूस या छप्पर से बने हुए हैं। नालियां भी गांवों की उसी तरह से हैं। इसलिए गांवों को इस ढंग से बसायें ताकि उनके घर अच्छे हों और बीच में नाली हो, पानी का निकास हो। उसके पशुओं को रखने के लिए भी हर किसान को दी जाय ताकि वह अपने द्वारा अपने पशुओं को व्यवस्थित ढंग से रख सके और गौशाला बना सके। इसके साथ पशुधन की भी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि पशु किसान का पूरक होता है। पशुधन गाय और भैंस इसकी भी हमें व्यवस्था करनी है। और उनके साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही साथ गांव में जो मजदूर हैं उनके लिए विकास की व्यवस्था करनी है। भूमि–हीनों और हरिजनों में जमीन बांटी जाये लेकिन कुछ जमीन को हमें सार्वजनिक कार्यों के लिए छोड़ना है। अगर ऐसा करेंगे तो चरागाह के लिए भी जमीन मिल जायेगी। इसलिए ग्राम्य विकास विभाग के लिए इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि गांव की उन्नति के लिए नाना प्रकार की मशीनें हों। और सरकार के पास हैं भी जैसे गांव पंचायत, गांव सभा आदि। विकास क्षेत्र के कर्मचारी, राजस्व के कर्मचारी अगर यह सब मिलकर खेती के पीछे पड़ जायें तो निश्चित रूप से हमारे गांवों का विकास जल्दी हो जाये। इन शब्दों के साथ माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे ग्राम्य विकास अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता––

आप माइक के सामने बोलें। रिपोर्टर्स को लिखने में दिक्कत हो रही है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा––

मान्यवर, ग्राम्य विकास की योजना जो है वह गांवों के लिए सचमुच में महत्व–पूर्ण है। इस विभाग के अन्तर्गत लगभग १७ विभाग आते हैं––जैसे कृषि, सामाजिक शिक्षा, भूगर्भ, जल सर्वेक्षण आदि। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के लिए सिंचाई पहली आवश्यकता है, चाहे किसान को खाद और बीज न मिले लेकिन सिंचाई की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। आपका भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन है यह भूमि के अन्दर के जल का सर्वेक्षण करता है और पानी की व्यवस्था करता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद बहराइच में सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। यह जो तराई क्षेत्र हैं जिसमें बहराइच, गोन्डा और लखीमपुर आदि जिले आते हैं यहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बहराइच की १६८ किलो–मीटर भूमि पहाड़ों से मिली हुई है जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वहां पर राजकीय नलकूप भी नहीं है और न नहरें हैं। पिछली बार केन्द्रीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा २ राजकीय नल कूप बनाये गये जिनको ११०० फीट गहरा बोर करना पड़ा था। पहाड़ी नाले जो आते हैं उनमें कच्ची बन्धियां हैं और जब अधिक पानी आ जाता है तो वह टूट जाती हैं इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि उनको पक्का कराया जाये। वहां पर जो बड़े–बड़े पहाड़ी नाले हैं जैसे भैंसही, सुरकुन्डा, हथकुन्डा और नगवा आदि नाले हैं जहां पर पक्की बन्धियां बनायी जा सकती हैं। ३० वर्ष हो गये लेकिन यहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं हो पाया है इसलिए मेरा निवेदन है कि इन नालों पर पक्की बन्धियां बनाने की योजना बनायी जाये। कुछ लोगों ने अपने निजी पैसे से बोरिंग कराने का प्रयास किया लेकिन उनके स्ट्रेटा में कंकरी और पथरी पड़ जाने के कारण बोरिंग सफल नहीं हो सकीं और उनका पैसा बरबाद गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा—]

इस तरह से मान्यवर, हमारे जिले बहराइच में जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो पाये हैं। उसका एक कारण यह भी है कि लिंक रोड्स का न होना। जहां किसान गल्ला पैदा करता है, वह इनके अभाव में समय पर अपना गल्ला नहीं बेच पाता है। परिणाम यह होता है कि गल्ला सड़ जाता है। आप लिन्क रोड्स को बनवाने का विशेष इंतजाम करें ताकि गांवों का संबंध शहर से जुड़ सके। हमारे क्षेत्र में ऐसे इलाके हैं, जहां से आठ-आठ किलोमीटर दूर तक कोई सड़क नहीं है। अतः इन इलाकों को शहरों से जोड़ने की आप कोई न कोई योजना अवश्य बनायें।

माननीय मंत्री जी ने पौष्टिक आहार योजना का अपने भाषण में जिक्र किया। हमारे जिले बहराइच में थारु जाति के लोग बेचुआ, भचकाही, कट्कइया-कलां, मसहाकला आदि क्षेत्रों में रहते हैं जहां इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं चलाई गई। यहां के स्कूलों के बाल बच्चे एवं गर्भवती माताएं पौष्टिक आहार से वंचित रह जाती हैं परिणाम स्वरूप सरकार की इस योजना से इन्हें कोई लाभ नहीं पहुंच पाता। और इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। होता यह है कि पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत स्कूलों में बच्चों को जो भी सामग्री देने की व्यवस्था होती है, उसका उपयोग बच्चों को न दे करके स्वयं अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में समुचित देख-रेख तथा योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। इस ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत पिछली सरकार ने पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत कराने की योजना चलाई गई। भवन निर्माण के संबंध में लाखों रुपये सरकार द्वारा दिये गये, आज तीन-तीन वर्ष हो गये, वे जैसे के तैसे आज भी हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इन भवनों के निर्माण की व्यवस्था तुरन्त करायें।

मान्यवर, पंचायत राज के अन्तर्गत गांवों में सस्ता न्याय दिलाने की दृष्टि से न्याय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो सर-पंच चुने जाते हैं, उन्हें पंचायत राज अधिनियम के प्राविधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अतः उन्हें इसका ज्ञान उसी समय करा देना चाहिये जब वे चुन कर आते हैं।

सरपंचों की कम से कम शैक्षिक योग्यता इस प्रकार रखी जानी चाहिये कि वे गांवों में आसानी से मिल सके।

इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन यह है कि गांवों में जो भी योजनायें चलाई जायें वे समयबद्ध हों। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर इसकी ओर आप ध्यान नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस प्रदेश का समुचित ढंग से विकास नहीं कर सकते।

इन शब्दों के साथ मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह लोग ७१ हैं और हम १५२, अतः २/१ का बंटवारा ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

हमने ३/१ किया है ।

एक सदस्य—

आपको ५/१ करना चाहिये तो सही होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं, इतनी देर में तो वह बोल लिये होते ।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, ग्राम्य विकास बजट पर श्री देव बहादुर सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, बजट को देखते हुये तथा समय को देखते हुये माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना ही निवेदन करूंगा और वैसे तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है क्योंकि मंत्री जी के पिछले जीवन से भी मैं परिचित हूं, कि विषय की गम्भीरता को देखते हुये जो बजट वह ले रहे हैं, उसको क्रिय ढंग से निश्चित समय के अन्दर, उन निश्चित विभागों में जिनके लिये आप प्राविधान ले रहे हैं, उसका सदुपयोग करेंगे ।

मान्यवर, ग्रामीण अंचलों के विकास के लिये लिंक रोड की व्यवस्था होना सर्वोपरि है । आज बीसवीं सदी में ऐसे गांव भी हैं जहां न आसानी से जाया जा सकता है और न ही आया जा सकता है । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जौनपुर के इलाके में, तमाम ऐसे गांव हैं जहां एक आदमी किसी भी ढंग से समुचित यात्रा नहीं कर सकता है । अगर कोई बीमार हो जाय तो मरीज और डाक्टर के बीच में जो दूरी पड़ती है, वह व्यवधान सड़क है और सड़क न होने की वजह से ही मरीज जिन्दा नहीं रह सकता है, उसको समय से उपचार नहीं दिया जा सकता । इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा महत्व और प्राथमिकता लिंक रोड को दिया जाना चाहिये । जब आवागमन के साधन उपलब्ध होंगे तो अपने आप विकास की प्रगति द्रुतिगति से होगी, लोग आगे बढ़ेंगे ।

लिंक रोड के बाद दूसरी प्राथमिकता लघु सिंचाई योजना को होनी चाहिये । आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो पम्पिंग सेट के लिये बिजली चाहते हैं जिसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था हो सके । अतः मेरा दूसरा निवेदन यह है कि दूसरी प्राथमिकता में सिंचाई को लिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, लिंक रोड और लघु सिंचाई के बाद पेय जल योजना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । कटौती के प्रस्ताव को रखते हुये माननीय श्री देव बहादुर सिंह जी ने इन्हीं सब योजनाओं पर चोट की है । मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे । जैसा कि सन् ६० में इसके बारे में नियम लाया गया था, लेकिन नियम की कमी और प्राविधान न होने की वजह से वह नहीं हो सका । क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, जिनका कि सीधा सम्बन्ध जिले के ग्रामीण अंचल से है और उनके विकास से है, मान्यवर, उनको ज्यादा से ज्यादा सक्रिय बनाया जाय और उनको अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं...

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि ३-४ मिनट में आप अपनी बात कह देंगे ।

श्री हर प्रताप सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे गांवों की ओर विशेष ध्यान दें । कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर लिंक रोड्स हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, वे इतनी खराब हैं कि बरसात के दिनों में गांव का आदमी कहीं बाहर कोई नहीं जा सकता है । अगर कोई किसान अपने खेत में सब्जी वगैरह बो देता है तो रास्ते इतने खराब हैं कि वह उस सब्जी की उपज को बाजार तक नहीं पहुंचा सकता है । मेरी प्रार्थना है कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

दूसरे यहां पर खेतों में पानी के लिए लघु सिंचाई योजनाओं की बात की गई । खेतों के लिए पानी उतना ही आवश्यक है जितना कि मनुष्य के शरीर के लिए खून की आवश्यकता होती है । इस पर यह हो रहा है कि जो लघु सिंचाई के लिए पम्प सेट्स लेना चाहते हैं तो उनको बिजली नहीं मिल पाती है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले में वे विद्युत मंत्री जी से बात करें ताकि उनको जल्दी से जल्दी बिजली मिल जाया करे जिससे किसान लोग अपने पानी की व्यवस्था कर सकें ।

मान्यवर, हमारे यहां पर एक रास्ता है वह इतना खराब है और दो तीन नाले भी इतने खराब हैं कि चलना बड़ा मुश्किल है । इनके बारे में हमने जिला परिषद् से कहा लेकिन कांग्रेस के शासन काल में उन्होंने कहा था कि अगर यहां पर जनता को बनवाना होता तो विरोधी पार्टी को क्यों जिताती । इसलिए वे नहीं बन पाई और आज तक वैसी ही पड़ी हुई हैं ।

मान्यवर, फूलपुर एक टाउन एरिया है जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रहा है इलाहाबाद का । उसके रास्ते इतने खराब हैं कि बरसात के दिनों में बाजार में इस तरफ से दूसरे तरफ अगर कोई जाना चाहे तो नहीं जा सकता है । मैं उन रास्तों को सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा ।

जहां तक छोटे छोटे स्कूल्स की हालत है अगर कोई जाकर देखें तो उसे असली हालत मालूम हो जायगी । इतनी गम्भीर हालत है कि वह बताने लायक नहीं है । जिला परिषद् के स्कूल्स तो अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथ में चले गये हैं, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है लेकिन जो छोटे छोटे अन्य स्कूल्स चल रहे हैं, आप उनको मदद देकर चलवायें, उनका प्रोत्साहन करें ताकि वहां पर प्रौढ़ों को शिक्षा दी जा सके । बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां पर स्कूल्स नहीं हैं लेकिन गांव के आदमी स्कूल चलाना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि उनको जरूरी मदद दी जाय । ऐसे हजारों आदमी तैयार हैं कि वे अपने घरोएचें एवं झड़े लगाकर स्कूल चलवाना चाहते हैं लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है ।

हमारे यहां पर न तो रहट ही चल पाते हैं और न कोई तालाब ही है जिससे सिंचाई हो सके, नदियां भी नहीं है जिनसे पानी लिया जा सके । केवल

लघु सिंचाई में प्राइवेट पंपिंग सैट्स ही हैं जिनसे कुछ सिंचाई हो सकती है । अगर उनके लिए बिजली की व्यवस्था हो सके तो खेतों में पानी की सिंचाई का प्रबन्ध हो सकता है ।

यदि शारदा कनाल अगर हमारे यहां पर पहुंच जाती है तो इससे भी फायदा होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

शारदा कैनाल से कोई मतलब नहीं है ?

श्री हर प्रताप सिंह--

मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी का इससे कोई मतलब नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, आज ब्लाक पर बोलने के लिए थोड़ा सा मौका मिला । मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा एक तहसील है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अक्सर लोग मांग करते हैं कि हमारे यहां पक्की सड़कें हों, ट्यूबवेल हों, हम न खरंजों की मांग करते हैं, न सड़कों की, न ट्यूबवेलों की, सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारे यहां समुंदरों को पाट दिया जाय, खलीजों को बन्द कर दिया जाय ताकि लोग अपने घरों से निकल कर जनाजा या अरथी लेकर कब्रिस्तान में जा सकें । हमारे यहां प्रदेश में और केन्द्र में सारा पंचायती राज है, लेकिन जहां से यह पंचायती राज शुरू होता है वहां इतनी गड़बड़ी शुरू होगी तो यह राज कैसे चलेगा ? मैं मानता हूं कि मंत्री जी को ३० साल के बड़े बड़े भट्ठों को पाटने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और हमें उसमें सहयोग देना पड़ेगा । लेकिन मेरे क्षेत्र में ऐसा आलम है कि अगर आप वहां जाना चाहें तो आपको हाथी की सवारी दरकार होगी । वहां आपका ट्रैक्टर भी नहीं जा पायेगा । वहां ट्रक नहीं जा सकता । कहीं तो ट्रक ही नहीं जा पाता मेरे यहां तो ट्रैक्टर तक नहीं जा सकता । आप मुझे बताइये कि मैं अपने क्षेत्र के आदमियों से मिलने के लिए कैसे जा सकता हूं ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कौन सा जिला है ?

श्री मुकीमुर्रहमान--

यह तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद ।

श्री अधिष्ठाता--

मुरादाबाद के साथ आप अन्याय कर रहे हैं ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहां ट्यूबवेल तो ट्यूबवेल कुएं तक नहीं हैं पानी पीने के लिए । हरिजनों की बस्ती है । मैंने देखा है कि वहां जमीन के लेविल में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

कुओं की मनें आ चुकी हैं और जो पानी उन कुओं से निकलता है, मेरा दावा है कि आप कहें तो एक लोटा मंगा कर दे दूं, उसको इनसान तो इनसान, हैवान तक नहीं पी सकता। मिट्टी से लबरेज, पीले रंग का पानी निकलता है। सोतों में से पानी निकाल कर पिया जाता है और डेढ़-डेढ़ सौ मील तक कुंएं भी लगाने के लिए नहीं हैं। मैंने बी० डी० ओ० वगैरह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। न हमारे पास पेड़ हैं जो नीलाम कर दें, जमीन नहीं जो आक्शन कर दें, क्या करें ? उस तहसील में ऐसा कोई गांव ही नहीं है जहां खरंजा हो ४७७ गांव हैं मेरी तहसील में। १२ गांव ऐसे हैं जिन में पैरगाड़ी या साइकिल से ही जाया जा सकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में शायद कभी खरंजा बिछवाया गया होगा।

मैं यह नहीं कहता कि मेरे क्षेत्र को चमकाया जाय या ऐग्रीकल्चर को बढ़ाया जाय। मैं तो बस यह चाहता हूं कि वहां के किसानों को बस मरने न दिया जाय, पहले यह किया जाय बाद में खेती-बाड़ी का इन्तजाम किया जाय। वहां २७ गांव ऐसे हैं कि जहां जिन्दगी सेफ नहीं है। आग लगने के बाद गांव में लोग बरगद के पेड़ों के नीचे पड़े हैं। वह फूस तक अपने झोपड़ों में नहीं डाल सकते। हरिजनों की बस्तियों में छप्परों के लिए रामपुर से फूंस मंगवाकर दिया गया है। फूंस भी छप्पर डालने के लिए मयस्सर नहीं हुआ। ब्लाक की एक मीटिंग की। मुरादाबाद जिले में दूसरी कोई तहसील नहीं है जहां नल न लगा हो। हमारे यहां हालत क्या है कि सिर्फ २७ पंप हैं। और सारी तहसील में ट्यूबवेलों की यह हालत है कि महज १७ लगे हैं और २० जो और लगे हैं तो उनमें न मोटर फिट हैं, न लाइन खींची गयी है, कुछ नहीं हुआ। विरोधी दल के अन्दर शम्नू खां साहब बैठे हुए हैं, वह मेरी तहसील के नक्शे से वाकिफ हैं। अगर वहां कोई मिनिस्टर जाये तो बिना रोये हुए नहीं लौटेगा, वहां खाना खाकर वापस नहीं आयेगा। मुझे वहां की हालत को देखकर मेरा रोआं लरजता है। वहां आदमी घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता और जिन्दा रह नहीं सकता।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मैं आपके बजट को नहीं जानता। आपको कहीं से भी इन्तजाम करना पड़े, कोई भी आदेश करना पड़े, सबसे पहले वहां हर बस्ती के अन्दर पानी के पीने के लिए कुएं का इन्तजाम होना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र में कहकर आया हूं परसों इतवार को कि ६ महीने के अन्दर पानी का इन्तजाम कराऊंगा आपके गांव के अन्दर। अगर आपने पानी पीने के लिए कुएं का इन्तजाम नहीं किया तो मैं कहूंगा कि यह जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है बल्कि यजीद की गवर्नमेंट हो जायगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्षेत्र में सौ कुओं का इन्तजाम तुरन्त कराया जाय। वहां दौरा करा दें और पता लगवा लें कि वहां पानी पीने का साधन क्या है उसके बाद उनको खुद अहसास हो जायगा।

पहली बात तो यह कि ठाकुर द्वारा से जो रामगंगा निकलती है तो जो बाजरा, ज्वार बोया वह रामगंगा बहा के ले गयी। रामगंगा परियोजना के बाद कुछ जमीन इस काबिल हुई है कि कुछ लोग वहां अनाज उपजा सकते हैं। मैंने १-२ आदमियों से पूछा कि भाई तुम गांव कभी गये तो उन्होंने कहा कि जिले का नक्शा ही याद नहीं। अगर मेरे बाद शम्नू खां साहब को बोलने का मौका मिले तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम यह तो बयान दे दें कि यू० पी० में किस तहसील का आलम ऐसा हो सकता है जो मेरे यहां है।

मुरादाबाद में एक तहसील ऐसी है जहां से एक एम० एल० ए० चुन कर आता है वर्ना हर तहसील से दो एम० एल० ए० चुन कर आते हैं। तो उस तहसील से जब मैं चुन कर आया तो देखा कि मुन्शी नहीं है, मंडी नहीं है, कुछ नहीं है, मुन्शी जी नहीं हैं रजिस्ट्री करा नहीं सकते। तहसीलदार अब आने लगे हैं। ब्लाक में अगर जाओ तो बी० डी० ओ० को बुलाना पड़ता है। मैं बी० डी० ओ० को दोष नहीं देता कि वह कार्य नहीं करते, लेकिन कार्य करने के लिये सामान चाहिये। १०-२० गांव ऐसे हैं जो थोड़ा रुपया खर्च कर के प्रधान बन कर आ जाते हैं। मेरे क्षेत्र के प्रधान ऐसे हैं कि जो चाहो वह कहलवा लो, जो चाहो लिखवा लो। वह अपनी जायज मांग आप से कह ही नहीं सकते, बोलना तक नहीं जानते। कम से कम यह सरकार और खासतौर से बोस साहब मुझे उम्मीद है मेरी हर तरह से जरूर मदद करेंगे। साथ ही साथ में छन्नू खां साहब से जरूर कहलवाना चाहूंगा कि वह कृपया बतायें कि मैंने एक लफ्ज भी गलत कहा हो। कोई भी तहसील ऐसी होगी जिसमें बस न जा सके ? मुझे सड़कें नहीं चाहिये। मुझे समुद्र पाटने के लिये मिट्टी चाहिये। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)

मान्यवर, ग्राम्य विकास के बजट में कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास में जो ग्राम सभायें हैं वह देश की उन्नति की चारपाई का एक पाया है। इसीलिये स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने चौखम्भा राज की कल्पना की थी। मैं देखता हूं कि आज जो हुकूमत है वह दो पायों की हुकमत पर चलती आ रही है और जो बाकी दो पाये हैं, जिला प्रशासन और ग्राम सभायें वह बिल्कुल सड़ चुके हैं। एक तरफ देखता हूं कि यह जो दो पाये हैं जिनसे राज्य और केन्द्र का प्रशासन चलता है वह बहुत सरसब्ज है, चारों तरफ खुशहाली छायी हुई है और दूसरी तरफ जो दो पाये हैं जिला और गांव सभाओं के वह सड़ चुके हैं। ८० फीसदी जनता जो गांवों में रहती है उसका विकास अभी अधूरा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो केन्द्र और राज्य के पाये हैं वहां रौनक छायी हुई है। राष्ट्र की आय का दो-तिहाई रुपया इन्हीं पर खर्च होता है और एक-तिहाई उनपर जहां ८० फीसदी जनता रहती है। अधिकांश रुपया उन पायों पर खर्च होता है जहां से केन्द्र और राज्य की सरकारें चलती हैं, चाहे वह चन्द पूंजीपतियों के कारखानों में खर्च होता हो, चाहे जो मंत्रिगण हैं उनके बंगलों पर अथवा जो विधान सभा और लोक सभा के सचिवालयों पर खर्च होता हो।

मेरा कहना है कि चारों खम्भों में बराबर विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। जो राज्य की सरकार है या जो केन्द्र की सरकार है, गांव सभा में जितने कर्मचारी हैं वह सब गांव सभाओं के अधीन हैं, गांव सभा के अन्तर्गत जितने लेखपाल हैं या जो और कर्मचारी हैं वह गांव सभा में जरूर हैं, लेकिन वह अनियमिततायें करते हैं, लेखपाल अगर गलती करता है, या मास्टर सही तरीके से शिक्षण कार्य नहीं करता है, तो गांव के लोग शिकायत करते हैं तो वह गांव की बातें सुन कर जिले में चला जाता है और वहां जिले के अधिकारी से मिल कर, सांठ-गांठ कर लेता है। इन अनियमितताओं के विरुद्ध अगर लेखपाल को, मास्टर को अगर आप सस्पेंड कर देते हैं, या बरखास्त कर देते हैं, तो उनको भय हो जायगा और इससे लेखपालों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हई सिंह--]

में तथा मास्टरों में जो भ्रष्टाचार है, वह दूर हो जायगा। गांवों में लेखपाल काश्तकारों से १०-१०, २०-२० रुपये इन्तखाब के लिए लेता है, तो यह सब अनियमिततायें हैं, यदि आप उनके विरुद्ध एक बार सस्पेंशन की कार्यवाही कर देंगे तो उससे समाज में सुधार आयेगा और ये लेखपाल सही काम करेंगे। उनको यह भी भय हो जायेगा कि यदि हम गांव-सभा के लोगों की बात नहीं मानेंगे, तो ये गांव सभा के लोग शिकायत करके हमको निलम्बित करा देंगे। जिले के अधीन जितने कर्मचारी या अधिकारी हों, चाहे जज हो, सिविल सर्जन हो, जो कोई अनियमिततायें करता है, गलती करता है, उसके विरुद्ध कोई भी शिकायत आती है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। जिले में लाखों की तादाद में शिकायतें आती हैं, तो जिले का अधिकारी, लखनऊ में आकर किसी मिनिस्टर से साठ-गांठ कर लेता है, तो उसकी शिकायत सुनी नहीं जाती है। इसलिये मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसका विकेन्द्रीकरण चारों खम्भों में होना चाहिए। गांव में जितनी अदालतें हैं, उसका एक चौथाई हिस्सा गांव सभा के लिए छोड़ दिया जाय, एक चौथाई हिस्सा जिला के लिए छोड़ दिया जाय और एक चौथाई हिस्सा केन्द्र के लिए छोड़ दिया जाय। कहीं पर हम कोई शिकायत करते हैं, तो वह दिल्ली चला जाता है, तो इसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। जो हमारी ८० प्रतिशत जनता देहातों में रहती है, वहां पर शिक्षा का प्रबन्ध अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि शिक्षा का देहातों में विकास हो सके।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कन्हई सिंह, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री कन्हई सिंह--

मान्यवर, मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं जलालाबाद, वह दो नदियों के बीच में है। वह पिछड़ा हुआ इलाका है। उस इलाके के उत्थान के लिए ब्लाक में ७४ हजार रुपया दिया गया था।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों तथा श्री नाथूराम शिक्षक के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठिये, बोलने दीजिए। बैठिये आप शिक्षक जी।

श्री कन्हई सिंह --

अंर निर्माण कार्य रुका हुआ है। मैंने वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया है कि ७४ हजार रुपये का गबन हुआ है। इसी तरह से और भी बातें हैं, लेकिन समय नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत बहुत धन्यवाद, आपको।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपात स्थिति हटने के बाद चुनाव हुआ और जनता पार्टी सत्ता में आयी तथा लोकतन्त्र का वातावरण बना। तब राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को भी याद आया कि उनके काफी अधिकार बाकी हैं, तनख्वाहें चाहिये। तरह-तरह के प्रदर्शन होना शुरू हो गये। होम्योपैथिक वाले, पशुचिकित्सक, राजकीय विद्यालयों के शिक्षक आदि लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जो अभी तक चालू है। मान्यवर, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, बहुत बड़ी मांग आई ग्राम सेवकों की ओर से। १६ हजार की तादाद में ग्राम सेवक लखनऊ में आये और ५१ ग्राम सेवकों ने आमरण अनशन कर दिया। लेकिन तारीफ है हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी की कौन सी उन्होंने सलाह दी या कौन सी बात कही कि दूसरे दिन मैंने देखा कि की जो उनके तम्बू सबसे ज्यादा लगे हुये थे, सबसे ज्यादा उनकी भीड़ थी वह सब चली गयी। और सबके सब संतुष्ट भी थे। तो इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि अपना गुरु मंत्र दूसरे मंत्रियों को भी दे सकें तो अच्छा हो।

दूसरी बात यह है कि श्रीमती गांधी के शासन में, पिछले शासन में आपात स्थिति के दौरान में यह सोचा जाता था, कहा जाता था, सोचा तो नहीं जाता था, कि लोकतन्त्र कायम हो गया है। लोकतन्त्र का अनुभव हमने बिना मुकदमा चलाये, बिना अभियोग लगाये जेलों में रहकर प्राप्त किया है। इसके बाद जनता पार्टी का शासन हुआ उन्होंने घोषणा की कि लोकतन्त्र स्थापित हो गया है। हम कहते है कि लोकतन्त्र स्थापित हो गया है। लेकिन मेरा थोड़ा सा मतभेद है। इसको मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मैं इस लोकतन्त्र को आधा लोकतन्त्र मानता हूं। हमको बोलने का अधिकार है लेकिन हिस्सा लेने को हमको और जनता को उतना अधिकार नहीं है जितना कि होना चाहिये। उदाहरण के लिये हमने अपने नेता का चुनाव किया। नेता ने अपने मंत्रियों को चुना। मंत्रियों ने मिलकर बजट बनाया और अपना अपना अनुदान लिया। तो उन्होंने बजट बना लिया और हम भी उस बजट का समर्थन करेंगे, लेकिन मंत्री लोग इस हालत में नहीं थे कि बजट बनाते समय हमसे राय ले सकते। और बता सकते कि कहां से कितना टैक्स लगा रहे हैं, क्या अनुदान ले रहे हैं। अगर वह बताते तो श्यामधर जी बजट को लोकेज पर विशेषाधिकार का प्रश्न ले आते। तो हम चाहते हैं कि लोकतन्त्रीय पद्धति जो हो वह ऐसी हो जिसमें हम लोग साझेदार हों। हम लोग जय प्रकाश जी का नाम बहुत लेते हैं और कहते हैं कि जय प्रकाश जी के प्रयत्न से, उनके संघर्ष से, उनके नेतृत्व से यहां पर हमने पुनः लोकतन्त्र की स्थापना की। लेकिन जय प्रकाश जी ने एक किताब लिखी थी उसमें लिखा है कि हमारा यह लोकतन्त्र उल्टा पिरामिड है। जिसके नीचे की जो नींव है वह कमजोर और हल्की है और छत बहुत भारी है। इसी तरह से केन्द्रीय सरकार की ताकत बहुत अधिक है और प्रांतीय सरकार की ताकत कम है।

यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि हमने अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो में कहा है कि 'रिकाल' करने का, वापस बुलाने का अधिकार जनता को होगा। लेकिन हमको कुछ समझ आ गयी या नासमझी आ गयी या सत्ता के प्रति प्रेम इसको कह लें, कि यह अव्यवहारिक है। आज अगर चाहे तो राष्ट्रपति हमको निकाल कर बाहर कर सकता है। लेकिन अगर ग्राम सभा यह प्रस्ताव कर दे कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

यह हमारा प्रतिनिधि नहीं है, हम वापस लेते हैं, तो हम वापस नहीं जाते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। जो हमारा निर्वाचक है वह हमें ५ साल तक नहीं निकाल सकता और अभी तो व्यवस्था ६ साल की है, लेकिन राष्ट्रपति हमको निकाल सकता है जबकि उसको चुनने में हमारा हाथ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम मजबूत केन्द्र और प्रदेश को कर रहे हैं। हमारे साथी केन्द्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इतना मजबूत केन्द्र को बनाने की जरूरत नहीं है, मजबूत तो ग्राम सभा को बनाना चाहिये, ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना चाहिए। अभी हमारा नया विभाग बना है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का। उसमें सभी विकास के काम किए जायेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कृषि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो और आर्थिक विकास हो लेकिन वह भावना जिससे वह सामुदायिक विकास चला था, सामुदायिक और समाज का विकास कैसे हो इसको हम भूल गए हैं। इसीलिए हमारे क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में महिलाओं की तादाद ज्यादा होती थी। लेकिन किसी मंत्री की तबियत आ गई और कहा कि ए० डी० ओ० और ग्राम सेविका में महिलाओं की तादाद कम होनी चाहिए। इसलिए उनकी तादात बिलकुल ही कम हो गई। इसलिए उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। लोग राजनैतिक लांछन लगाते हैं और कहते हैं कि उनके रहने से काम नहीं होगा। मैं कहता हूं कि उनके रहने से काम होगा। इसलिए विकास से सम्बन्धित जो क्षेत्रीय समितियां हैं उनमें आपके विभाग में जब महिलाओं ने काम किया तो लोगों ने उनके ऊपर अंगुलियां उठाई। लेकिन आपके विभाग को इस पर विचार करना चाहिए था और कोई कदम उठाना चाहिए था।

मान्यवर, पहले पंचायत राज वित्त निगम बनाया गया था उसमें पता चला है कि अभी तक शेयर नहीं एलाट हुए हैं। उसके जो अध्यक्ष हैं वह भी पंचायत राज से सम्बन्धित नहीं हैं इसलिए इस पर मंत्री जी विचार करें। दूसरी बात पंचायत सेवकों के साथ न्याय होना चाहिए। वह तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं लेकिन उनका वेतन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बराबर है। इसलिए मान्यवर, इन चीजों पर समितियां बनायें और पंचायत तथा ग्राम सभा पर विचार करना चाहिए। लोक-नायक जय प्रकाश नारायण जी ने जो पंचायत राज के बारे में सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री जी को विचार करना चाहिए। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राम बरन वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र और जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र और जिले की जो दशा है वह बड़ी दयनीय है। हमारे क्षेत्र में सड़कों का बड़ा अभाव है। बरसात में गांवों से सड़कों पर आने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। सड़कों की दशा बड़ी दयनीय है। मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं वह क्षेत्र नदी, नालों से घिरा हुआ है। हमारे क्षेत्र में आवागमन के लिए सड़कों का अभाव है। रही बात सड़कों की। उनकी बहुत ही शोचनीय दशा है। मैं मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र और जिले की सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत कुछ स्कूलों का निर्माण होना है। हमारे क्षेत्र में और जिले में कुछ भवन हैं लेकिन उनकी हालत बहुत जीर्ण अवस्था में है। जब मैं पिछली बार दौरे

पर अपने क्षेत्र में गया तो जिन स्कूलों में छतें हैं उनका एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाता। अल्प सिंचाई योजना में छोटे-छोटे किसानों को ट्यूबवेल लगाने के लिए ऋण दिए जाते हैं। लेकिन उसमें बैंक के कर्मचारी मिलकर किसानों का पैसा लूटते हैं और किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मान्यवर, हमारे जिले में गोमती नदी है जिसकी बाढ़ से हमारा आधा क्षेत्र प्रभावित होता है। जब दो चार फिट भी बाढ़ आ जाती है तो पूरे के पूरे गांव जलमग्न हो जाते हैं और सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान बांध बनाने की ओर दिया जाय तो गांव भी डूबने से बच जायेंगे और किसानों की फसल भी बच जायगी। हमारे क्षेत्र में पेयजल की भी बहुत समस्या है। ऊंची-नीची जमीन है। पानी बहुत गहराई पर मिलता है। इस तरफ भी मंत्री जी का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले में शारदा सहायक दो नहरें निकली हैं, माइनरों का भी जाल बिछा हुआ है पानी निकास के न होने के कारण कोई लाभ, अधिकांश किसानों को नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी का इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। अन्त में यह निवेदन है कि हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए लेखानुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विभागीय पुस्तिका के प्राक्कथन में लिखा है कि "सामुदायिक विकास प्रायोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जनता विकास कार्यक्रमों को अपनाये तथा स्वयं आगे ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करे।" मान्यवर, हमें यह देखना होगा कि जो प्राक्कथन की मूल मंशा है क्या सचमुच यह विभाग उसको हासिल करने में सफल हुआ है। देखा यह गया है कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस विभाग का गठन किया गया वे किन्हीं परिस्थितियों के कारण पूरे नहीं हुए। एक मुख्य कारण तो यह रहा कि हमने सहकारी और श्रमदान की भावना को भुला दिया। हमें चाहिए कि सहकारी और श्रमदान की भावना को बढ़ायें। मेरा सुझाव है कि श्रमदान के प्रति एक निश्चित सरकार घोषित करे कि गांव के किसान और गरीब मजदूर मिलकर निर्माण की दिशा में श्रमदान करेंगे उसी अनुपात में उन्हें सरकार से भी सहयोग मिलेगा।

भारतवर्ष मूलतः गांव का देश है। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि गांव का और खेती विकास गांवों में उद्योगों का जाल फैलाकर ही हो सकता है। कहने को तो यह ग्राम विकास का महकमा है लेकिन मैं समझता हूं कि उद्योगों का जाल बिछाने की दिशा में किसी भी स्तर पर इस महकमें का कोई नियंत्रण नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि उद्योगों का जाल बिछाने के लिए ग्राम विकास महकमे के अधीन लघु उद्योगों का महकमा किया जाय। मैंने इन आंकड़ों को देखा है जो इस पुस्तिका में दिये हैं। इसमें पंचायत उद्योगों का उद्धरण दिया गया है। इस सूबे में १ लाख १२ हजार ६२४ गांव हैं। कुल गांव जिनमें पंचायत उद्योग हैं उनकी संख्या है १३ हजार ११४। इतनी बड़ी गांवों की संख्या में कुल १३ हजार गांव में पंचायत उद्योग हैं और मेरा तो यह आरोप है कि यह उद्योग भी जहां हैं वह भी बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इन उद्योगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रवीन्द्र सिंह]

के बूते गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात केवल एक भ्रम है। बाकी और आंकड़ों को भी पढ़कर मुझे अफसोस हुआ जिसमें लिखा है कि विभागीय बजट का एक बड़ा अंश कार्यालयों की स्थापना पर व्यय किया जाता है तथा कुछ भाग विकास कार्यक्रमों के संचालन में व्यय किया जाता है। माननीय मंत्री जी जिन्होंने बहुत सूझ-बूझ के साथ ग्राम विकास का यह बजट बनाया है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो रुपया विभागीय कार्यालयों की स्थापना पर व्यय किया जाता है या दूसरी चीजों पर खर्च किया जाता है, वह विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए। जैसे इसमें है कि मोटरगाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल पर ४२ लाख रुपया। भवनों के निर्माण के लिए ७१ लाख रुपया रखा गया। इसी तरह से टेलीफोन में ३ लाख से ऊपर रुपया रखा है। इससे लगता है कि ग्राम विकास की दिशा में यह समुचित पहल नहीं है। इस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान ग्राम पंचायतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। निश्चित ही डाक्टर लोहिया के चौखम्बे राज्य की प्रमुख इकाई ग्राम पंचायत है। उनकी जो दशा है वह आपके सामने है। इसका कारण राजनीतिक और सामाजिक होने के साथ-साथ आर्थिक भी है। हमें चाहिए कि ग्राम पंचायतों के प्रति जन-सामान्य का आकर्षण बढ़े। इसके लिए ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए। १९७६ में एमरजेन्सी के दौरान एक पंचायत राज सम्मेलन इस सूबे में हुआ था जिसमें माननीय जगजीवन राम जी ने भी शिरकत की थी। इस सम्मेलन ने ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ संस्तुतियां भी की थीं जिनको पिछले शासन ने सम्भवतः माना भी था। मेरा आग्रह है कि मौजूदा सरकार उन संस्तुतियों को देखे जिनमें ऐसी भी हैं कि जनता के ऊपर कोई अधिभार नहीं बढ़ेगा और गांव पंचायतों के पास इतना पैसा भी हो जायगा कि वह अपनी कुछ समस्याओं को हल कर सके। ग्राम्य विकास का महकमा एक महत्वपूर्ण महकमा है। मेरी धारणा है कि हमारा ब्लाक जन सम्पर्क विभाग जैसा है। बी० डी० ओ० जैसे जन सम्पर्क अधिकारी होता है वैसे ही कुछ है। १५/१६ महकमों का दायित्व उस पर है। प्रदेश में ए० पी० सी० होते हैं। उनके कोआर्डिनेशन के लिए उनके मातहत दूसरे लोग होते हैं। ब्लाक में दूसरे तमाम महकमे के लोग बी० डी० ओ० के अधीन होते हैं लेकिन वे बी० डी० ओ० के प्रति उत्तरदायी नहीं होते अपना काम करने के लिए।

मान्यवर, मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि जो वितरण प्रणाली है, उसमें सीमेन्ट और चीनी आदि के वितरण के काम ब्लाकों के हाथ से लिए जांय तो ठीक होगा और इसको जनमत के माध्यम से खाद्य और पूर्ति विभाग अपने हाथ में ले। इसके कारण ब्लाक के अधिकारियों और कर्मचारियों और ब्लाक समितियों को बदनाम होना पड़ता है और उनका बहुमूल्य समय जो निर्माण कार्यों में लगना चाहिए, उसको चीनी आदि के वितरण में लगाना पड़ता है।

एक निवेदन यह करना है कि सरकार की तरफ से तमाम सहायता आपात-कालीन स्थिति में जनता को दी जाती है और उसका वितरण तहसीलदार और एस० डी० एम० आदि के हाथों से होता है। मेरा सुझाव है कि अगर आप चाहते हैं कि ब्लाकों की तरफ जनता की आस्था बढ़े तो कुछ ऐसे काम ब्लाक के माध्यम से होना चाहिए। कहने के लिए ग्राम्य विकास विभाग महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन ब्लाकों के पास जनता को देने के लिए क्या है? अगर कोई पुलिया टूट जाय और कहा जाय कि वे अपने स्रोत से बना दें, तो ब्लाक स्तर पर कोई इसका उपाय नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि गांव पंचायतों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए

उनको स्रोत दिये जांय । ब्लाक में ऐसी कुछ व्यवस्था की जाय । आपात्कालीन स्थिति में जैसे तहसीलदार और एस० डी० एम० को जनता को मदद देने के लिए कुछ धनराशि दी जाती है, उसी तरह से कुछ धनराशि बी० डी० ओ० के हाथ से भी उस तरह की बांटी जाय ।

मैं केवल २ मिनट लिंक रोड्स के बारे में लेना चाहूंगा । लिंक रोड्स के बारे में जितना पैसा खर्च करने के लिए तय किया गया है, ५ करोड़, वह प्रदेश की सड़कों की हालत को देखते हुए कम है । निश्चित रूप से इस धनराशि को बढ़ाना चाहिए ।

एक और बात ग्रामीण अभियन्त्रण के विषय में कहना चाहूंगा । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में जांच कराने की कृपा करें । मान्यवर, युवक कांग्रेस द्वारा अमेठी के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा पांच लाख रुपया ५ सड़कों के निर्माण में खर्च किया गया जिसमें ४ सड़कें तो पास थीं, लेकिन एक सड़क पर ७३ हजार रुपये इसलिए खर्च किया गया ताकि जनता का ध्यान संजय गांधी की ओर आकर्षित हो सके । यह सड़क पास नहीं थी । मान्यवर, वहां की तरक्की हो, इसमें मतभेद नहीं, लेकिन केवल रायबरेली और अमेठी में ही नहीं जहां कि सारे तरक्की के द्वार खोल दिये गये हैं । तो इसकी माननीय मंत्री जी कृपया जांच कराने का कष्ट करें ।

आखिर में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस महकमें के छोटे कर्मचारी ग्राम सेवक के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं । यह सच है कि ग्राम सेवक गांव में नहीं जाता है, दफ्तर में बैठा रहता है । फिर भी उनकी दिक्कतें हैं । उन्हें पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिये । यह हर्ष का विषय है कि उनके संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनकी तमाम मांगों को नीति के रूप से माननीय मंत्री जी ने मान लिया है, लेकिन जिन मांगों को मानते हैं, पिछली कांग्रेस सरकार की तरह से आप पैसा और धन के अभाव को देखकर उनको फिर उनसे वंचित न करें ।

अब मैं एक मिनट अपने क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, गोरखपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है । मेरा निवेदन है कि आपके विभाग द्वारा इस जिले की ओर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वहां सुधार हो सके ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका १० मिनट से ज्यादा हो चुका है ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन, ग्राम्य विकास विभाग का नाम पहले सामुदायिक विकास विभाग था । अब नाम बदलकर इसको ग्राम्य विकास रखा है । मैं तो यही कहूंगा, मान्यवर, कि इस विभाग की बड़ी दयनीय हालत है । इस विभाग से जितनी अपेक्षा थी, उतनी अच्छी हालत इस विभाग की नहीं है।

एक सदस्य--

आपकी भी तो दयनीय हालत है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

तो आप कृपया मेरे ऊपर दया करें । तो मान्यवर, इस विभाग की हालत बड़ी दयनीय है ।

एक सदस्य--

लेकिन इस विभाग के मंत्री जी बड़े 'एलाइव' हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूं । विभाग खोला गया तो बड़े उद्देश्य से खोला गया, ऊंचाई के साथ सामुदायिक विकास विभाग खोला गया। तीन स्तरों की सरकार इन दो स्तरों की सरकार, दिल्ली और लखनऊ की सरकार, के बदले सोची गयी । जिले की स्तर की सरकार, ग्राम स्तर की सरकार और ब्लाक स्तर की सरकार होगी । लेकिन आप देखें कि जिले स्तर की सरकार, गांव स्तर की सरकार और ब्लाक स्तर की सरकार को इन दो तीन, चार वर्षों में जब केन्द्र में सामुदायिक विकास मंत्रालय था वहां से जोश चलता था तो यहां इस प्रान्त में भी जोश था और इन स्तरों की सरकारों को भी जोश मिलता था । दस वर्ष तक यह योजना बहुत ठीक से चली । उसके बाद, मैं समझता हूं ७० के बाद, यह योजना कागज पर चल रही है, ठीक से नहीं चल रही है । (व्यवधान) आप सुनें । आप ही ठीक होते तो आप नहीं गये होते(व्यवधान) तो श्रीमन् मैं कह रहा था कि इस विषय पर जरा महाराष्ट्र, गुजरात की हालत देखी जाय ।

सामुदायिक विकास योजना के सम्बन्ध में कमेटी बनी और यहां के भूतपूर्व मंत्री लोग गये और मुझे निश्चित भरोसा है कि माननीय मंत्री जी बोस साहब भी जायेंगे, देखेंगे और देखना भी चाहिए। वे प्रभावित होंगे । पुराने मंत्री प्रभावित हो कर आये और जितने मंत्री आये यहीं बोले अर्थव्यवस्था में विकेन्द्रीकरण । अगर सन् ५२ से पूरे भाषण देखें तो विकेन्द्रीकरण ग्रामीण व्यवस्था की बात शुरू से आज तक की गयी । यही कांग्रेस के मेनिफेस्टों में है, यही जनता पार्टी के, श्रीमन्, मेनिफेस्टों में है लेकिन देखा जाय तो कोई ताकत इन गांव सभाओं की नहीं, ब्लाक की नहीं,, जिला परिषद् की नहीं । सोचा जाय कि क्यों ? सही बात, श्रीमन्, यह है कि इनका अस्तित्व संविधान में नहीं है । डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल में कह दिया गया कि होना चाहिये । यह प्रान्तीय सरकार पर, प्रान्तीय असेम्बली पर है कि चाहे जो अधिकार जिला परिषद् को दे दें, जो अधिकार ब्लाक को दे दें, क्षेत्र समिति को दे दे, जो अधिकार चाहे हम ग्राम सभाओं को दे दें लेकिन संविधान जो असेम्बली को दिया है जो संविधान पार्लियामेन्ट को दिया है, उसको हम काट नहीं सकते जब तक कि संविधान में संशोधन न करें । समय आ गया है कि माननीय मंत्री जी इस बात की चेष्टा करें कि संविधान के जरिये पंचायतों को मूलभूत अधिकार मिलें । मैंने अभी यह पुस्तक पढ़ी "वार्षिक प्रतिवेदन ७५-७६, ७७ और ७७-७८ प्रस्तावित ।" उसमें श्रीमन्, अपेक्षित है, पुराने में भी अपेक्षित था कि टैक्स लगायेंगे । ग्राम सभाओं में टैक्स लगायेंगे, जिला परिषद् में लगायेंगे । लेकिन सभापति की हिम्मत क्या है । हैसियत क्या है । थानेदार की, नायब तहसीलदार की, कानूनगो की कोई सुनता नहीं । बेचारे को खड़ा रहना पड़ता है । गांव समाज में कमेटी बनी हुई है उसकी कोई हैसियत नहीं । खाली कागज में कहते हैं उसकी हैसियत है । मेरी मांग यह है कि आप केवल आज्ञा मत दीजिए, संविधान में उसकी आज्ञा दीजिए ।

जैसा कि आपका भू-राजस्व विभाग है, ४० करोड़ रुपया आप पाते हैं आप साफ ऐलान करें १० करोड़ रुपया, एक चौथाई रुपया हम उनके कोष में डालेंगे और सीधे उनको मिलेगा, उसका बजट नहीं मिलेगा। पांच करोड़ लिंक रोड के लिए हैं। खुशी की बात है मैं बधाई देता हूं लेकिन कौन सा बड़ा भारी काम करेंगे पांच करोड़ से १५०० किलोमीटर रोड बनेगी, ६० जिले हैं, ५८ जिले हैं, १०० किलोमीटर भी नहीं पड़ी। एक-एक कान्स्टीट्यूएन्सी में तीन-चार किलोमीटर भी नहीं बनेगी। जितने सर में बाल हैं, इनके तो हैं नहीं, बोस साहब के तो है ही नहीं, वे भी झड़ जायेंगे हम लोगों की मांग से। मेरा तो कहना यह है कि ५ करोड़ बहुत कम है। अगर २५ करोड़ भी कर दें तो भी मैं सन्तुष्ट नहीं हूंगा। होना यह चाहिए इसे जिला परिषद् के बजट में और गांव सभाओं के बजट में और उनको अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि दुरुपयोग नहीं होता। मैं गांव सभापतियों को दुरुपयोग करते देखा है कारण यह है कि स्टट्युरी बाडीज ने ठीक से काम नहीं किया और सरकार ने अंकुश नहीं लगाया। मान मर्यादा का ध्यान हो और सरकार का अंकुश हो तो कोई वजह नहीं है कि सुधार न हो।

जिला परिषद् ले लें। शिक्षा उनके हाथ में थी लेकिन उसे ले लिया गया और प्रेषिक अधिकारियों के हाथ में दे दी गयी। इस तरह जो कुछ होता है ले लिया जाता है। जब सामुदायिक विकास की योजना बनी थी तो उसका क्या उद्देश्य था? अब बोस साहब कितने बजट में उस योजना को कार्यान्वित करेंगे? केवल ३७ करोड़ रुपये का वह विभाग है, सबसे छोटा विभाग है। नाम है ग्राम्य विकास और सबसे छोटा अनुदान पेश हो रहा है। ३७ करोड़ का यह बजट है जिसमें लेखानुदान भी जोड़ दिया है। विचार यह था कि तमाम विभागों का काम इन एजेंसीज के जरिये से होगा। जिला परिषद् के जरिये काम होगा, क्षेत्र समितियों के जरिये काम होगा।

आज विकेन्द्रीकरण दिमाग में नहीं है। विकेन्द्रीकरण की बात होती है लेकिन जब हमारे हाथ में आ जाती है तो हम नहीं देते। कलेक्टर साहब चाहते हैं लखनऊ से आ जाय लेकिन उनको तहसीलदार को न देना पड़े। तहसीलदार समझता है कि उसके पास आ जाय लेकिन नायब तहसीलदार को न देना पड़े। जिला परिषद् का चेयरमैन चाहता है कि उसके पास आ जाय लेकिन चाहता है कि बी० डी० ओ० तथा क्षेत्रपति को न देना पड़े। यह मर्ज शिक्षा के प्रसार से दूर होगा। यह विभाग जब सड़कों की बात करता है तो हंसी आती है। ५ करोड़ रुपया रखा जाय तो उसका क्या अर्थ है। कहीं तो समन्वय होना चाहिए। सड़क के सम्बन्ध में एक नहीं तीन साझीदार हैं--जिला परिषद् वाला, गांव वाला और सार्वजनिक निर्माण वाला। सब अलग-अलग। इसके अलावा भी कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे रूरल मैन पावर स्कीम, आर० एम० पी० के अन्तर्गत फ्रेश प्रोग्राम्स। उनका क्या हश्र हुआ। कोई पुरसाहाल नहीं है उनका। कोई बाप नहीं बनता, कोई मां नहीं बनता और कोई उन कामों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ग्राम विकास को उनको लेना चाहिए। इसके पहले कि आप नई सड़कों को लें, लिंक रोड्स जरूर लें, लेकिन जो करीब २२, २३ करोड़ रुपया पहले खर्च हो चुका है पहले ८, १० वर्ष में उस काम को भी मेनटेन किया जाय। जो कंकड़-पत्थर पड़े हैं, जो उनकी मरम्मत होनी चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना इस विभाग का काम है। जो भी अच्छाईयां और बुराईयां हमने कीं उनकी उत्तराधिकारी यह सरकार है। आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मेरे सुझावों का वह उपयोग करेंगे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, जो मंत्री जी ने अनुदान पेश किया है ग्राम्य विकास के लिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं १९६२ से इस विधान सभा का सदस्य हूं और तब से मैं यह बात देख रहा हूं जितने मंत्रि मंडल आये उन सभी लोगों ने यह कहा कि गांवों का विकास होना चाहिये। कई मंत्री और विकास मंत्री हमारी नजरों के सामने गुजरे लेकिन ग्राम्य विकास अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? सारे अधिकारी वर्ग चाहते हैं, मंत्रिगण चाहते हैं, कि गांवों का विकास हो लेकिन नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है। इसकी एकमात्र वजह यही है कि सभी के मन में यह बात है कि सत्ता हमारे हाथ में रहे और गांवों की तरफ न जाय, सत्ता का विकेन्द्रीकरण न हो और हो भी तो अधूरा हो। इसी वजह से गांवों का विकास नहीं हुआ। अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि गांवों की सड़कें मुख्य सड़कों से जोड़ी जायेंगी। आज बहुत से ऐसे गांव हैं, मैं अपने जिले की बात कहता हूं देवरिया जिले में ऐसे गांव हैं जब वर्षा होती है तो लोग एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा पाते हैं, बाजार और शहर की बात कौन कहे।

शिक्षा के बारे में अनेक बार इस सदन में कहा गया कि शिक्षा का बड़ा विकास हुआ है। लेकिन आज भी ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइमरी पाठशालायें तक नहीं खुली हैं। सैकड़ों गांव हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, पीने के पानी के लिए पक्के कुयें तक नहीं हैं। सिंचाई की व्यवस्था के बारे में क्या कहा जाय। गांव के लोगों को सबसे पहले पानी चाहिये। उसके बाद उनको मौके से खाद मिल जाय। आज एक बोरी खाद के लिए किसानों को १५, १५ मील और १०-१० मील तक पैदल जाना पड़ता है, उस पर भी खाद नहीं मिलती है जितनी खाद की कीमत है उसका एक चौथाई तो उसके लाने में लग जाता है। यह दशा आज गांवों की है। गांवों के विकास के लिए जब से हमें आजादी मिली १५ अगस्त, १९४७ से सब लोग चिल्लाते हैं, सब आश्वासन दे चुके हैं। ३० वर्ष तक मैं विरोध में रहा, आज ३० वर्ष बाद जनता कह रही है कि कांग्रेस के शासन में हमारा विकास नहीं हुआ और अब जनता का शासन आया है तो जनता पार्टी को देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन यहां की दशा क्या है? यहां की दशा में जब देखता हूं तो दुख होता है। जब गांव में जाता हूं और सुनता हूं तो किसान की दुर्दशा हो रही है। हमारे मंत्रीगण जाते हैं उनकी हालत जब मैं देखता हूं तो दुख होता है, अफसोस होता है। जब निर्वाचन आयेगा तो उनको जवाब मिलेगा। इनकी गतिविधि देखकर दुख होता है। इन ६ महीनों में मैंने देखा है। जनता चाहती है कि हमारा काम जल्दी हो। आज जनता पार्टी की आजमाइश हो रही है, उनका इम्तेहान हो रहा है। खामोशी से गांव के लोग देख रहे हैं। मंत्री लोग जाते हैं गाड़ी में बैठकर दावत खा आते हैं, लेकिन हम लोग पैदल चलकर जाते हैं और तकलीफ के साथ जाते हैं। जब गांव वालों के दुख-दर्द को देखते हैं, उनकी पीड़ा की कहानी सुनते हैं तो रोना आता है। जब मैं विरोध में बोलता हूं तो बात आती है सरकार में बैठे हो बांके लाल और तुम ही विरोध कर रहे हो।

लोग आज मुसीबत की जिन्दगी बिता रहे हैं, जितने एम०एल०ए० बैठे हैं उनको पता है। मंत्रीगण की हरकत ऐसी है कि जब मिलने जाते हैं और सही बात कहने जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्यायें कहने जाते हैं तो उनको सुनने की फुर्सत नहीं होती है। मिलेंगे किन से जो हम लोगों के विरोधी थे, मिलेंगे किन से जो लोग सम्पन्न हैं, जो उनके दोस्त हैं लेकिन एम० एल० ए० की बात नहीं सुनेंगे। हमारी यह शिकायत है अधिष्ठाता महोदय (इस समय ३ बजकर ४४ मिनट पर अधिष्ठाता, राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

सभी सदस्य करीब-करीब दो तिहाई मुझसे ऐसी ही बातें करते हैं। मैं घूमता हूं, और घूमकर देखता हूं, सभी ऐसी बातें करते हैं। मैं गांवों की गरीबी देखता हूं और उनकी आह सुनता हूं, तो मुझे तरस आता है। आज ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा सरकार से और मंत्री जी से कि जो वायदे आप करके आए हैं जनता के सामने, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, यह वायदे गूंज रहे हैं आज गांवों में और किसान उसकी पूर्ति होते देखना चाहते हैं। लेकिन उनकी आशा पूरी होती नहीं दिखाई पड़ती है। किसान और गरीब हमारा जवाबतलब करते हैं और हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो गांव डूब जाते हैं पानी से, जिनके लिए रास्ता नहीं रह जाता है, बाजार, कस्बे और तहसील जाने का वह वहां पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे स्थानों पर सड़कें बनाई जाएं और जो मालगुजारी वसूल होती है, उसको एक चौथाई हिस्सा गांव पंचायतों को दिया जाए, ताकि वे अपने लोगों के लिए विकास के कुछ कार्य कर सकें। इसी तरह से गांव-गांव में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोलने चाहिए और उन्हें सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जैसा कि जापान में है, पहिया किसी गांव में बनता है, हैंडिल दूसरे गांव में बनते हैं और तीली किसी अन्य गांव में तैयार होती हैं। तो गांव में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोले जाने चाहिए। मेरी राय है कि गांवों में रात्रि पाठशालाएं, प्रौढ़-पाठशालाएं और प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए। दो गांव में मिलाकर एक प्राइमरी पाठशाला अवश्य होनी चाहिए।

मेरा जिला, जहां से हिमालय शुरू होता है, वहां से शुरू होता है, लेकिन हमारी तरफ शिक्षा की बहुत ही कमी है और दो गांवों को मिलाकर एक पाठशाला नहीं है। हमारे यहां सोहरौना गांव है, वहां पर ४ कोस के अन्दर एक भी प्राइमरी पाठशाला नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह सोहरौना गांव का नाम नोट कर लें, जो रामकोला में है और वहां पर प्राइमरी पाठशाला खोलने पर अवश्य ध्यान दें।

जहां नहरें बनी हुई हैं, लेकिन कुलाबे नहीं लगे हैं, कुलाबे लगाये जायें जिससे आसानी से किसान पानी ले सके। कई स्थानों पर किसान नहरों को काटकर पानी ले गया है...

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट आपके और हैं।

श्री बांके लाल--

इस तरह से पानी ले जाने के दंड स्वरूप किसानों पर प्रति एकड़ डेढ़ सौ-दो सौ रुपया तवान लगाया गया है। आजकल वहां सूखा पड़ गया है, फसल बर्बाद हो गयी है, नहर काटकर किसान पानी ले गया है, जिस पर प्रति एकड़ डेढ़ सौ और दो सौ रुपया तवान लगाया गया है। इससे किसान की जमीन बिक जाएगी, वह उसे दे नहीं पाएगा। यह तावान लगेगा तो किसान निश्चित रूप से परेशान होकर प्रदर्शन करेगा और मैं जनता पार्टी में होते हुए भी प्रदर्शन का नेतृत्व करूंगा और कहूंगा कि यह नहीं लगना चाहिए। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस सूखे में किसानों पर तवान नहीं लगना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

अधिष्ठाता महोदय, आज जो अनुदान ग्राम्य विकास का पेश हुआ है, उसका समर्थन करते हुए मैं कटौती का घोर विरोध करता हूं। यह हमारे लोहिया जी का स्वप्न है कि चौखम्भा राज्य हो और हमें भी देखते हुए हो गए, हमारे ऐसे लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जेलों में भी इस बात का सपना देखा था।

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जब से आजादी आयी तब से मैं देख रहा हूं ग्राम्य विकास एक बात की चर्चा इस हाउस में माननीय सदस्यों के सामने कर देना चाहता हूं। क्लास वन, क्लास टू, क्लास थी, यह क्लास जो हैं, यह क्या परिभाषा है? गांधी जी का सपना था कि जनता राज्य होना चाहिए, यह हम भी कहते हैं और सामने बैठे हुए लोग भी कहते हैं। यह क्लास वन के लोग हैं जो ग्राम्य विकास अथवा जनता का राज्य पसन्द नहीं करते। मुझे गांवों में पैदल चलने का अवसर मिलता है। जब गांव वालों की सेवा करने के लिए मैं गांवों में जाता हूं तो गांव के लोग बुरी हालत से पेश आते हैं। शर्म की बात है, विधायक लोग, आपके सामने हाथ जोड़कर यह कहता हूं, वह कहते हैं कि अंग्रेज राज्य अच्छा था। क्लास वन ग्राम के किसानों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। मैं आपके द्वारा अपने हृदय से कहना चाहता हूं कि गरीबों को आगे बढ़ाने की कोई भी योजना होती है, उसको ये सफल नहीं होने देते क्योंकि ये लोग क्लास वन की बूबर में रहते हैं। आइये दिखाऊं इसी लखनऊ नगरी में लोगों के बड़े-बड़े बंगले बने हुए हैं पांच बीघे में, उन गरीब किसानों को काटकर, नम्बर दो की रकम घूस से पैदा करके, पांच बीघे में मकान बना रखा है। हमारे किसानों की जमीन ले रही है नगरमहापालिका, उन जलीलों ने अपने बंगले वहां बना रखे हैं। आज इस हाउस में कह रहा हूं। मेरे साथ रामसागर मिश्रा, लखीमपुर के १९४२ में मेरे साथ थे। फांसी पर लटकने से पहले कहा था, मैं तो चल दिया, हमारे दोस्त लोग आग आन्दोलन चलाएंगे। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह क्लास वन अपने दिमाग को साफ कर लें। हमारे ऐसे लोग इनके खिलाफ आन्दोलन करेंगे। महानगर में इनकी स्त्रियों के नाम से बंगले बने हैं और सरकारी बंगले में रह रहे हैं। इसीलिए ग्राम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते।

हरिजनों के बारे में मैं कहना चाहूंगा। हमारे माननीय मंत्री ने योजना बनायी है। मालवीय जी ने कहा कि स्वीपर को भी नामिनेट करेंगे, क्या ग्राम के प्रधानों में भी सुरक्षित सीट रखेंगे? हमारे भाई साहब बोल रहे थे। जो कर लगाया है किसानों पर, उसको तुरन्त खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो एक वक्त आ रहा है वह किसान जिसने जैसे जालिम सरकार को हटा कर फेंका है, मैं किसानों, छोटे कर्मचारियों को अथवा मजदूरों को लेकर इस देश और प्रदेश में आन्दोलन करूंगा और यही नहीं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर २१ महीने जेल में रहा हूं। अपना दिमाग वह साफ कर लें। मुझे रोज शायद इस हाउस में बोलने का मौका न मिले। एक बात मैं कई बार कह रहा हूं क्लास वन से। मुझे कांग्रेस का केन्डीडेट नहीं बनाया गया, मेरे बारे में मेरे नेताओं से अफसरों ने, उच्च कोटि के लोगों ने कहा कि यह जमात चमार पासी की नहीं है। इसलिए टिकट न दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मान सिंह जी, आप रुकिये। अन्य विषय पर बोलिए। यहां पर टिकट विषय नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मान सिंह आजाद--

मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास के ही बारे में कह रहा हूं। हरिजनों की स्थिति जो हमारे क्षेत्र मलीहाबाद में है, उसके बारे में बता देना चाहता हूं। रात्रि में रोशनी के लिए कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में रुपया जमा किया गया लेकिन ३ साल हो गये हैं, कनेक्शन नहीं दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया है कि विधायक के पत्रों का उत्तर अवश्य दिया जाये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। माल के लोगों ने इस बात को कहा है और पैसा भी जमा कर दिया है लेकिन बिजली नहीं मिली है। मैंने माननीय विद्युत् मंत्री जी को दरख्वात दिया है कि वहां पर पानी की आवश्यकता है इसलिए बिजली दी जाये। सिंचाई का समय है लेकिन दरख्वास्त देने पर भी बिजली नहीं दी गयी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मलीहाबाद क्षेत्र में चोरियां बहुत अधिक हो रही हैं और उन पर काबू नहीं पाया जा रहा है जिससे जनता में घोर असंतोष फैला हुआ है। देहात में जो विकास क्षेत्र द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाता है उनके लिए इतना कम पैसा दिया जाता है जिससे वे पूरी नहीं हो पाती हैं और आधी बनी रह जाती हैं जिससे जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह मिल नहीं पाती है। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मद में बजट को बढ़ायें मलिहाबाद से ससपन को सड़क जाती है उसके बारे में मैंने कई बार कहा लेकिन वह पूरी नहीं हुई। जहां पर काकोरी कान्ड हुआ था, वहां से इटौंजा के लिए एक सड़क का प्रस्ताव मैंने दिया था। जब जिला स्तर पर मीटिंग हुई तो मैंने देखा कि वह सड़क कटी हुई थी, जब मैंने टकरू साहेब से कहा तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने काटा है। आप दूसरा प्रस्ताव ले आइये। जब मैं दूसरा प्रस्ताव लेकर गया तो भी उस सड़क को लिया नहीं गया। यह जो सड़क है इसका नाम याद अली खां रखा जाये और जो बीच में पुल का निर्माण किया जाये उसका नाम रामसागर मिश्र रखा जाये। मैं कहता हूं कि जो ये क्लास वन के अफसर हैं यह किसी काम को पूरा नहीं होने देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवबहादुर सिंह--

मान्यवर, दोनों पक्षों के सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। ग्राम्य विकास के लिए ३ यूनिटें हैं--ग्राम सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद्। ये जो तीनों यूनिटें हैं उनको साधन सम्पन्न होना चाहिये तभी ग्राम्य विकास की कल्पना सम्भव हो सकती है। जहां ग्राम सभा टैक्स लेती थी, अब जिला परिषद् वहां पर टैक्स लेने लगी है। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो विकास कर लिया जाता है, उसका कुछ अंश ग्राम सभाओं को भी दिया जाना चाहिए।

श्रीमन्, पेय जल की व्यवस्था के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। हरिजन बस्तियों में इसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। जहां कहीं भी पेय जल की व्यवस्था करने के लिए हैन्ड पम्प, कुओं आदि की व्यवस्था की जाती है तो उनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता। अगर एक हैण्ड पम्प किसी गांव में लगा दिया गया और उसका एक भी नट बोल्ट खो गया तो वह बेकार हो जाता है और खराब पड़ा रहता है। अतः मेरा अनुरोध है कि आप चाहे जैसे भी हो कुओं से या पाइप से या हैंड पम्प से पेय जल की व्यवस्था अवश्य करायें।

[श्री देव बहादुर सिंह]

ग्राम सभाओं की जो बैठकें होती हैं, उनमें सम्बन्धित कर्मचारियों जैसे लेखपाल, ग्राम सेवक और सम्बद्ध अधिकारी भी उपस्थित रहने चाहिये ताकि जो उनसे सम्बन्धित गांव की जो समस्यायें हैं, वे उन्हें दूर कर सकें।

मिट्टी के परीक्षण के सम्बन्ध में ग्राम सेवकों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे किसान के घर से उसके खेत की मिट्टी लेकर मिट्टी परीक्षण केन्द्र तक पहुंचाये तथा उसकी रिपोर्ट भी किसानों को उनके घर पर ही दें। इसमें बड़ा विलम्ब हो जाता है। जब फसल कट जाती है तब उसकी रिपोर्ट अगली फसल के समय तक भी नहीं आ पाती। अतः इसकी रिपोर्ट परीक्षण केन्द्र पर ही किसान को दे दी जाये।

आपने महिला कल्याण योजना का जिक्र किया। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां महिलायें बहुत काम करती हैं, वहां उनकी सिलाई-कढ़ाई और अन्य कामों के लिए कुशल महिला कर्मचारी होनी चाहिये ताकि वे उनको प्रशिक्षित कर सकें। यह योजना चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से ठप्प पड़ी है। इसको पुनः चालू किया जाना चाहिये।

गांवों में बेरोजगारी दूर करने की बात आपने कही है। बड़ी अच्छी बात है। आप छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं और औद्योगिक नीति में परिवर्त करना चाहते हैं लेकिन आप किस प्रकार से, किस तरह के उद्योग-धंधे लगा कर यह काम करेंगे, इसकी रूपरेखा अगर मंत्री जी अपने भाषण में दे देते, तो ज्यादा अच्छा होता।

सबसे अधिक मांग माननीय सदस्यों ने लिन्क रोड्स के न होने के सम्बन्ध में की। आपने कहा कि अगर ढाई अरब रुपया हो तो प्रदेश के समस्त गांवों के मुख्य मार्गों से जोड़ा जा सकता है। मैं कहता हूं कि जब इस काम के लिए आप अभी तक पांच करोड़ की ही व्यवस्था कर पाये हैं, तो ढाई अरब की व्यवस्था कहां से कर पायेंगे? मैं चाहता हूं कि इन सब कामों को आपको प्राथमिकता देनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव को पास करें।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, ग्राम्य विकास के बजट पर जो पक्ष और विपक्ष की तरफ से सुझाव आए हैं, उनमें से कई सुझाव बहुत अच्छे हैं। हमारे विपक्ष के माननीय देव बहादुर सिंह जी तथा उप नेता श्री श्याम धर मिश्र ने जो सुझाव दिये, मैं समझता हूं वे अच्छे थे। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले ३० सालों से इतनी बड़ी उलझन है, समस्यायें इतनी ज्यादा उलझा दी गई हैं उनको कैसे आशा की जाती है कि ३ माह की सरकार सुलझा सकेगी। हम समझते हैं कि आज यह कहा जाता है कि ग्राम्य विकास का केवल नाम ही नाम रहा है। ग्राम्य विकास कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा कौन लोग कह रहे हैं। आज ऐसा सत्ता पक्ष के लोग कहते तो ज्यादा अच्छा होता।

विपक्ष के लोग कहते हैं जिनका शासन ३० साल तक रहा और जिन्होंने ग्राम्य विकास के बारे में सोचा तक नहीं।

मान्यवर, मैंने विधान परिषद् में भी यही बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" आपने ३० साल तक गांधी जी के नाम पर सत्ता चलाई, और आज हमसे कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, ग्राम्य विकास की उपेक्षा की एक मिसाल और यहां दे देना चाहता हूं कि वैसे तो मेरा भी सम्बन्ध प्रेस से रहा है, मैंने देखा लगभग सवा तीन बजे जब ग्राम्य विकास पर बहस हो रही थी तो प्रेस गेलरी बिलकुल शून्य थी, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा, जब वहां पर कोई न कोई रहा हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास के प्रति क्या नजरिया है लोगों का। चूंकि आज कोई ऐसा बजट नहीं था जो शहरों से सम्बन्धित हो इसलिये उसके प्रति कितनी उपेक्षा है उससे आपको अन्दाजा लग सकता है। लेकिन हम तो कृतसंकल्प हैं; अभी हमें तीन महीने का मौका मिला है और मैं सदन को आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता ८०% गांवों में निवास करती है, अब भविष्य में बजट का ८० प्रतिशत हिस्सा इन गांवों के विकास के लिये ही उपयोग किया जायगा।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये, इनके पास रोड–रोलर नहीं है। साथ में यह भी कहा कि एक ही काम के लिए तीन–तीन विभाग हैं जैसे पी० डब्ल्यू० डी०, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा जिला परिषद्। तो मैं इसके सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं कि जब काम की अधिकता होती है तो बंटवारा होता ही है, एक व्यक्ति से हम यह कैसे आशा रख सकते हैं कि वह सभी काम कर लें। इसलिये बड़े कार्यों के लिये पी० डब्ल्यू० डी०, छोटे कार्यों के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बनाया गया है और इसीलिये इस विभाग का निर्माण किया गया। मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचना देना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास रोड–रोलर नहीं है, हमारे पास १० बड़े और २ छोटे रोड–रोलर हैं। अगर गावों का विकास करना है तो हमें यह सही है कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का विकास करना होगा, प्रदेश के हर गांव को मुख्य सड़क से लिंक कर देना होगा, छोटे–बड़े भवन आदि का निर्माण भी इसी विभाग से कराना होगा, तभी ग्राम का विकास होगा।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रान्तीय विकास दल यह पेन्शन पा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पेन्शन किसने दी? पिछले शासन ने इस विकास दल का इस्तेमाल सत्ता के हित में किया और यह दल सरकार का अंग न रह कर कांग्रेस दल का अंग बन चुका था। आज जनता की सरकार इस प्रान्तीय विकास दल का उपयोग शासन के हित में करके जनता के हित में करने जा रही है, जो यह मुरदा पड़ा हुआ है, जिसमें जीवन नहीं है, उसमें जीवन डालने जा रही है। तमाम विकास के कार्य जैसे श्रमदान वगैरा होते थे, जो अभी तक कागज में थे, उसको सही माइनों में हम यथार्थ रूप देने जा रहे हैं।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा कि विकास खण्ड में जो विकास अधिकारी होते हैं, उनको ४–४ महीने के लिए रखा जाता है इसलिये उन्हें विकास खंड के कार्यों में दिलचस्पी नहीं होती है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसके पहले जो शासन था, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बेसिस पर सेलेक्शन हुआ था

[श्री जमुना प्रसाद—]

और अभी तक वह सेलेक्शन लिस्ट ही नहीं आई है। हमने लोक सेवा आयोग को सम्मति-पत्र भेजा है ताकि जो विकास खंड अधिकारियों का सेलेक्शन करना पड़ता है वह न हो। चूंकि विकास खंड अधिकारियों की काफी कमी है इसलिए हमें ४-४ महीने के लिए उन्हें नियुक्त करना पड़ता है लेकिन इसको मैं विकास के हित में अच्छा नहीं मानता हूं। हम इसकी शीघ्र व्यवस्था करने जा रहे हैं और लोक सेवा आयोग से कह रहे हैं कि जो उनकी सेलेक्शन लिस्ट है, उसको वे तुरन्त भेजें ताकि हमें ४-४ महीने के लिए विकास खंड अधिकारियों की नियुक्ति न करनी पड़े। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में कोशिश कर रहे हैं कि हमें विकास खंड अधिकारी उपलब्ध हो सकें।

क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों को ज्यादा से ज्याद शक्ति दिए जाने की बात कही है और हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह सरकार २ पाई की सरकार चल रही है। मेरा निवेदन है कि २ पाई की सरकार तो कांग्रेस के लोगों ने चलाई है और बराबर चलाते आ रहे हैं। जनता शासन जो है, वह सही मानों में चौखम्बा है और जो डाक्टर लोहिया का सपना था, उसको यथार्थ रूप देने जा रहा है।

प्रदेश में सही मानों में एक पंचायती राज हो, इसके लिए हम एक पंचायत आयोग कायम करने जा रहे हैं और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस देश के बहुत बड़े और प्रसिद्ध विद्वान और समाजवादी विचारक, श्री अच्युत्य पटवर्धन जी को लिखा है कि हम उत्तर प्रदेश में पंचायत आयोग का गठन करने जा रहे हैं और आप इस आयोग की अध्यक्षता स्वीकार कीजिए जिससे उसकी ओर से जो सुझाव आयेंगे उनसे इस प्रदेश में सही मानों में पंचायती राज कायम हो सकेगा। इसके लिए हम पंचायती आयोग के गठन की दशा में बढ़ रहे हैं।

हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि पंपिंग सेट्स और ट्यूबवेल्स जो लग रहे हैं, उनके लिए योजनायें तो बहुत हैं लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। हमारे शासन ने यह घोषणा की है और आपने पढ़ा भी होगा कि जितने भी हमारे कार्य हैं, जैसे लघु उद्योग और पम्पिंग सेट्स आदि उनके लिए तो निश्चित रूप से बिजली मिलेगी। इसके अलावा माननीय पालीवाल जी ने कहा कि श्री जय प्रकाश जी का नाम तो सब लेते हैं लेकिन क्या जय प्रकाश जी के जो सिद्धान्त हैं, उनको पूरा कर सकेंगे? कहने के लिए तो आप कुछ कहें लेकिन हम उस नीति को मानने के लिए तयार हैं यद्यपि विधायकों का उस विकास से कोई मतलब नहीं है लेकिन जो चीज कही गई है वह सिद्धान्त की चीज है। अगर जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस लेना चाहती है तो उसको यह अधिकार मिलेगा। मैं यह समझता हूं कि यह अधिकार उनको मिलना चाहिए। अगर अधिकांश ग्रामीण पंचायतें उस क्षेत्र की यह प्रस्ताव पास करती हैं कि हम अपने विधायक को या हम अपने संसद सदस्य को वापस लेना चाहते हैं तो उसको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं रह जाता है।

दूसरी बात यहां पर लघु उद्योग की कही गई है। हमारे विभाग की जो पंचायत उद्योग हैं, वह एक कड़ी है। हमारा पंचायती उद्योग इस समय शैशव अवस्था में है, बचकानी अवस्था में है, शुरुआत में है जो कि ना के बराबर है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती उद्योग का हमारे ग्रामों से बहुत बड़ा सम्बन्ध रखता है। यह किसी एक व्यक्ति का उद्योग नहीं है। यह पंचायत राज का उद्योग है। इसमें पंचायत का एकाधिपत्य होगा, अर्थात् जनता का एकाधिपत्य।

यह शहरी जीवन से संबंधित नहीं है, ग्रामीण जीवन से संबंधित है। ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं हैं, वहां जिन उद्योगों की जरूरत है, उनको वह प्रारंभ करेगा। हमने तो यह तय किया है कि यह सही माने में सफलीभूत हो सके, इसके लिए हमारे प्रदेश का बजट तो होगा ही, केन्द्रीय सरकार से भी हम चाहेंगे कि हमको इन उद्योगों के विकसित करने में सहायता उनसे मिले।

हमारे साथी, बांके लाल जी ने जापान का उदाहरण दिया कि वहां पर एक चीज के अलग-अलग पार्ट्स अलग–अलग बनते हैं। जैसे साइकिल की कहीं चेन बन रही है, कहीं तीली बन रही है, पहिया और जगह बन रही है और सब चीजों को इकट्ठा करके साइकिल का निर्माण हो जाता है। हम पंचायत उद्योग को इस रूप में ढाल देना चाहते हैं कि गांव की जरूरतों की सब चीजें गावों में ही बनने लगें और प्रदेश में जो जिले के हेडक्वार्टर्स हैं, प्रान्त के हेडक्वार्टर्स हैं, पंचायत उद्योग की बनी चीजें प्रान्तीय स्तर पर और जिला स्तर पर बिक्री के लिए दुकानें खोली जायं और उनकी बिक्री हो और सरकारी विभागों द्वारा वहां से खरीदारी की जाय। कोई कुर्सी खरीद रहे हैं, दरियां खरीद रहे हैं, ह्यूम पाइप खरीद रहे हैं। तो वहां की बनी चीजें सरकार से संबंधित सरकारी संस्थाएं उनको खरीदें और खरीदेंगी तो पंचायत उद्योग जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको मार्केट नहीं मिल सकता, तो वह मिलेगा।

इसके अलावा हमारे विपक्ष के नेता मिश्रा जी ने कहा कि गांव विकास की स्थिति बड़ी दयनीय है। एक अन्य सदस्य, वह भी कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा कि गांव विकास नहीं है गांव विनाश है। लेकिन अपनी छाती पर हाथ रख कर पूछिये कि इसको ग्राम विनाश की ओर कौन ले गया? क्या जनता पार्टी ले गयी है या आप स्वयं ले गये हैं? गांव विनाश किसने किया है? उन लोगों ने, जो महात्मा गांधी का नाम लेते अघाते नहीं और महात्मा गांधी की नीतियों के खिलाफ चौबीसों घंटे कार्य करते रहते हैं। सही माने में चाहे महात्मा गांधी हों डा० लोहिया हों, आचार्य नरेन्द्र देव या जय प्रकाश नारायण हों, इन सारे नेताओं की जो आत्मा की आवाज है कि इस देश को उठाना है तो ग्रामीण विकास करो तो हम वास्तव में गांव का विकास करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं।

दूसरी चीज बांके लाल जी ने कही कि मालगुजारी का चौथाई हिस्सा गांव सभाओं को मिलना चाहिए, मैं इसको मानता हूं सिद्धान्ततः और यह सरकार को करना पड़ेगा और करेगी कि जो गांव की आय है, कितना किसान और गांव की जनता कर देती है उसका कम से कम मिनिमम १/४ वहां की गांव सभाओं को मिलना चाहिए तभी गांव का विकास होगा।

हमारे एक साथी पीछे बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से जहां से महारानी जी के राजकुमार खड़े हुए थे, वहां पर ५०० लाख रुपया अमेठी में व्यय में लिया गया और युवक कांग्रेस का जो अखिल भारतीय शिविर था, कैम्प था उसके द्वारा वह किया गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि युवक कांग्रेस का, अखिल भारतीय कैम्प अमेठी में लगा था। उसमें सड़कें बनीं। लेकिन उसमें एक सड़क ऐसी बनी जो पास नहीं हुई थी। हमने उनसे पूछा है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किन लोगों की है। जो सड़क पास नहीं थी। ७३ हजार रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का कैसे बरबाद कर दिया गया? उत्तर आने पर जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी होंगे हम उनको जरूर दंडित

[श्री जमुना प्रसाद—]

करेंगे। लेकिन इसको कराने के पीछे वह लोग थे जो प्रदेश का शासन चला रहे थे। उन्होंने मजबूर किया है उन अधिकारियों को कि तुम ऐसा करो। तो असली दोषी तो वह लोग हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मांग भी कोई मानेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने तो पहले ही कह दिया कि आपके सुझाव सही हैं, यह जन सरकार तो मानेगी ही। लेकिन अच्छा होता कि ये सुझाव आपको देने की नौबत ही न आती और इनको आप पहले ही कर चुके होते। हम तो करेंगे ही। मैं यह मानता हूं कि ग्राम विकास सही मानों में हो इसके लिए जो हमारे पास साधन होने चाहिये, जितनी हमारे पास धनराशि होनी चाहिये, वह नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास है कि प्रदेश की सरकार अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी विचारधारा, अपना सारा चिन्तन इसमें लगा देगी।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मैं अपने माननीय सदस्यों से, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय देव बहादुर सिंह।

श्री देव बहादुर सिंह—

कटौती का प्रस्ताव तो पास हो रहा है, क्यों वापस लें लें ?

श्री अध्यक्ष—

आप वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह—

जी नहीं।

श्री राम लखन (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब स्पष्टीकरण मंत्री जी से मिलकर लीजिएगा। अब समय नहीं है।

श्री राम लखन—

[* * *]

नोट—[* * *] यह अंश जो अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप लोग शान्त रहिये ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८–सामुदायिक विकास—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,४६,५७,३०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८०–सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८०—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,९३,३७,१०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री गेंदा लाल, श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री वंश गोपाल चौबे, श्री झाम लाल अहेरवार तथा श्री राम बरन वर्मा ने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें दी हैं । इस का विषय है, अलवर डाकू के गिरोह द्वारा ५ अक्तूबर को एटा नगर के ग्राम नगला गुलरिया के ७ हरिजनों को काली नदी में बांध कर फेंक देने से हत्या और ६ अक्तूबर को अकबरकोट में अमरपाल, गंगा सिंह, मुलायम सिंह, चिरौंजी और उसकी पत्नी रामश्री की हत्या करने से जनपद में भय और आतंक । इसको मैंने स्वीकार किया है । माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में बयान शीघ्र ही देने के लिए सूचित कर दें और बाकी अस्वीकार है ।

प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा 'चाक डाउन' हड़ताल करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मन्त्री जी, यह प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर शिक्षकों द्वारा २५ सितम्बर, १९७७ से "चाक डाउन" हड़ताल करने से समस्त राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई का कार्य बन्द होने तथा हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के व्यक्तिगत छात्रों के फार्म अग्रसारित न होने के कारण छात्रों में गम्भीर रोष के सम्बन्ध में सर्वश्री सोहनवीर सिंह तोमर एवं रवीन्द्र सिंह ने सूचना दिया है, उस पर वक्तव्य है ।

श्री काली चरण (शिक्षा मन्त्री)—

राजकीय शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश ने दिनांक १२-९-१९७७ से निम्नलिखित सात मांगों को लेकर आन्दोलनात्मक कार्यवाही कर रही है :—

मांग संख्या १—(क) १ जुलाई, १९७७ तक सेवारत समस्त अस्थायी अनानुमोदित राजकीय शिक्षकों की सेवायें नियमित घोषित की जाय ।

(ख)—जिन अस्थायी राजकीय शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, उन्हे उनके पदों पर तुरन्त नियुक्त किया जाय ।

(ग)— भविष्य में तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल बन्द कर दी जांय ।

मांग संख्या २—शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों अथवा प्रधानाचार्यों के पदों पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति सम्बन्धी राजाज्ञा दिनांक ५ दिसम्बर, १९४७ निरस्त की जाय ।

मांग संख्या ३—डिग्री कालेजों के शिक्षकों को प्रदत्त ७००—१६०० रु० के वेतनमान के परिच्छेद में राजकीय शिक्षकों का वेतनमान जनवरी, १९७३ से पुनरीक्षित किया जाय और पुनरीक्षण कार्य सम्पन्न होने तक प्रत्येक राजकीय शिक्षकों को २०० रु० प्रति मास अन्तरिम सहायता दी जाय ।

मांग संख्या ४—कला, व्यायाम, संगीत एवं शिल्प आदि विषयों के शिक्षकों के समवर्गेतर पदों को संवर्गान्तरगत किये जाने की राजाज्ञा निर्गत की जाय ।

मांग संख्या ५—विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा से सीधे 'क्लास दो' में पदोन्नति की राजाज्ञा निर्गत की जाय ।

मांग संख्या ६—सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की भांति राजकीय शिक्षकों एवं शिक्षक संवर्ग से पदोन्नति प्राप्त शिक्षाधिकारियों की सेवा निवृत्त आयु ६० वर्ष की जाय ।

मांग संख्या ७—राजकीय सेवा में आने से पूर्व राजकीय शिक्षकों को उनके द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कृत सम्पूर्ण सेवा अवधि का लाभ पेन्शन निर्धारण के समय दिया जाय ।

संघ की उक्त मांगों पर शासन द्वारा अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक विचार

किया गया और औचित्यपूर्ण मांगों के सम्बन्ध में आदेश भी जारी किये जा चुके हैं। ऊपर लिखित मांगों पर की गई/जा रही कार्यवाही की स्थिति संक्षेप में निम्नवत् है :—

मांग संख्या १(क)—तीन वर्ष से अधिक कार्यरत एवं अस्थाई व तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों की नियुक्तियां नियमित किये जाने का प्रश्न सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है।

मांग संख्या १(ख) तथा (ग)—लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप इस वर्ष जिन ६० अस्थायी शिक्षकों की सेवायें समाप्त करनी पड़ी थी, उन्हें तुरन्त उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित कर लेने के तथा जब तक उन्हें समायोजित न कर दिया जाय कोई नयी तदर्थ नियुक्ति न करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। ६० शिक्षकों में से ३९ को समायोजित भी किया जा चुका है तथा शेष २१ को समायोजित करने का प्रयास जारी है।

मांग संख्या २—इस मांग पर भी शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है चूंकि शिक्षकों की इस मांग से शिक्षा विभाग का निरीक्षण वर्ग भी प्रभावित होगा, अतः इस मांग के सभी पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

मांग संख्या ३—राजकीय शिक्षकों का वेतनमान उत्तर प्रदेश वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जा चुका है। ऐसे किसी भी राजकीय कर्मचारी के वेतनमान को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है जिनका वेतनमान १—८—७२ से पुनरीक्षित किया गया। अप्रेतर राजकीय शिक्षकों को अपने वेतनमान की तुलना प्राइवेट या राजकीय डिग्री कालेजों के शिक्षकों से नहीं करनी चाहिये। शासन ने इस मांग को मानने का कोई औचित्य नहीं पाया।

मांग संख्या ४—इस मांग को मानते हुये दिनांक २२ सितम्बर, १९७७ को राजाज्ञा जारी की जा चुकी है।

मांग संख्या ५—इस मांग पर शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

मांग संख्या ६—शासन ने इस मांग को मानना सम्भव नहीं पाया है।

मांग संख्या ७—इस मांग पर अत्यन्त सक्रिय रूप से शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

शिक्षक संघ के शिष्टमंडल को बुलाकर कई बार आयुक्त एवं शिक्षा सचिव ने वार्ता भी की है और लिखित रूप से भी संघ को उनकी मांगों के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई/की जा रही कार्यवाही की सूचना भी दी गई है। प्रसंगत मांगों के सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुये मैंने स्वयं भी गत पहली अक्तूबर को राजकीय शिक्षकों के नाम जारी की गई एक अपील में उनसे अनुरोध किया है कि वे अपनी हड़ताल तुरन्त समाप्त कर दें। परन्तु अभी तक संघ द्वारा आन्दोलनात्मक कार्यवाही समाप्त नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि

[श्री अध्यक्ष—]

शासन ने संघ की मांगों के प्रति अत्यन्त सहानुभूति का रुख अपनाया है तथा संघ की हर औचित्यपूर्ण मांग को मान लिया है। शासन शेष मांगों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा परिषद् की १९७८ की परीक्षाओं में प्रवेश हेतु व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के फार्म के अग्रसारण की समस्या का प्रश्न है, उसके निवारण हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र व्यवस्थापकों (संस्था के प्रधानों) द्वारा लिये जाने वाला अग्रसारण शुल्क को एक रुपये से बढ़ा कर दो रुपये कर दिया है। साथ ही व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा परिषद् की परीक्षाओं के लिये फार्म भरने की अन्तिम तिथि, जो कि बिना विलम्ब शुल्क ५ अक्तूबर, १९७७ थी, बढ़ा कर २० अक्तूबर, १९७७ कर दी गई है। अतः उपरोक्त व्यवस्था से जहां व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपने फार्म भरने के लिये पर्याप्त समय मिल गया है, वहीं प्राइवेट हाई स्कूलों तथा इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानों द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं के फार्म जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों से न उठाने और उन्हें अग्रसारित न करने से जो समस्या उत्पन्न हो गई थी, उसका भी निराकरण उन प्रधानों का अग्रसारण शुल्क बढ़ा देने से कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में सम्प्रति कोई कठिनाई या समस्या नहीं है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, शिक्षकों की काफी दिनों से हड़ताल चल रही है। मंत्री जी के सम्मुख उनका मांग-पत्र भी आया है। मान्यवर, मैंने उनके प्रतिनिधियों से बात की है। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मांग नं० १ और मांग नं० २ में कोई फाइनेंशियल इन्वाल्वमेन्ट नहीं है। मांग नं० १ यह है कि गवर्नमेन्ट स्कूल्स में जो टीचर एडहाक एप्वाइंट हो जाते हैं और १६, १६ साल के बाद जब पब्लिक सर्विस कमीशन से दूसरे चुन लिये जाते हैं तो वह सड़क पर खड़े हो जाते हैं। तो तीन वर्षों तक जो काम कर चुके हैं वह कन्फर्म हो जायं। दूसरी मांग यह है उनका कहना है कि उप विद्यालय निरीक्षक कभी-कभी, प्रधानाचार्य हो जाते हैं। उनका कहना है कि उनमें से ही प्रोन्नत हो। तो केवल दो मांगें हैं। शासन उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सोहन वीर सिंह जी, पहली मांग के बारे में तो माननीय शिक्षा मन्त्री ने निश्चयात्मक उत्तर दिया है कि जिनकी सेवायें ३ वर्ष की हो चुकी हैं। वह सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। दूसरे भाग में जितने अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से पृथक् कर दिया है तो उसमें काफी लोगों को रख लिया है। सिर्फ २१ बाकी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि इनको समायोजित कर दिया जायगा। अब केवल दूसरे प्रश्न का उत्तर शिक्षा मन्त्री जी दें।

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, ५ दिसम्बर, १९४७ को राजाज्ञा निकली थी जिसके अनुसार प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों में से ४० प्रतिशत पदोन्नति हाई स्कूल माडल स्कूल के पदों पर की जाती रही है। इस मसले को लेकर राजकीय शिक्षकों की ओर से इसको उच्च न्यायालय में भी

ले गये हैं। उच्च न्यायालय ने इनके विरुद्ध निर्णय दिया है। यह हमसे भी मिले थे। हमने उनको आश्वासन दिया था कि हमको विभागीय एल० आर० से सम्पर्क कर लेने दें और यदि कानूनी अड़चन न होगी तो इस पर विचार करेंगे। चूंकि एक ही विभाग के दो केडर हैं इसलिये उनमें आपस में टकराव का प्रश्न है। इसलिये इस पर विचार करते समय दोनों के दृष्टिकोण को सामने रखकर विचार करना होगा। इसलिये हमको कानूनी दृष्टि से भी देख लेने दें। फिर इस प्वाइन्ट पर जो भी किया जा सकेगा वह हम सदैव करने और वार्ता करने के लिये तैयार हैं। हमने कहा था कि आप अपनी हड़ताल वापस ले लें चूंकि लड़कों के भविष्य का सवाल है और फिर वार्ता द्वारा समस्या को हल कर लें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या शिक्षा मन्त्री जी को यह विदित है कि शिक्षा विभाग में निम्न ग्रेड वाले प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कम सेवाकाल में ही उच्च ग्रेड वाले अध्यापकों (एस० एस० इ० एस० ग्रेड) की अधिक सेवाकाल होते हुये भी प्रोन्नति पा जाते हैं ? ऐसे भी राजकीय इन्टर कालेज हैं जहां १९५९ का प्रति उप विद्यालय निरीक्षक प्रधानाचार्य बन गये हैं जब कि उसी विद्यालय में १९५७ का प्रवक्ता (एस० एस० ई० एस० ग्रेड) अभी तक उप प्रधानाचार्य है ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, यह सम्भव है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में ७ मांगें अध्यापकों ने की हैं। मन्त्री जी ने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक उनकी औचित्यपूर्ण मांग पर विचार किया जायेगा। केवल एक मांग उनकी पूरी की गयी है। दो मांगों को इन्कार कर दिया गया है। ५ मांगें ऐसी हैं जिनपर शासन ने कहा है कि सक्रियता से विचार किया जा रहा है। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को देखते हुये, नीतिगत सहमत होते हुये जो सक्रिय रूप से विचार करने को कह रहे हैं, उनको पूरा करने के सम्बन्ध में शीघ्र कोई घोषणा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, जिनसे हमारी उनकी सहमति हो गयी है बताया है कि कुछ वैधानिक कठिनाईयां हो रही हैं हम उन पर संलग्न हैं। कुछ मांगें मानी भी गयी हैं जिससे स्पष्ट होता है कि शासन चुपचाप बैठा नहीं है। हमारी हमदर्दी है। इसलिये वह सारी चीजों से संतुष्ट भी हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि सारी वार्ता के बावजूद शिक्षकों से समझौते का प्रयास टूट गया है। विद्यार्थियों की क्षति हो रही है। शिक्षा में अशांति है। इसको देखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी शीघ्र पुनः अपने प्रयास से शिक्षा प्रतिनिधियों से वार्ता करके कोई हल निकालेंगे ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, वार्ता के लिये सदैव दरवाजे खुले हुये हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी के वक्तव्य से साबित होता है कि मन्त्री जी सिद्धान्त रूप से कुछ मांगों के बारे में मानने के लिये तैयार हैं । मांग नं० दो के बारे में क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सिद्धान्त रूप से क्या आप शिक्षकों की इस मांग से सहमत हैं ? जहां तक कानूनी अड़चन का प्रश्न है इसको बाद में देखा जायेगा ।

श्री काली चरण—

श्रीमन्, मैंने बताया कि एक विभाग के दो केडर हैं इसलिये उनमें आपस में पारस्परिक क्लेश हो जायेगा और यदि यह कहा जाय कि आपस में गृह युद्ध हो जायेगा तो कोई अतिश्योक्ति न होगी । इसलिये वैधानिक चीजों को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मान्यवर, विवाद मांग २ के सम्बन्ध में है । जो नियम हैं उसके अनुसार कनिष्ठ विद्यालय निरीक्षक शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य बन जाते हैं । क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी कृपा करेंगे कि यह विसंगति न रहे और सीनियारिटी के हिसाब से दोनों इन पदों पर जायं ?

श्री काली चरण—

मान्यवर, मैंने बतला दिया कि विधि परामर्शदात्री से इस पर राय लेकर ही इस सम्बन्ध में कोई विचार कर सकते हैं ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल होने के कारण जो विद्यार्थी प्राइवेट फार्म दे रहे हैं, उनके फारवर्ड करने की क्या व्यवस्था है ?

श्री काली चरण—

जो प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं जो केन्द्रीय व्यवस्थापक होते हैं, वे फार्म फारवर्ड करते हैं । फारवर्डिंग फीस एक रुपये से बढ़ाकर दो रुपये कर दी गयी है, तो वे लोग भी काम कर रहे हैं । फिर राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य हड़ताल पर नहीं गये, हड़ताल तो अध्यापक कर रहे हैं । फार्म प्रिन्सिपल फारवर्ड करते हैं, अध्यापक नहीं । इसलिये इसके बारे में समस्या नहीं है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने मांग २ के बारे में तीन वर्ष तक के अध्यापकों को नियमित करने के बारे में जो घोषणा की है कि शासन उस सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, तो उस सम्बन्ध में तत्काल कोई घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं उसकी ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मान्यवर, मैं प्रश्न पूंछ रहा हूं कि क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी तत्काल इस मांग के सम्बन्ध में सार्वजनिक घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा । इसका उत्तर दे चुके हैं ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मेरा निश्चित प्रश्न है. . .

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठें ।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, प्रतिनिधियों से वार्ता के सम्बन्ध में वक्तव्य से स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों से सचिव ने बात की है, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने बात नहीं की है । तो क्या माननीय मन्त्री जी प्रतिनिधियों से बात करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, प्रतिनिधियों से वे जब चाहें मैं बात करने के लिये तैयार हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह जो ५ दिसम्बर, १९४७ की राजाज्ञा है, उसके खिलाफ शिक्षकगण हाई कोर्ट में गये थे, लेकिन इनके खिलाफ फैसला हो गया । तो क्या सरकार इस बात को जानते हुये कि ये जो उप विद्यालय निरीक्षक हैं और ये जो दूसरे हैं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, इनकी तादाद कम होती है और ४० प्रतिशत के रिजर्वेशन की वजह से इनकी पदोन्नति हो जाती है तो क्या उस राजाज्ञा में कोई संशोधन इस तरह का करेंगे कि जो समान कैडर है, उसमें नियमित रूप से पदोन्नति होती रहे ।

श्री काली चरण--

मान्यवर, इसका उत्तर पुनः वही है कि विधि परामर्शदात्री से सम्पर्क करने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह अध्यापकों की हड़ताल बहुत दिनों से चल रही है और जिसके कारण लड़कों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो इस हालत में सरकार के अधीन कोई योजना विचाराधीन है कि यह हड़ताल बन्द कर दी जाय ?

श्री काली चरण—

मान्यवर, अध्यापकों की सम्पूर्ण कठिनाइयों और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। मेरी भी उनसे अपील है और मैं इस सदन के माननीय विधायकों से भी यह चाहूंगा कि लड़कों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी जिन्दगी को ध्यान में रखते हुए, अध्यापक अपने काम पर चले जायेंगे और काम करेंगे। ऐसी में भी आशा करता हूं कि अध्यापक इस अपील का आदर करेंगे और वे लड़कों की पढ़ाई के बारे में लग जायेंगे और साथ ही साथ वार्ता के द्वारा अपनी कठिनाइयों को सरकार से हल भी कराते रहेंगे।

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

माननीय मन्त्री जी ने मांग (१) ग के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि मन्त्री जी ने कहा कि जब तक ऐसे अध्यापक जिनकी तदर्थ नियुक्ति की गयी थी और उन्हें निकाल दिया गया, उनको समायोजित नहीं कर देते तब तक कोई तदर्थ नियुक्ति न करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि तदर्थ नियुक्ति जारी रहेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इससे प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ६० आदमी थे २१ रह गये हैं जब तक उन को नहीं ले लिया जायगा तब तक कोई एडहाक नियुक्ति नहीं होगी।

श्री रणजीत सिंह—

प्रश्न यह है कि तदर्थ नियुक्ति भविष्य में बनी रहेगी यह स्पष्ट नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मांग नं० ६ के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस में इनकी क्या विशेष कठिनाई हो रही है ? मन्त्री जी ने कहा है कि इस मांग को मानना सम्भव नहीं पाया है। तो क्या कठिनाई इस मांग को मानने में पड़ रही है ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, सम्पूर्ण राजकीय कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति की आयु ५८ साल है। चूंकि राजकीय शिक्षक भी राजकीय कर्मचारी हैं इसलिए जो सम्पूर्ण राजकीय कर्मचारियों पर नियम लागू होते हैं, वही इन पर भी लागू हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मांग संख्या ग को देखें। भविष्य में तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल रद्द कर दी जायं। मान्यवर, उत्तर यह है जो आपने कहा था वही उत्तर सही है कि जब तक उन को समायोजित न कर लिया जाय कोई नई तदर्थ नियुक्ति न करने के आदेश

जारी कर दिए गए हैं ? मान्यवर, यह ६० लोगों तक सीमित है । ६० जगहें भरी जायेंगी तब तदर्थ नियुक्तियां फिर चालू हो जायेंगी । मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि तदर्थ नियुक्तियां भ्रष्टाचार की जड़ है । तो मैं कह रहा हूं कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में शासन की स्पष्ट नीति भविष्य में क्या होनी चाहिए, क्या तदर्थ नियुक्ति बिलकुल बन्द कर देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम और प्रवक्ता वेतनक्रम ये दोनों वेतनक्रम ऐसे हैं....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, ऐसा उनका कहना है....

श्री काली चरण—

उसी का उत्तर बता रहा हूं । जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जाती हैं । ५० प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा और बाकी प्रोन्नति के द्वारा । जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस समय लोक सेवा आयोग तुरन्त हमको संस्तुति भेज कर अध्यापक देता नहीं है । लड़कों की पढ़ाई का प्रश्न होता है । अब एक ही रास्ता रह जाता है कि तदर्थ नियुक्ति की जाय । पढ़ाई हम चालू रखें । अगर हम इसको बन्द कर देते हैं, उधर लोक सेवा आयोग अपनी संस्तुति नहीं देता है तो बहुत दिनों तक स्कूलों को खाली रहना होगा । इसलिए यह सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या इस बात की जानकारी है कि शासन के द्वारा तदर्थ नियुक्ति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट आदेश है कि कोई भी तदर्थ नियुक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी जब कि १५-१६ वर्ष तक यह लगे रहते हैं ? मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाय कि वर्ष के प्रारम्भ में ही हमको पता चल जाय कि कितनी नियुक्तियां होनी हैं ताकि लोक सेवा आयोग से मांग सकें और यदि तदर्थ नियुक्ति करनी है तो किसी भी दशा में वह एक वर्ष से अधिक नहीं हो और एक वर्ष के अन्दर लोक सेवा आयोग से भी अनुमति ले ली जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न विस्तृत है । माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि व्यवहारिक कठिनाई है, इसलिए तदर्थ नियुक्ति होती है और यह जो प्रश्न है केवल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है बल्कि एक आम प्रश्न है लिहाजा शासन को इसके उत्तर के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा ।

श्री इन्द्र मणी बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

उत्तर में यह कहा गया है कि अध्यापकों के इस झगड़े के सम्बन्ध में विधि परामर्शदात्री समिति से आप पूछेंगे तो यह जो ४० प्रतिशत अथवा १० प्रतिशत की बात कही गई है तो यह निर्णय विधि परामर्शदात्री समिति ने लिया है या विभाग ने यह निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप कोई स्पष्टीकरण तो नहीं मांग रहे हैं।

श्री इन्द्र मणी बड़ौनी—

यह विधि परामर्शदात्री समिति का निर्णय कब तक होगा ?

श्री काली चरण—

मैं बड़ौनी साहब का बहुत आभारी हूं कि समस्या के समाधान हेतु उन्होंने बहुत प्रयास किया है। मैं शीघ्र ही उनसे सम्पर्क स्थापित करूंगा और विधि परामर्श की जो राय होगी, उस पर मैं अध्यापकों के प्रतिनिधियों से वार्ता करूंगा। मैं बड़ौनी साहब से पुनः निवेदन करूंगा कि वह मेरी ओर से अपील कर दें कि अध्यापक लड़कों के पढ़ाने के काम में लग जायं।

आगरा जनपद के टीकमचन्द एन्ड फर्म पर छापा मार कर १० लाख रुपये का रेपसीड जब्त करने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया....

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

मुझे इस विषय में यह निवेदन करना है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर हो चुका था। फिर भी माननीय विधायक जी को कोई चीज अस्पष्ट रह गई थी तो इसके लिए अध्यक्ष महोदय आपने बहस का अवसर दिया जो बहुत अच्छी बात है परन्तु मैं आपको यह सूचना देना आवश्यक समझता हूं कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन हो गया है, चार्जशीट पेश हो गई है। ऐसी हालत में बहस को इतने सीमित स्वरूप में करने का अनुरोध करूंगा, जिससे अभियुक्त नाजायज फायदा न उठा ले और मुकदमे में हित में जो नहीं होगा बहस को ऐसी दिशा न दी जाय। इसलिए मैंने यह सूचना आपको और आपके द्वारा माननीय सदस्यों को दी है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जो नियम है, वह यह है, "ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायगा जो कोई न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो लेकिन जो प्रश्न न्यायिक नहीं हैं, उन पर प्रश्न पूछने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में रेप सीड और रेप सीड आयल एक राजनीति का विषय बन गया है। इसके कारण हमारे यहां तेल की कमी थी और इस कमी को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार ने विदेशों से गत वर्ष लगभग ५ अरब रुपये का तेल आयात किया था। जो तेल आयात करने के लाईसेन्स दिए गए थे, उसमें से ४ अरब ९५ करोड़ रु० का तेल विदेशों से वहीं से चोर बाजारी में डाल दिया गया और केवल ५ करोड़ रु० का रेपसीड आयल आया और उसका भी सदुपयोग हमारे प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में नहीं हो पाया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उस दिन जो प्रश्न में चर्चा हुई मुख्य रूप से तीन प्रश्न सदन के सामने उपस्थित हुए थे। एक तो ११ तारीख को हमने सूचना दी और प्रश्न की सूचना मन्त्री जी को १८ तारीख को प्राप्त हुई और रिपोर्ट दर्ज हुई २० अगस्त को। माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि घटना जो हुई वह २२ जुलाई को हुई और २८ दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। वह बात भी प्रश्न प्राप्ति के बाद एक रहस्य बन जाती है। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों के राजनीतिक जीवन में यह कलंक है। समय कम है, मेरे पास अखबार हैं, इसमें काफी धनराशि ली गई। इसमें कहा गया है कि इस कान्ड को दबाने के लिए करीब दो लाख रुपये घूस के रूप में लिया गया।

श्रीमन्, मामला साफ है मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा जो प्रश्न अदालत की परिधि में हो। मैं तो केवल चर्चा करूंगा कि जो मुलजिम हैं, वह गिरफ्त में आयें। २८ दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज करने का कारण क्या है? मान्यवर, आपने खुद प्रश्न पूछा था और मन्त्री जी ने उस समय कहा था कि 'फर्म के मालिकों ने इस बात की आपत्ति की थी कि रेप सीड आयल आयातित है और यह एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है। विधिक स्थिति जानने के लिए आर० एफ० सी० के यहां भेजा गया।' माल पकड़ा यहां के लोगों ने और निर्णय होने आता है यहां। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं की मन्त्री जी २६ तारीख को मथुरा गये, मन्त्री जी ने कह दिया कि मैं २६ जुलाई को आगरा नहीं गया, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि २६ जुलाई को मथुरा गये थे और आगरा का उस प्रोग्राम में कोई जिक्र नहीं था मन्त्री जी रातों रात ८बजे आगरा गये और ९-४५ में यहां से चले गये केवल डेढ़ घंटे वहां रुके हैं। इससे साफ है कि मन्त्री जी ने मौखिक आदेश दिया कि उसका निर्णय लखनऊ में होगा यहां नहीं होगा और आर० एफ० सी० से विधिक राय जानने के लिए यह संकेत करता है जो कुछ भी इस विषय में निर्णय हुआ, वह अधिकारियों ने नहीं किया बल्कि मन्त्री जी के कार्यालय ने या मन्त्री जी ने किया ये, जिसके आदेश हों, उसने किया। इससे साफ है की १८ तारीख को आपने आदेश भेजा। यह साफ हो गया है और आदेश प्राप्त हो गया है कि कानून की राय में रेप सीड आयल कन्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत आता है। जब आपको इस बात की जानकारी हो गई तब यह मामला सामने आया वर्ना इस समूचे कान्ड पर हमें शक है कि पर्दा पड़ गया होता।

श्रीमन्, सबसे बड़ा सवाल होता है, यह पर्दा क्यों डाला गया? मैं मन्त्री जी से साफ कहना चाहता हूं कि यह जो आपका तिलहन उत्पादन और वितरण आदेश, १९६६ हैं, उसकी दफा में साफ है किसी भी चीज से जब तेल तैयार होता है, वह इस नियन्त्रण आदेश में आता है। यह जो आप का आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें साफ लिखा है दफा २ आप देखें, उसमें साफ लिखा है 'इनक्लूडिंग इडीबल आयल सीड एन्ड आयल' तो यह दोनों तिलहन उत्पादन और नियन्त्रण आदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। मंत्री जी के उत्तर से यह भी आया था कि वहां के अधिकारियों ने राम सरन एण्ड कम्पनी जो उसकी पार्टनर थी, की सुपुर्दगी में दे दिया और आपने जो २९ तारीख को आदेश भेजे।

नोट-[***] यह अंश पत्रावली संख्या ३१ (का) 77 के पृष्ठ ३ में श्री अध्यक्ष के दिनांक १६-१२-७७ के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया। २९ तारीख को जो आपने आदेश भेजे हैं, वह क्या है :— खाद्य और रसद विभाग लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या १000/आ0वि0, दिनांक २९ जुलाई, १९७७ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मेसर्स टीकमचन्द ब्रदर्स, जमुना किनारा, आगरा का दिनांक २२-२३/७-७७ को रामसरन मालिक

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

फर्म रामसरन एण्ड कम्पनी, कचहरी घाट, आगरा की सुपुर्दगी में दिए गए रेपसीड तथा रेपसीड आयल को फर्म के समस्त पार्टनरों की सुपुर्दगी में इस प्रतिबन्ध के साथ वापस किया जाता है कि वे प्रतिदिन किसी किए गये रेपसीड तथा रेपसीड आयल का हिसाब तथा सम्पूर्ण स्टाक की समाप्ति पर समस्त विवरण अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे।' तो आपने आदेश दिया कि जिसका १० लाख रुपये का माल है, उसकी सुपुर्दगी में दे दिया जाए, यह दे दिया गया, अब वह अपना हिसाब-किताब सब ठीक कर लेगा, तो कितना देगा ? मैं मंत्री जी के सामने अब विधिक स्थिति लाना चाहता हूं---जब ऐसा माल सीज होगा तो आपके विभाग को कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में ६-ए है, इसे आप देखें :—

"Where any essential commodity is seized in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto a report of such seizure shall, without unreasonable delay be made to the collector of the district or the presidency town in which such essential commodity is seized and whether or not a prosecution is instituted for the contravention of such order, the collector may, if he thinks it expedient so to do, direct the essential commodity so seized to be produced for inspection before him, and if he is satisfied that there has been a contravention of the order, may order confiscation of....."

साफ कहता है इसमें कि जब वह सीज करेगा, सीज होगा तो कलेक्टर को सूचना भेजना चाहिए और कलेक्टर को इस कानून के द्वारा अधिकार है कि वह प्रापर्टी के बारे में अधिग्रहण करे, जैसा आवश्यक समझे अनुभव करे, इसके आगे यह भी है कि जिसका माल होता है उसको अधिकार प्राप्त होता है कि यदि उसकी समझ से कलेक्टर का आदेश गलत है, तो वह उसके खिलाफ अपील कर सकता है। अब आप ६-ई देखें, आपने किसी प्रकार के आदेश नहीं दिए। ६-ई में है :—

"Whenever any essential commodity is seized in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto, the collector or, as the case may be, judicial authority appointed under section 6-C shall have, and, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, in othar court, tribunal or authority shall not be, jurisdiction to make orders with regard to the possession, delivery, disposal or distribution of such property."

श्री अध्यक्ष—

इसका आप कृपया हिन्दी अनुवाद कर दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

कर रहा हूं। इसमें साफ कर दिया, अगर रिपोर्ट मिलेगी कलेक्टर को, उसकी डिलीवरी करने की..

श्री अध्यक्ष—

आधे घंटे की इस पर केवल चर्चा है, इस पर ११ मिनट आप स्वयं ले चुके हैं, अतिए अब समाप्त करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

तो यह साफ हो गया कि कोर्ट के अलावा किसी अथारिटी को अधिकार नहीं है और साफ है कि न आपको अधिकार है और न आपके आयुक्त को अधिकार है। यह केवल दो को अधिकार था कि कलेक्टर कोर्ट में जाता। अब क्या कारण है कि २९ तारीख को आपने आदेश कर दिया। यदि आप अपना सुझाव न करते तो बात समझ में आती। लेकिन इससे शंका पैदा होती है और कहा जाता है कि जनता पार्टी वालों ने घोटाला किया है और जनता पार्टी पर इसका कलंक पड़ रहा है। लोग कहते फिर रहे हैं कि दो लाख रुपया इसमें लिया गया और मंत्री जी भी आगरा गए थे। मैं तो बीमार था। लोगों ने आकर कहा कि दो लाख रुपए लिए गए। तो यह साफ है कि मुकदमा एक बहाना है। यह जो मुकदमा वर्ज हुआ है उससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है। आयुक्त आदि यह बचाव कर रहे हैं कि यह माल गोदरेज सोप्स कम्पनी, बम्बई का था, जब कि उसके पास लाइसेंस नहीं था और कानून के अनुसार वही काम कर सकता है जिसके पास इस प्रकार का लाइसेंस हो। लेकिन खुद उस मुलजिम को बचाने में लगे हुए हैं। अगर मन्त्री जी चाहते हैं, यह तो एक नाटक हुआ, २८ दिन के बाद मुकदमा वर्ज कराए।

श्री अध्यक्ष—

आप खत्म कीजिए। माननीय मंत्री जी ने कोई मुकदमा दायर नहीं किया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं जनता पार्टी का हूं। जनता पार्टी की बदनामी हुई है। मुकदमा वापस लें और सारा मामला सी० बी० आई० को सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

श्री सोहनवीर सिंह तोमर, पहले माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें। फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यही नियम है।

श्री हरिश्चन्द्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने कई ऐसी बातें उठाई हैं जो उन्होंने प्रश्न किया था, उसमें चार प्रश्न थे। मैं समझता हूं कि पहले सदन को मैं उन चारों प्रश्नों को डिटेल में रख दूं। फिर उसके बाद उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। पहला जो प्रश्न उन्होंने रखा है उस सम्बन्ध में मेरा इतना ही कहना है कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं उसके सम्बन्ध में जिस रूप में कुछ विधिक बातें उठा दीं, पहले मैंने निवेदन किया था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए ऐसे प्रश्न उठाना जिसका अभियुक्त लाभ उठा पाए मुकदमे के हित में नहीं होगा। फिर भी उन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक आयातित रेपसीड और रेपसीड आयल के मूल्य का प्रश्न है वह ६,७५,५५३.१९ रुपये है। इस मूल्य पर वह सामान सुपुर्ददार द्वारा बेचा गया है और इस विषय में अब न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि इस रुपये का क्या किया जाय। उच्च न्यायालय ने दिनांक २९-९-७७ को टीकमचन्द आदि द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन में अन्तरिम आदेश दिया है कि प्रतिवादी, याची से ६,७५,५५३.१९ रुपया वसूल करने के हेतु उत्पीड़क कार्यवाही नहीं करेंगे बशर्ते

[श्री हरिश्चन्द्र]

याची इस राशि को देने के हेतु आर० एफ० सी० के मतानुसार दिनांक १३-१०-७७ तक पर्याप्त जमानत दे दें। आर० एफ० सी० को तदनुसार याची ने पर्याप्त जमानतें अचल सम्पत्ति की दे दी हैं।

इस मामले में माल खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया था और प्रारम्भ में कार्यवाही लाइसेंस निरस्त्रीकरण व जमानत जब्ती की प्रारम्भ की गई थी इसलिए खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ही माल सुपुर्दगी में दिया गया। चार्जशीट दायर किए जाने से पूर्व यह विषय किसी अदालत के समक्ष नहीं गया था। अतः न्यायालय द्वारा माल की सुपुर्दगी में देने के प्रश्न पर विचार करने का अवसर ही नहीं उत्पन्न हुआ।

जैसा उपर्युक्त पैरा में बताया गया है सुपुर्दगी में माल खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया गया था और यही मैंने उत्तर में कहा था। सुपुर्दगी विभाग अलग से कोई नहीं है। जब मैंने उत्तर में सदन में कहा था कि सुपुर्दगी विभाग द्वारा दी गयी तो मेरा अर्थ यही था सुपुर्दगी खाद्य विभाग द्वारा दी गयी थी। रेप सीड व रेपसीड आयल को उस समय की तंगी को देखते हुये शासन ने जनहित में क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक को माल सुपुर्दगी में देने का आदेश भेजा था। चौथा शासन को कोई जानकारी नहीं है और न ही अधिकारियों ने जो कार्यवाही की है उससे ही विदित होता है कि उर्युक्त माल की सुपुर्दगी देने में किसी प्रकार का अनुचित लाभ लिया गया है।

जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दिया, लेकिन एक बात आगरा जाने के सम्बन्ध में कही गयी। १७ या १९ जुलाई को एक प्रश्न किया गया था कि क्या मैं आगरा गया था तो मैंने कहा था कि नहीं गया। आज कहा जा रहा है कि २६ तारीख को गये। इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि माननीय विधायक मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और इतना जानने के बाद भी बिना गहराई में गये यह बात कह दिय। २६ को जो कार्यक्रम बनाया था तो मुझे लखनऊ आना था। मथुरा में जो प्रोग्राम था वह मथुरा से छूटने वाली गाड़ी के समय तक पूरा नहीं हो पा रहा था। यह रिजरवेशन बहुत पहले हुआ था। आगरा में गाड़ी पकड़ने के लिए आना पड़ा था मुश्किल से ४-५ मिनट लगे होंगे कि गाड़ी छूट गयी थी। मैं आगरा गया नहीं, सीधे स्टेशन आया। अगर कोई शंका हो तो मैं स्पष्ट कर दूंगा।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो माल सुपुर्दगी में दिया गया तो क्यों दिया गया। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि यह माल अनधिकृत रूप से कब्जा में लिया गया था तो जिस माल को शासन ने कब्जे में लिया था वह मामला अब सबजुडिस कैसे हो गया। तो यह उस दिन की बात गलत थी या आज की गलत है।

श्री हरिश्चन्द्र---

मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक इसको फिर से स्पष्ट कर दें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि जो यह माल कब्जे में लिया गया था और कानूनी रूप से लिया था तो वह आज मामला सबजुडिस कैसे हो गया यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

श्रीवास्तव जी ने जो उत्तर दिया है, फर्म के मालिकों ने इस बात की आपत्ति किया था कि जो रेपसीड वा रेपसीड आयल आयातित है वह इसेन्सियल कमोडिटी ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है । विधिक स्थिति की जानकारी के लिए आर० एफ० सी० के यहां भेजा गया, तो यह उनका उत्तर था ।

श्री हरिश्चन्द्र--

म समझता हूं कि माननीय विधायक जी ने जो कहा, वह इससे स्पष्ट हो गया कि मैंने कभी नहीं कहा था कि आर० एफ० सी० ने गैर कानूनी रूप से माल को पकड़ा था ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैंने पहले भी इस संबंध में एक प्रश्न किया था और आज भी वही प्रश्न कर रहा हूं कि जब माल दिनांक २३ जलाई, १९७७ को पकड़ा गया और २० अगस्त, १९७७ थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाई गई । तो ऐसा २७ दिन के बाद क्यों किया गया उसी समय क्यों नहीं किया गया ? एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के तहत जब कोई माल कलेक्टर या आर० एफ० सी० द्वारा पकड़ा जाता है तो देर में रिपोर्ट लिखाने का कारण क्या है ? मंत्री महोदय ने बताया कि आयुक्त महोदय की मंजूरी लेने के बाद १८ अगस्त, १९७७ को कहा गया कि रिपोर्ट लिखाई जाय और वह भी तब किया गया जब ११ अगस्त, १९७७ को मैंने यहां प्रश्न पूछ दिया ।

फिर २० तारीख को आपने रिपोर्ट लिखाई । क्या यह बात सही नहीं है ?

दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बताया कि छः लाख रुपये का रेपसीड उसके यहां से मिला । १३२ बोरे रेपसीड और २६० ड्रम रेपसीड आयल जो किताबों में दर्ज था । वह ब्लैक में बेच दिया गया । वह तो नहीं मिला । इसकी कीमत ४ लाख रुपये थी ....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इतना समय रिपोर्ट लिखाने में क्यों लगा ?

श्री हरिश्चन्द्र--

मुझे इतना ही कहना है कि यह जो समय लगा है कोई अधिक नहीं है । फर्म के अभिलेखों इत्यादि के परीक्षण करने में समय लगना स्वाभाविक था । उन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद जब हम आश्वस्त हो गये कि यह केस चल सकता है तथा विधि परामर्शी की राय प्राप्त हो गई तभी शासन में हमने एफ० आई० आर० दर्ज कराने के आदेश दिये । ऐसा इसलिए करना जरूरी हो गया था क्योंकि जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस पर विवाद हो गया था ।

अब माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माल सुपुर्द किया गया । वह उन्हें बेच कर आरक्षी को पूरा एकाउन्ट देना

[श्री हरिशचन्द्र--]

था । जो माल बेंच कर वह देता वह ६,७५,५५३·१९ रुपये का था । इसके बदले में हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसकी अचल संपत्ति जमानत के रूप में आरक्षी के नाम कर दी गई है ।

इ लिए मैं समझता हूं कि अब मुकदमा दायर हो गया है एफ० आई० आर० दर्ज हो गई है, उसकी अचल संपत्ति भी जमानत के रूप मे आरक्षी के नाम हो गई है । फिर इसमें परेशानी की बात क्या है ? क्यों शंकायें उठाई जा रही हैं जब कि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ? अनावश्यक प्रश्न पूछने से ऐसा भी हो सकता है कि अभियुक्त उनसे लाभ उठा ले और बच निकल जाय ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मेरा प्रश्न तो था कि इसमें २७ दिन की देरी क्यों लगाई गई ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने तो उत्तर दे दिया है । अब आप उससे संतुष्ट हों या न हों ।

श्री गुरुदत्त सोलंकी (जिला आगरा)--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि शंकायें क्यों उठाई जा रहीं हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है ।

अभी पिछले माह की २५ तारीख को मुख्य मंत्री जी आगरा गये थे, वहां उनसे जन समितियों ने, विधायकों और संसद सदस्यों ने कहा था कि हमको बड़ा संदेह है । कोई जाल साजी की जा रही है । भ्रष्टाचार हो रहा है । दो लाख रुपया रिश्वत कहीं न कहीं किसी न किसी को दी गई है । टीकम चन्द्र के खिलाफ एफ० आई० आर० आगरा में दाखिल हुई । उसकी जमानत की गई । बताइये, श्रीमन् । सुपुर्दगी में जिस व्यक्ति को माल दिया गया वह टीकम चन्द का पार्टनर था ?

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

यहां पर आर० एफ० सी० पर आक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है । जिनके नाम लिए गए हैं वह प्रोसीडिंग्स का भाग नहीं होगा ।

एक सदस्य--

मान्यवर, एक प्रश्न . . .

श्री अध्यक्ष--

अब समय नहीं है । नियम के अन्तर्गत इसको ५-२२ पर समाप्त हो जाना है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

माननीय मंत्री जी, जो मैंने विधिक स्थिति उठाई थी उसके अनुसार आपको अधिकार नहीं था, और आपके आयुक्त को भी अधिकार नहीं था, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया । मैं यह भी बता दूं कि ऐक्ट में यह लिखा है कि कलेक्टर जब ऐसी वस्तुओं को पकड़ेगा तो सस्ते गल्ले की दूकानों पर कन्ट्रोल रेट से भेजने के

नोट--[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आदेश देगा और अगर कन्ट्रोल रेट उसका नहीं है तो वह आक्शन करेगा। बस वह दो ही रास्ते हैं। सुपुर्दगी में देने के लिए कानून में कोई रास्ता ही नहीं है। आपने २७ तारीख को कारण बताओ नोटिस दिया, समय का इन्तजार किए बिना उसको वापिस करवा लिया। तो इन सब बातों की छानबीन के लिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि सदन में यह घोषित कर दें कि सी० बी० आई० को यह मामला दिया जायेगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष--

समय समाप्त हो गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, एक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। अब समय नहीं है। यह मामला सी० आई० डी० को जायगा या नहीं, यह कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही इस पर इस तरह की बहस हो सकती है। मैं सदन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ा रहा हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

नियम ४९ के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा का अवसर होता है। जब आधा घंटा समाप्त हो जाता है, तो चर्चा अपने आप समाप्त हो जाती है।

श्री श्याम धर मिश्र--

सब नियमों के ऊपर आप हैं। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं।

श्री इन्द्र मणि बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष--

इस तरह नहीं, बड़ौनी जी, आप बैठ जायें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ?

श्री हरिश्चन्द्र---

जी हां।

श्री अध्यक्ष---

मैं विशेष रूप से नियम ३१३ के अनुसार १५ मिनट का समय विवाद के लिए बढ़ा रहा हूं। जिनको प्रश्न पूछना है, पूछ लें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जैसा, मान्यवर, माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने कहा.....

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

जो मामला सब-जुडिस हो उस पर सदन में बहस हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--

यहां यह प्रश्न नहीं है ।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

मान्यवर, उन परिस्थिति को देखते हुए २३ तारीख को मामला पकड़ा जाता है, २६ तारीख को अनशिड्यूल्ड विजिट मंत्री आगरा की करते हैं । २७ तारीख को नोटिस दी जाती है कि ७ दिन के अन्दर जवाब दो, पूरे समय की प्रतीक्षा किए बिना २९ तारीख को ही इनकी सुपुर्दगी का आर्डर किया जाता है । सुपुर्दगी का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है । लेकिन सुपुर्दगी की जाती है और वह भी उस आदमी के हाथ में जो उसका पार्टनर है । उसके बाद जब तक माननीय शम्भूनाथ जी का प्रश्न नहीं हुआ तब तक एफ० आई० आर० लॉज नहीं की जा सकी । तो क्या माननीय मंत्री जी इस पूरे मामले की जांच सी० बी० आई० द्वारा करायेंगे और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक त्याग पत्र देंगे ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, काफी गम्भीर प्रश्न है और माननीय सदस्यों की ओर से सदन में शंकायें उठाई गई हैं । मेरे पास एक पत्र है "रविवार" जो २८ अक्तूबर का है । उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उसमें रेपसीड घोटाले के सम्बन्ध में एक लेख छपा है । अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़कर सुनाये देता हूं । उसमें यह शिकायत है कि...

श्री अध्यक्ष--

इसकी प्रमाणिकता कैसे हो सकती है ? नियमानुसार उसका कोई आधार नहीं है । आप अपनी बात कहें ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, ये आर० एफ० सी० मुजफ्फरनगर में जिलाधीश थे । मुजफ्फरनगर में गोली कांड की जांच हो रही थी । मथुरा में ये आर० एफ० सी० थे । तो उन्होंने इस फर्म से कहा था कि अगर वे उनकी मदद करेंगे तो उन्हें शासन से छुड़वाने में मदद करेंगे । मान्यवर, नियम २०० के उपनियम के मातहत मेरा एक प्रस्ताव है कि आप सदन की एक समिति नियुक्त करने की कृपा करें क्योंकि यह मामला बहुत ही गम्भीर है । कई बार इस प्रकार की समितियां गठित हुई हैं ताकि वह पूर्ण जांच करके सदन के सम्मुख रिपोर्ट दे सकें ।

श्री अध्यक्ष--

जिस नियम का हवाला आप दे रहे हैं उसमें समितियों की प्रक्रिया के बारे में है । सदन की जितनी समितियां होती हैं, उनके बारे में है । आप तो एक विशेष समिति की बात करते हैं । तो यह इसमें नहीं आता है और इस प्रकार से जब तक मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं आता है ...

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, इस कांड को लेकर देश और प्रदेश म भारी असंतोष है और आम चर्चा है कि इसमें अधिकारियों ने और कुछ और भी सम्बन्धित व्यक्ति रहे हैं, काफी भ्रष्टाचार किया है। यहां पर यह परम्परा रही है कि जो मामला न्यायालय में पहुंच गया वह तो सबजुडिस है लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए जो शिकायत है, उनको सतर्कता विभाग से जांच कराने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें इसका भी उत्तर है।

श्री हरिश्चन्द्र--

माननीय नेगी जी ने जो सवाल उठाया है, इसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि जो मामला यहां रैफर होकर आया था, वह लाइसेन्स आर्डर के उल्लंघन में था और यहां पर शासन इसका अपीलेट कोर्ट है। इसलिए जब तक एफ० आई० आर० न दाखिल हो तब तक माल को सुपुर्दगी में देने का अधिकार था। यह विधिक राय है। इसलिए सुपुर्दगी में जो दिया गया है, वह ठीक था। माल की स्केयरसिटी थी इसलिए २० जुलाई को शासन ने आदेश दिया था कि स्टाक लिमिट कम कर दी गई है और अतिरिक्त माल को व्यापारी बाजार में लाये। बाजार में माल की उपलब्धता बनाए रखनी थी।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

कोई भी प्रोपर्टी किसी के कब्जे से बिना किसी प्रौविजन के नहीं ली जा सकती है। मान्यवर, ये मिसलीड कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, इसके पहले के भी ५-६ मामले हैं जिनमें सुपुर्दगी की गयी है। एक मेसर्स संजय का है दूसरा एक बिजनौर का मामला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी जब उत्तर दे रहे हैं, हो सकता है आपको संतोष न हो, लेकिन इस प्रकार से चीतकार करना अत्यन्त अनुचित है।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह मालूम करना चाहता हूं कि चूंकि यह प्रश्न हो गया है, आपने इस संबंध में कानूनी मशविरा लिया या नहीं कि यह जो सुपुर्दगी हुई यह विधि के अनुसार थी या नहीं ? तो कानूनी विशेषज्ञों से आपने मालूम किया कि यह सुपुर्दगी ठीक हुई या गलत ?

श्री हरिश्चन्द्र--

जी हां। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह मामला लाइसेंसिंग आदेश के उल्लंघन के संबंध में आया था और चूंकि शासन अपीलेट कोर्ट है इसलिए उसे माल सुपुर्दगी में देन का अधिकार था, क्योंकि न मामला न्यायालय में था और न एफ० आई० आर० दर्ज हुई थी।

श्री अध्यक्ष--

अब इसको समाप्त किया जाय, क्योंकि मुझे और मसला लेना है। आखिर में नियम ४९ के अनुसार उत्तर दे चुके हैं माननीय मंत्री जी। केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिये कि इस मसले को विजिलेंस के सुपुर्द करेंगे ? (व्यवधान) (श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर) सुन्दरलाल जी, आप बैठिये। अभी आपका अवसर नहीं है कोई समय आपका नहीं उत्तेजित होने का। कोई वक्त होता है आपके लिए तो !!

तो मंत्री जी, क्या आप सतर्कता विभाग को सुपुर्द करेंगे, जो सुझाव है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

एक सदस्य--

मुख्य मंत्री जी ने २५ तारीख को कहा था कि सी० आई० डी० को सुपुर्द करेंगे ?

श्री श्याम धर मिश्र--

तब तो होनी चाहिए सी० बी० आई० की इंक्वायरी !

श्री अध्यक्ष--

उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप कोई सबसटेंश्यल मोशन लायेंगे तब तो सदन विचार कर सकता है (श्री इन्द्रमणी बड़ौनी के खड़े होने पर) आप बैठ जाइये बड़ौनी जी, अब नहीं। अब अनुमति नहीं मिलेगी।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी के खड़े होने पर)

शम्भूनाथ जी, जो आपका अधिकार था उत्तर देने का वह पूरा हो गया। अब नहीं। आप तो स्वयं नियम जानते हैं !

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

एक मिनट।

श्री अध्यक्ष--

किस नियम में अनुमति दूं ?

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती एवं अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती के क्रमशः तार एवं वायरलेस संदेश दिनांक १० अक्तूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक ११ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा (बस्ती) ने दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ को बस्ती में न्यायालय के अवमान करने पर अपने आपको गिरफ्तार करवाया। उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४५ तथा भारतीय दंड विधान की धारा २२८ के अन्तर्गत दोषी पाया गया और उन्हें रु० ५० का अर्थ दंड अथवा अर्थदंड न देने पर तीन दिन के साधारण

कारावास की सजा दी गयी। उनके द्वारा अर्थदंड न दिये जाने के कारण उन्हें १० अक्तूबर, १९७७ को जिला जेल, बस्ती भेजा गया जिनकी रिहाई दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ को होनी है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, देखिये भ्रष्टाचार कोई करे, पकड़ा कोई जाय। (व्यवधान)...

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। अभी नहीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

कल पितृविसर्जन है, आपने छुट्टी की घोषणा नहीं की?

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था आप उठा रहे हैं?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्रीमन्, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कल पितृविसर्जन है और आपने छुट्टी की घोषणा नहीं की।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये पितृविसर्जन के लिये तो कोई व्यवस्था है नहीं।

सूखे, बाढ़ व कटाव के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा का स्थगन

सूखा और बाढ़ के सम्बन्ध में पुनः माननीय राजस्व मंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। उनको अत्यन्त दुःख है कि अस्वस्थ रहने के कारण वह आज पुनः सदन में आने में असमर्थ हैं। इसीलिये मैंने इसके लिये १३ तारीख निश्चित की है। अगर राजस्व मंत्री जी उस दिन भी नहीं आयेंगे तो माननीय सिंचाई मंत्री जी इस विवाद में भाग लेंगे।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
११ अक्तूबर, १९७७

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

बिहार पंचायत सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर ।]

तालिका

काटन यार्न के मूल्य

क्रमांक	सूत का नम्बर	मार्च, ७७ के माह में मूल्य
१	२	३
		रु०
काटन यार्न के मूल्य		
(१)	१०	५७
(२)	१४	६५
(३)	२०	७३
(४)	२४	८०
(५)	३०	९०
(६)	४०	११०
(७)	२/२०	७८
(८)	२/३०	९३
स्ट्रेपल यार्न	२६	८३
	३०	८६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४७ पर ।)

तालिका

उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग में स्थायी किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम	शासकीय सेवा में आने की मूल तिथि	मूल विभाग का नाम	मूल विभाग में अन्तिम पद और उस पर स्थायीकरण की तिथि	राज्य योजना आयोग में स्थायी किए गए पद का नाम
१	२	३	४	५	६
१	श्री हीरा लाल चतुर्वेदी	१५ मई, १९४१	सचिवालय	वैयक्तिक सहायक, ६-१-१९६०	निजी सचिव ग्रेड-१
२	श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव	५ मार्च, १९४९	सचिवालय	प्र० व० स०, १-४-१९६५	अनुभाग अधिकारी
३	श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	७ दिसम्बर, १९४२	विकास अन्वेषण एवम् प्रयोग प्रभाग	आशुलिपिक, १-४-१९६७	वैयक्तिक सहायक
४	श्री रतन मणि नैथानी	२२ जुलाई, १९५५	तदेव	आशुलिपिक, १-९-१९७१	तदेव
५	श्री मोहन गोपाल अवस्थी	१ मई, १९७२	राज्य नियोजन संस्थान सामान्य कार्यालय	आशुलिपिक, २०-१२-१९७५	तदेव
६	श्री देवेन्द्र लाल चौधरी	१७ दिसम्बर, १९६६	सचिवालय	अस्थायी वैयक्तिक सहायक	तदेव
७	श्री बनवारी लाल	५ जुलाई, १९६६	विकास अन्वेषण एवम् प्रयोग प्रभाग	ड्राइवर, १५-४-१९७४	ड्राइवर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६७ पर ।)

जलों में सुधार के लिए विचाराधीन योजनाएं

१—कारागार उद्योग तथा कृषि उद्योग की उन्नति हेतु निगम की स्थापना ।

२—बन्दियों के भोजन सुधार सम्बन्धी संस्तुतियां ।

३—कारागारों में पेय जल, स्वच्छ शौचालय भवनों का निर्माण एवं विद्युतीकरण ।

४—जेल मैन्युअल का पुनरीक्षण ।

संसदीय प्रदेश्या एवं सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६९ पर ।)

(अंग्रेजी के पत्र का अनुवाद)

ऊषा पति भट्ट,
आयुक्त एवं सचिव,
पर्वतीय विकास विभाग

अर्धशा० पत्र सं० २७०/पी० एस०-७७
विधान भवन,
लखनऊ : दिनांक २७ जून, १९७७

प्रिय श्री....

मेरा ध्यान अप्रैल, १९७७ के अंक के 'हिल एरियाज न्यूज लेटर' में प्रकाशित लेख "पीपुल्स इन्वाल्वमेन्ट नसस्सरी" (पृष्ठ-१३) की ओर आकर्षित किया गया है । मुझे दुख है कि यह लेख उस प्रशासन की आलोचना के प्रयास की धारणा उत्पन्न करता है जो वर्तमान सेट-अप से पहले था । ऐसा नहीं किया जाता है और यह पत्रिका के सम्पादन के बारे में बुरा प्रभाव डालता है । मैं विशेष तथ्यों पर आधारित आलोचना को पसन्द कर सकता हूं, परन्तु इस प्रकार का अनुत्तरदायी एवं आम आलोचना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया है । इससे नियोजन प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी का अभाव प्रकट होता है । वास्तव में योजनाएं क्षेत्र से उभरती हैं और इसके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया है । कृपया मुझे बतावें कि इस लेख के लिए कौन उत्तरदायी है और यह आम आलोचना किन तथ्यों पर आधारित है ।

भवदीय,

(ह०) ऊषा पति भट्ट

श्री एम० एल० भारद्वाज,
प्रबन्ध निदेशक,
कन्सीलियम प्राइवेट लिमिटेड,
१८२, जोरबाग,
नई दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७६ पर)

तालिका (क)

क्रम-संख्या	मिर्जापुर के बाहर सीमेंट कारपोरेशन कार्यालयों के स्थान	प्रत्येक कार्यालय पर वार्षिक व्यय	प्रत्येक कार्यालय में कार्यरत		प्रत्येक कार्यालय के आवागमन के साधन	प्रत्येक कार्यालय की उपयोगिता
			अधिकारी	कर्मचारी		
१	२	३	४	५	६	७
१	लखनऊ	लगभग दो लाख रुपये	चार	आठ	दो मोटरकार	१—पिथौरागढ़ तथा देहरादून जिलों में नये सीमेन्ट उद्योग लगाने का कार्य। २—मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के लघु सीमेन्ट उद्योग को चालू करने का कार्य। ३—मोहनलालगंज व उन्नाव स्थित संयुक्त क्षेत्र की देखभाल। ४—शासन के मुख्यालय तथा लखनऊ स्थित राजकीय कार्यालयों में सीमेन्ट कारपोरेशन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श एवं उनका निस्तारण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
						५—सीमेन्ट कारपोरेशन के विधि विषयक महत्वपूर्ण मामलों पर शासन से परामर्श तथा उपयुक्त कार्यवाही । ६—कजरहट-चुनार सीमेन्ट परियोजना तथा वर्तमान कारखानों से सम्बन्धित दिल्ली, बम्बई तथा बाहर के अन्य स्थानों में विचाराधीन महत्वपूर्ण वादों का संचालन । ७—कजरहट-चुनार सीमेन्ट परियोजना के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों एवं व्यापारिक बैंकों से प्राप्त ऋण से सम्बन्धित सभी कार्य । ८—सीमेन्ट कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की बैठकें करना । ९—उक्त परियोजना की अनेक महत्वपूर्ण बातों पर संयन्त्र पूर्तिकर्ताओं आदि से विचार-विमर्श ।
२	इलाहाबाद	लगभग ९५ हजार रु०	एक	सात	..	कजरहट-चुनार सीमेन्ट परियोजना के लिए नई रेल-व्यवस्था एवम् यातायात व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त कार्य का संचालन ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

देखिये आतारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७७ पर ।

तालिका (ख)

क्रम-संख्या	सीमेंट कारपोरेशन की इकाईयों के लिए मशीनों के क्रय हेतु विदेश गये अधिकारियों के नाम	उन देशों के नाम	विदेश यात्रा का समय	प्रत्येक यात्रा पर निगम का व्यय	विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों के पद नाम — तकनीकी	विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों के पद नाम — गैर तकनीकी	विदेश यात्रा की उपयोगिता
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री जे० एन० तिवारी	स्पेन, डेनमार्क, स्वीडेन, स्विटजरलैंड तथा पश्चिम जर्मनी	१८ जून, १९७४ से ४ जुलाई, १९७४	रु० ६३,९४०·६०	..	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (गैर तकनीकी)	ये अधिकारी कारपोरेशन तथा शासन में उस समय ऐसे पदों पर कार्यरत थे जहां पर इन्हें ही मशीनों के क्रय संबंधी निर्णय लेना था ।
२	श्री पी० के० कौल						
३	श्री के० बी० लाल-चरकर					आयुक्त एवं सचिव उद्योग विभाग (गैर तकनीकी)	
४	डा० एस० पी० वर्मा						
				(गैर तकनीकी अधिकारियों पर व्यय ३१,९७०·३० रु० शेष व्यय तकनीकी अधिकारियों पर)	*तकनीकी निदेशक होलटक्स (तकनीकी)	..	
					*महानिदेशक डी० जी० टी० डी० (तकनीकी)	..	
५	श्री शिरोमणि शर्मा	स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, इंग्लैंड तथा फ्रांस	१४ अगस्त, १९७६ से १२ सितम्बर, १९७६	५२,९५७ रु० (गैर तकनीकी अधिकारी पर व्यय २६,४७८·५० रु० शेष व्यय तकनीकी अधिकारी पर)	..	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (गैर तकनीकी)	तदेव
६	श्री कैलाश नाथ				परियोजना प्रबन्धक तकनीकी)	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७७ पर ।)

१-४-७५ से ३१-३-७६ तथा १-४-७६ से ३१-३-७७ की अवधि में फर्रुखाबाद जिले के विभिन्न थानों पर दर्ज, कत्ल, डकैती व राहजनी की संख्या :--

नाम थाना	१ अप्रैल, १९७५ से ३१ मार्च, १९७६ तक			१ अप्रैल, १९७६ से ३१ मार्च, १९७७ तक		
	कत्ल	डकैती	राहजनी	कत्ल	डकैती	राहजनी
१	२	३	४	५	६	७
१--को० फर्रुखाबाद	१२	१	१७	१६	..	१४
२--को० फतेहगढ़	६	२	३	३	..	४
३--मउहरबाजा थाना	३	३	२	४	२	५
४--थाना राजेपुर	५	२	६	३	५	६
--थाना शमशाबाद	९	८	२	१२	२	४
६--थाना कम्पिल	१०	४	२	१९	..	..
७--थाना कायमगंज	१२	५	१०	१२	४	१४
८--थाना मोहम्मदाबाद	९	७	२१	८	९	१३
९--थाना नवाबगंज	१४	१३	१३	१६	३	८
१०--थाना छिबरामऊ	४	१३	२२	७	९	१९
११--थाना कमालगंज	१२	९	१६	१३	१३	१३
१२--थाना सौरिख	३	८	८	४	६	८
१३--थाना तालग्राम	२	४	३	..	..	..
१४--थाना कन्नौज	४	७	२२	३	६	६
१५--थाना गुरु सहायगंज	२	४	२०	७	४	११
१६--थाना इन्दरगढ़	५	१०	१०	४	३	
१७--थाना ठठिया	७	३	१०	४	४	७

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७७ पर ।)

तालिका

आपात स्थिति के दौरान उत्तर प्रदेश में श्री संजय गांधी द्वारा किए गए सरकारी प्रतिष्ठानों के उद्घाटनों का विवरण :—

क्रम-संख्या	जनपद	प्रतिष्ठान जिसका उद्घाटन किया गया
१	२	३
१	जौनपुर	दिनांक ४ जनवरी, १९७७ को उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित गोमती पुल का उद्घाटन ।
२	सहारनपुर	दिनांक ५ दिसम्बर, १९७६ को हरिद्वार के निकट नवनिर्मित सिल्ट एजेक्टर के कार्य का उद्घाटन ।
३	देवरिया	दिनांक ८ जनवरी, १९७७ को शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बभनौली कोठी (स्योराली) का शिलान्यास ।
४	सुल्तानपुर	दिनांक ९ जुलाई, १९७६ को जगदीशपुर इंडस्ट्रीयल एरिया का उद्घाटन ।
५	बस्ती	दिनांक ९ जनवरी, १९७७ को कबीर सहकारी कटाई मिल्स, मघौर का शिलान्यास तथा खलीलाबाद नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत श्री चन्द्र शेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण ।
६	वाराणसी	दिनांक १६ अक्तूबर, १९७६ को श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी प्रांगण में कार्डियाक यूनिट भवन का शिलान्यास ।
७	रायबरेली	दिनांक २९ मार्च, १९७६ को उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी (१) लि०, रायबरेली का उद्घाटन ।
८	रायबरेली	दिनांक ५ फरवरी, १९७७ को मैटरनिटी होम, सलौन का उद्घाटन ।
९	रायबरेली	खंड विकास कार्यालय, डीह का उद्घाटन ।
१०	गोरखपुर	दिनांक ८ जनवरी, १९७७ को सघन हथकरघा विकास परियोजना (गोरखपुर-बस्ती) का उद्घाटन ।
११	लखनऊ	दिनांक १० जुलाई, १९७७ को मैटरनिटी होम, टूड़ियागंज, लखनऊ के भवन का शिलान्यास ।
१२	इलाहाबाद	दिनांक १७ अक्तूबर, १९७६ को ट्रांसपोर्ट नगर, इलाहाबाद का शिलान्यास ।

पी०एस०यू०पी०—४१ विधान सभा—1-3-77—840 (हिन्दी) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा